सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2010-2011

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.)

भारत सरकार

एन.डी.एम.ए. भवन, ए–1, सफदरजंग एनक्लेव

नई दिल्ली–110 029

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

वार्षिक रिपोर्ट

2010-2011

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
भारत सरकार

हमारा दृष्टिक्षेत्र

हमारे दृष्टिक्षेत्र में रोकथाम, प्रशमन, तत्परता एवं कार्रवाई प्रेरित आपदा प्रबंधन की संस्कृति के माध्यम से एक समग्र, सक्रिय, बहु-आपदा केंद्रित एवं प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति का विकास करते हुए एक सुरक्षित तथा आपदा से निपटने में पूर्ण सक्षम भारत का निर्माण करना शामिल है ।

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
	दृष्टिक्षेत्र	iii
	संक्षेपाक्षर	vii
अध्याय 1	प्रस्तावना	1
अध्याय 2	कार्यकलाप एवं उद्देश्य	5
अध्याय 3	उल्लेखनीय घटनाएं	7
अध्याय 4	नीति, योजनाएं और दिशानिर्देश	15
अध्याय 5	क्षमता विकास	29
अध्याय 6	जागरूकता सृजन	33
अध्याय 7	आपदा जोखिम प्रशमन परियोजनाएं	41
अध्याय 8	राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल : संकटकालीन कार्रवाई सुदृढ़ीकरण	49
अध्याय 9	प्रशासन एवं वित्त	63
	अनुबंध -I	67
	अनुबंध - II	68

संक्षेपाक्षर

ए.ई.आर.बी.	परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड
ए.ई.सी.	परमाणु ऊर्जा आयोग
ए.आर.सी.	प्रशासनिक सुधार आयोग
ए.आर.एम.वी.	दुर्घटना राहत चिकित्सा वैन
ए.टी.आई.	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान
ए.डब्ल्यू.पी.	वार्षिक कार्य योजना
बी.आई.एस.	भारतीय मानक ब्यूरो
सी.बी.डी.आर.एम.	समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन
सी.बी.ओ.	समुदाय आधारित संगठन
सी.बी.आर.एन.	रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय एवं नाभिकीय
सी.सी.ई.ए.	आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति
सी.डी.	नागरिक सुरक्षा
सी.डी.एम.	रासायनिक आपदा प्रबंधन
सी.एम.ई.	सैन्य इंजीनियरी महाविद्यालय
सी.पी.एम.एफ.	केंद्रीय अर्ध सैन्य बल
सी.आर.एफ.	आपदा राहत कोष
सी.एस.सी.	सामुदायिक सेवा केंद्र
सी.एस.एस.आर.	क्षतिग्रस्त संरचना संबंधी खोज एवं बचाव
डी.एम.	आपदा प्रबंधन
डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डी.आर.डी.ई.	रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान
डी.आर.डी.ओ.	रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
ई.एफ.सी.	व्यय वित्त समिति
ई.ओ.सी.	संकटकालीन प्रचालन केंद्र
ई.ओ.आई.	रुचि की अभिव्यक्ति
ई.आर.सी.	संकटकालीन कार्रवाई केंद्र
ई.डब्ल्यू.	पूर्व-चेतावनी
एफ.आई.सी.सी.आई. (फिक्की)	भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य संगठन परिसंघ
जी.आई.एस.	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
जी.एस.डी.एम.ए.	गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
हजकेम	खतरनाक रसायन
एच.पी.सी.	उच्चाधिकार समिति
आई.ए.एन.	एकीकृत एम्बुलेन्स नेटवर्क
आई.सी.पी.	घटना नियंत्रण चौकी
आई.सी.एस.	घटना कमान प्रणाली
आई.ई.सी.	सूचना, शिक्षा एवं संचार
आई.जी.एन.ओ.यू.	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
आई.एम.सी.	अंतर मंत्रालयीन समिति

आई.एम.डी.	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
आई.एन.एस.ए.आर.ए.जी.	अंतराष्ट्रीय खोज एवं बचाव सलाहकार समूह
आई.एन.टी.ए.सी.एच.	भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट
आई.टी.	सूचना प्रौद्योगिकी
आई.आर.एस.	घटना कार्रवाई प्रणाली
आई.आर.टी.	घटना कार्रवाई दल
एम.ए.एच.	वृहत दुर्घटना संकट
एम.एफ.आर.	चिकित्सा प्राथमिक सहायता कर्मी
एम.एच.ए.	गृह मंत्रालय
एम.ओ.डी.	रक्षा मंत्रालय
एम.ओ.एच.आर.डी.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एम.ओ.यू.	समझौता ज्ञापन
एम.पी.एम.सी.एम.	चिकित्सा तैयारी एवं बड़ी दुर्घटना प्रबंधन
एन.सी.सी.एफ.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि
एन.सी.एम.सी.	राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति
एन.सी.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.डी.सी.एन.	राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क
एन.डी.एम.ए.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एन.डी.आर.एफ.	राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल
एन.डी.सी.आई.	राष्ट्रीय आपदा संचार आधारढांचा
एन.ई.सी.	राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति
एन.ई.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.एफ.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.जी.ओ.	गैर सरकारी संगठन
एन.आई.डी.एम.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
एन.एल.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.एस.ए.	राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
ओ.एफ.सी.	ऑप्टिकल फाइबर केबिल
पी.आई.बी.	सार्वजनिक निवेश बोर्ड
पी.पी.पी.	सार्वजनिक निजी सहभागिता
पी.आर.आई.	पंचायती राज संस्थाएं
पी.एस.एस.एम.एच.एस.	मनो-समाजिक सहयोग एवं मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं
पी.टी.एस.डी.	पोस्ट–ट्रॉमोटिक तनाव विकार
आर.एंड डी.	अनुसंधान एवं विकास
आर.एफ.पी.	प्रस्ताव हेतु अनुरोध
एस. एंड टी.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
एस.डी.एम.ए.	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एस.डी.आर.एफ.	राज्य आपदा कार्रवाई बल
यू.एल.बी.	शहरी स्थानीय निकाय
यू.एम.एच.पी.	शहरी मानसिक चिकित्सा कार्यक्रम
यू.एस.ए.आई.डी.	संयुक्त राष्ट्र अंतराष्ट्रीय विकास अभिकरण
यू.टी.	संघ राज्य क्षेत्र
डब्ल्यू.जी.	कार्य समूह

1 प्रस्तावना

असुरक्षितता विवरण

1.1 भारत, भिन्न-भिन्न प्रकार के जोखिम और अनेकों आपदाओं का शिकार बनने वाला देश है । इसका 58.6 प्रतिशत से अधिक भू-भाग साधारण से लेकर अति उच्च तीव्रता के भूकम्प का क्षेत्र है तथा इसकी भूमि का 400 लाख हैक्टेयर (12 प्रतिशत क्षेत्रफल) बाढ़ ग्रस्त और नदी कटाव वाला क्षेत्र है । इसकी कुल 7,516 कि.मी. लंबी समुद्री तटरेखा में से 5,700 कि.मी. के लगभग भू-भाग में चक्रवातों और सुनामी की आशंका बनी रहती है । इसके कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल में से 68% भाग सूखा-ग्रस्त है; और इसके पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और हिमस्खलन का जोखिम रहता है । इसके अतिरिक्त, भारत रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय और नाभिकीय संकट (सी.बी.आर.एन.) तथा अन्य मानव निर्मित आपदाओं के प्रति भी संवेदनशील है । वर्ष 2010–11 के दौरान मायापुरी, नई दिल्ली में विकिरण से दुर्घटना और लेह में बादल फटने की घटना इन जोखिमों की हल्की सी याद दिलाती है कि यह देश ऐसी आपदाओं का शिकार हो सकता है ।

1.2 भारत में आपदाओं की जोखिम, जनांकिकीय और सामाजिक-आर्थिक अवस्थाओं में तेज गति से होने वाले बदलावों, अनियोजित नगरीकरण, उच्च जोखिम क्षेत्रों में विकास, पर्यावरण क्षरण, जलवायु परिवर्तन, भौमिक खतरों, महामारियों और संक्रामक रोगों से संबद्ध बढ़ती संभावनाओं से और भी अधिक वृद्धि हुई है । स्पष्टतः, इन सब बातों से ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहां आपदाएं भारत की अर्थव्यवस्था, इसकी आबादी और अनवरत विकास के लिए संकट बन जाती हैं ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की उत्पत्ति

1.3 भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के महत्व को राष्ट्रीय प्राथमिकता का मानते हुए, अगस्त, 1999 में एक उच्चाधिकार समिति का गठन एवं गुजरात भूकम्प के बाद 2001 में आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के बारे में सिफारिशें करने के लिए तथा कारगर प्रशमन तंत्र का सुझाव देने के लिए आपदा प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय समिति का भी गठन किया था । तथापि, हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद भारत सरकार ने देश के विधायी इतिहास में एक ठोस कदम उठाया तथा भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में समग्र और समेकित कदम उठाने और उसे कार्य रूप देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक संसदीय अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन

1.4 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 30 मई, 2005 को भारत सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया था। तत्पश्चात् 23 दिसंबर, 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया गया और 27 सितंबर, 2006 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिसूचित किया गया ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का संघटन

1.5 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह और माननीय उपाध्यक्ष श्री एम. शशिधर रेड्डी, विधायक हैं जिनके साथ छह अन्य सदस्य हैं । प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को केंद्रीय कबीना मंत्री का दर्जा प्राप्त है और प्राधिकरण के सदस्यों को केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है।

1.6 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वर्तमान सदस्य और उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि निम्नानुसार है:

क) श्रीमती पी. ज्योति राव, सदस्य-14 अगस्त, 2006.

ख) श्री बी. भट्टाचार्जी, सदस्य-21 अगस्त, 2006.

ग) श्री जे. के. सिन्हा, सदस्य-18 अप्रैल, 2007 .

घ) मेजर जनरल (डा.) जे. के. बंसल,-06 अक्तूबर, 2010.

ड.) श्री टी. नंदकुमार - 08 अक्तूबर, 2010.

(च) डा. मुजफ्फर अहमद - 10 दिसंबर, 2010.

1.7 श्री एम. शशिधर रेड्डी का 5 वर्ष का कार्यकाल 4 अक्तूबर, 2010 को पूरा हुआ और उन्हें 6 अक्तूबर, 2010 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सदस्य नामित किया गया । उन्हें 16 दिसंबर, 2010 को पदोन्नत करके राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बना दिया गया ।

1.8 रिपोर्ट की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपना पांच वर्ष का कार्यकाल तथा उपाध्यक्ष और उसके अन्य सदस्यों ने भी अपना कार्यकाल निम्न प्रकार पूरा कर लिया है :-

क) जनरल एन. सी. विज़, पी. वी. एस. एम., यू. वाई. एस. एम., ए. वी. एस. एम. (सेवानिवृत्त), उपाध्यक्ष - 27 सितंबर, 2010.

ख) लेफ्टिनेंट जनरल (डा.) जे. आर. भारद्वाज, पी. वी. एस. एम., ए. वी. एस. एम., वी. एस. एम., पी. एच. एस. (सेवानिवृत्त), सदस्य - 27 सितंबर, 2010.

ग) श्री के. एम. सिंह, सदस्य - 27 सितंबर, 2010.

घ) प्रो. एन. विनोद चन्द्र मेनन, सदस्य - 27 सितंबर, 2010.

ड) डा. मोहन कांडा, सदस्य - 4 अक्तूबर, 2010.

च) श्री एम. शशिधर रेड्डी, विधायक - सदस्य - 4 अक्तूबर, 2010.

विहंगावलोकन

1.9 पिछले पाँच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, रोकथाम, तैयारी और प्रशमन पर अधिक जोर देते हुए, राहत केंद्रित दृष्टिकोण के स्थान पर समग्र दृष्टिकोण अपनाने के आमूलचूल परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने में सफल रहा है । राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक उपलब्धि यह रही है कि उसने आपदा विनिर्दिष्ट, विषयक और अन्य विविध मुद्दों का समावेश करते हुए अनेक दिशानिर्देश जारी किये हैं । राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का दृष्टिकोण अनुरेखीय और उत्तरोत्तर सुधारों के स्थान पर ढांचागत सुधार और क्रमिक परिवर्तनों की दिशा पर केंद्रित रहा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र एक प्राधिकारी होने के बजाय एक सुविधादाता मददगार का अधिक रहा है जिसके अंतर्गत उसने देश में समुत्थान शक्ति को सुदृढ़ करने की दिशा में समर्थकारी वातावरण निर्मित करने के लिए अन्य हितधारकों को अपनी सहायता प्रदान की है । राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा पर कार्रवाई करने के लिए एक वास्तविक विशेषीकृत बल के रूप में राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल को स्थापित करने के लिए अत्यावश्यक प्रोत्साहन भी प्रदान किया है । तथा यह सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है कि वह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षित और सुसज्जित हो ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) के सदस्यों के उत्तरदायित्व

1.10 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों को उनकी विषय-विशेषज्ञता के आधार पर आपदा विनिर्दिष्ट कार्यक्षेत्र सौंपे गए हैं । राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और सदस्यों को अपना कार्य करने के लिए विषय-विशेषज्ञों और वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों का सहयोग प्रदान कराया गया है । ये कार्यक्षेत्र निम्न प्रकार हैं :

क्रमांक	सदस्यों का नाम	कार्यक्षेत्र	अतिरिक्त विषय कार्यक्षेत्र
1.	श्री बी. भट्टाचार्जी	नाभिकीय, विकिरणकीय, पूर्वानुमान, शीघ्र चेतावनी और संचार, जी. आई. एस. एंड आई. टी., माइक्रोजोनेशन, भूमंडलीय ताप और जलवायु परिवर्तन ।	
2.	श्रीमती पी. ज्योति राव	सामुदायिक तैयारी (सी.बी.डी.एम.) शिक्षा पाठ्यचर्या तथा राहत के न्यूनतम मानक ।	
3.	श्री जे. के. सिन्हा	नागरिक रक्षा, अग्निशमन सेवा, घटना कमान प्रणाली, एन. सी. सी., एन. एस. एस., एन. वाई. के. एस. मॉक ड्रिल अभ्यास ।	एन.डी.आर.एफ., जागरूकता सृजन (मीडिया) और कार्पोरेट
4.	मेजर जनरल (डा.) जे. के. बंसल (सेवानिवृत्त)	सी. बी. आर. एन. (आतंकवाद पहलू) और मनो-सामाजिक देखभाल।	—
5.	श्री टी. नंद कुमार	राष्ट्रीय नीति एंव योजनाएं, बाढ़, हिमस्खलन एवं भूस्खलन, सूखा और आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना ।	जोखिम अंतरण (बीमा)
6.	डा. मुजफ्फर अहमद	रासायनिक-औद्योगिक आपदाएं और चिकित्सा की तैयारी ।	भूकम्प और सुनामी

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सचिवालय

1.11 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का संगठनात्मक ढांचा केंद्रिय मंत्रिमंडल द्वारा मई, 2008 में अनुमोदित किया गया था । सचिवालय का अध्यक्ष सचिव होता है और उसके साथ पांच संयुक्त सचिव/सलाहकार होते हैं जिनमें से एक वित्तीय सलाहकार होता है । उसमें दस संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के) और चौदह सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) होते हैं और उनकी सहायता के लिए स्टाफ होता है। आपदा प्रबंधन एक विशेषीकृत विषय है, अतः यह भी सुनिश्चित किया गया है कि विशेषज्ञों की विशेषज्ञता संविदात्मक आधार पर उपलब्ध हो । संगठन में अनेक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी भी काम करते हैं । राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संगठन की विस्तृत चर्चा 'प्रशासन और वित्त' नामक एक पृथक अध्याय में की गई है ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सलाहकार समिति

1.12 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के खण्ड 7 के उप–खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक सलाहकार समिति का गठन किया जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

1. सुश्री कुमुद बंसल आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) ।
2. सुश्री सुषमा चौधरी, आई. ए. एस. (सेवानिवृत्त) ।
3. प्रो. एस. के. दुबे, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर ।
4. प्रो. हर्ष गुप्ता, पूर्व निदेशक, राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एन. जी. आर. आई.) हैदराबाद ।
5. श्री संजय हजारिका, प्रबंध न्यासी, पूर्वोत्तर अध्ययन तथा नीति अनुसंधान केंद्र ।
6. डा. पी. के. आयंगर, पूर्व अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग ।
7. ले. जन. देविन्दर कुमार, पी. वी. एस. एम., वी. एस. एम.,बी. ए. आर. (सेवानिवृत्त)।
8. श्री आलोक मुखोपाध्याय मुख्य कार्यकारी, भारतीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ (वी. एच. ए. आई.) ।
9. डा. आर. के. पचौरी, महानिदेशक, ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टी. ई. आर. आई.) ।
10. श्री आर. एस. प्रसाद, पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग ।
11. डा. डी. आर. सिक्का, पूर्व निदेशक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटिरियोलॉजी।
12. ले. जन. वी. के. सूद, पी. वी. एस. एम., ए. वी. एस. एम. (सेवानिवृत्त) पूर्व सेना उप–प्रमुख ।

2 कार्यकलाप एवं उद्देश्य

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकलाप

2.1 भारत में आपदा प्रबंधन की शीर्ष संस्था के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उत्तरदायित्व आपदाओं के बारे में समयबद्ध और कारगर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन हेतु नीति, योजना और दिशानिर्देश निर्धारित करना है । इसके विधायी कार्यों में निम्नलिखित कार्य करने का उत्तरदायित्व भी सम्मिलित है :

(क) आपदा प्रबंधन के विषय में नीतियां बनाना;

(ख) राष्ट्रीय योजना को और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा राष्ट्रीय योजना के अनुसार तैयार की गई योजनाओं को अनुमोदित करना ;

(ग) राज्य योजना बनाने के लिए राज्य प्राधिकारियों के पालन हेतु दिशानिर्देश निर्धारित करना;

(घ) आपदा निवारण के उपायों को समेकित करने तथा विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा के प्रभाव का प्रशमन करने के प्रयोजनार्थ भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनाए जाने वाले दिशानिर्देश निर्धारित करना ;

(ङ) आपदा प्रबंधन की नीति और योजना के प्रवर्तन और कार्यान्वयन में समन्वय करना;

(च) आपदा प्रशमन के प्रयोजनार्थ धनराशि की व्यवस्था की सिफारिश करना ;

(छ) बड़ी आपदाओं से प्रभावित अन्य देशों को ऐसी सहायता सुलभ कराना जैसी केंद्रीय सरकार द्वारा तय की जाए ;

(ज) आपदा निवारण के लिए, अथवा आपदा के संकट की स्थिति से या आपदा से निपटने के लिए प्रशमन, अथवा तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए ऐसे अन्य कदम उठाना जो वह आवश्यक समझे ;

(झ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) के कामकाज के लिए व्यापक नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करना ;

(ञ) आपदा की स्थिति की आशंका या आपदा से निपटने के लिए विशेष कार्रवाई के प्रयोजन के लिए अधिनियम के अधीन गठित राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन.डी.आर.एफ.) पर प्रमुख अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण रखना;

(ट) आपदा की स्थिति की आशंका या आपदा में बचाव तथा राहत के लिए सामान या सामग्री की आपातकालीन प्राप्ति के लिए संबंधित विभाग या प्राधिकारी को प्राधिकृत करना ;

(ठ) आपदा प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करना ।

2.2 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सभी प्रकार की आपदाओं से चाहे वे प्राकृतिक हों या मानव जनित, निपटने के लिए अधिदेश प्राप्त है । जबकि ऐसी अन्य आपातस्थितियों जिनमें सुरक्षा बलों तथा/अथवा आसूचना अधिकरणों का प्रबलता से संलिप्त होना अपेक्षित है जैसे आतंकवाद (बगावत के विरुद्ध कार्रवाई), कानून और व्यवस्था की स्थिति, शृंखलाबद्ध बम विस्फोट, विमान अपहरण, विमान

दुर्घटना, सी.बी.आर.एन. हथियार प्रणाली, खान आपदा, पत्तन और बंदरगाह आपातस्थिति, जंगल की आग, तेल क्षेत्र में आग और तेल बिखरने से वर्तमान तंत्र द्वारा निपटना जारी रहेगा ।

2.3 तथापि, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सी.बी.आर.एन. आपातस्थितियों के बारे में दिशानिर्देश बनाएगा, प्रशिक्षण और तैयारी की गतिविधियां सुकर बनाएगा । प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं के लिए जैसे चिकित्सा तैयारी, मनो-सामाजिक देखभाल और ट्रॉमा, समुदाय आधारित आपदा तैयारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण तैयारी, जागरूकता अभियान चलाना आदि विभिन्न पारस्परिक विषयों पर संबंधित हितधारकों की भागीदारी में एन.डी.एम.ए. का भी ध्यान आकृष्ट करेगा । आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के पास उपलब्ध संसाधन, जो आपातकालीन सहायता कार्यकलाप के लिए पूर्णतः समर्थ हैं, आसन्न आपदा/आपदाओं के समय आपातस्थिति से निपटने के लिए सभी स्तरों पर नोडल मंत्रालयों/अभिकरणों को उपलब्ध कराए जाएंगे ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का दृष्टिक्षेत्र (विज़न)

2.4 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिदेश से और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति से उत्पन्न विज़न निम्न प्रकार है :

"आपदा प्रबंधन-रोकथाम, प्रशमन, तत्परता एवं कार्रवाई प्रेरित संस्कृति के माध्यम से समग्र, सक्रिय, बहु–आपदा केंद्रित और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति का विकास करते हुए एक सुरक्षित तथा आपदा से निपटने में पूर्ण सक्षम भारत का निर्माण करना शामिल है"

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लक्ष्य

2.5 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लक्ष्य निम्न प्रकार है :

(क) सभी स्तरों पर ज्ञान, नवाचार और शिक्षा के माध्यम से रोक-थाम, तैयारी और समुत्थान की संस्कृति का संवर्धन करना ।

(ख) प्रौद्योगिकी, पारंपरिक बुद्धिमत्ता और पर्यावरणीय संरक्षण पर आधारित प्रशमन उपायों को प्रोत्साहित करना ।

(ग) आपदा प्रबंधन सरोकारों को नियोजन प्रक्रिया में पूरी तरह समाहित करना ।

(घ) सक्षम नियामक वातावरण और एक अनुपालनात्मक व्यवस्था का सृजन करने के लिए संस्थागत और प्रौद्योगिकीय विधिक ढांचो को स्थापित करना ।

(ङ) आपदा जोखिमों की पहचान, आकलन और अनुवीक्षण करने के लिए प्रभावी तंत्र सुनिश्चित करना ।

(च) सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रत्युत्तरपूर्ण और पूरी तरह सुरक्षित संचार से युक्त समकालीन, पूर्वानुमान एवं शीघ्र चेतावनी प्रणाली विकसित करना ।

(छ) समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों के अनुकूल कारगर कार्रवाई और राहत सुनिश्चित करना ।

(ज) अधिक सुरक्षित ढंग से जीने के लिए आपदा-समुत्थानशील इमारतें खड़ी करने को एक अवसर के रूप में मानते हुए पुनर्निर्माण कार्य हाथ में लेना ।

(झ) आपदा प्रबंधन के लिए मीडिया के साथ उत्पादक और सक्रिय सहभागिता को बढ़ावा देना ।

3 उल्लेखनीय घटनाएं

प्रस्तावना

3.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जिन क्रियाकलापों ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकृष्ट किया है वे इसके बाद आने वाले अनुच्छेदों में दिए गए हैं । वे विशेष रूप से वर्ष भर में होने वाली आपदाओं पर की गई कार्रवाई, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की उपलब्धियों तथा विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों उच्चाधिकारियों के आगमन के संबंध में है ।

लेह में अप्रत्याशित आपदा

3.2 लेह शीत रेगिस्तान है । वहां वार्षिक औसत वर्षा बहुत कम केवल 90 मि.मी. (3.5 इंच) होती है और तापमान शरद ऋतु में 28° से. (-18.4° फा.)

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के साथ माननीय प्रधानमंत्री स्थानीय जनता के साथ बातचीत करते हुए

और गर्मियों में 33° से. (अर्थात् 91.4° फा.) रहता है। लेह समुद्र की सतह से 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थित है । 5 और 6 अगस्त, 2010 की रात में लेह और आसपास के क्षेत्रों में बादल फटने की अप्रत्याशित घटना घटी थी जिसके कारण आकस्मिक बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी, क्षेत्र में भवनों और सार्वजनिक निर्माणों (अवसंरचनाओं) को भयंकर क्षति हुई । हजारों लोग बेघर हो गए तथा लगभग 257 मूल्यवान व्यक्ति कालकवलित हो गए । राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 45 एन.डी.आर.एफ. कार्मिक लेह भेजे जिन्होंने राहत सामान प्राप्त करके उसे जिला प्राधिकारी को सौंपने के कार्यों में कुशल समन्वय किया ।

श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. पूर्वनिर्मित (प्री–फैब) शेल्टर सौंपते हुए

3.3 बचाव और राहत के कार्य के आरंभिक चरण का काम पूरा होने पर माननीय प्रधानमंत्री ने स्थानीय लोगों से मुलाकात करने और स्थिति का जायजा लेने के लिए 17 अगस्त, 2010 को लेह का दौरा किया । शेल्टरों की तात्कालिक आवश्यकता का जायजा लेने के बाद उन्होंने विस्थापित लोगों के लिए पूर्वनिर्मित (प्री–फैब) शेल्टरों की व्यवस्था करने के लिए एन.डी.एम.ए. को निर्देश दिया। 16 पूर्वनिर्मित शेल्टर बनाने का काम शुरू किया गया

श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. एक पूर्वनिर्मित शेल्टर (शरण-गृह) का निरीक्षण करते हुए

और उसे प्रतिकूल मौसम की अवस्था के बावजूद रिकार्ड समय के अंदर पूरा किया गया । कार्य पूरा होने पर एन.डी.एम.ए. के सदस्य डा. मुजफ्फर अहमद के साथ उपाध्यक्ष ने लेह का दौरा किया और 23 दिसंबर, 2010 को अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक पार्षद, लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद् को औपचारिक रूप से ये शेल्टर सौंपे। राज्य प्रशासन के प्रतिनिधियों, विभिन्न जिला प्रखंडों के पार्षदों - लेह के स्थानीय लोगों और आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने, जो जनोपयोग हेतु शेल्टर सौंपने के समारोह में उपस्थित थे, एन.डी.एम.ए. द्वारा किए गए प्रयासों और निभाई गई भूमिका की प्रशंसा की । इन शेल्टरों के अलावा, भारत सरकार ने आपदा पीड़ितों के लिए 400 अन्य मकान बनाने का काम शुरू किया ।

एन.डी.एम.ए. द्वारा निर्मित शेल्टरों की अवस्थिति

क्रमांक	अवस्थिति	आकार
1.	राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, लेह	40' x 10'x 3 सं०
2.	राजकीय बाल विद्यालय, लेह	40' x 10'x 3 सं०
3.	सोलार कॉलोनी - भाग - I	ई-डोम (अण्डाकार) -1
4.	सोलार कॉलोनी - भाग - II	ई-डोम (अण्डाकार) -1
5.	शै	इ-डोम -1
6.	स्पिटुक (पालम)	ई-डोम 1
7.	फ्यांग	(क) 40' x 10'-1 (ख) 60' x 24'-1
8.	तारू	60' x 24' - 1
9.	ने	60' x 24' - 1
10.	बास्गो	40' x 10' - 2
	योग	कुल 16 शेल्टर

मायापुरी की घटना

3.4 अप्रैल, 2010 में, मायापुरी क्षेत्र गंभीर विकिरण दुर्घटना से प्रभावित हुआ था जिसमें एक व्यक्ति विकिरण से प्रभावित होकर मर गया था और अन्य अनेक उसके शिकार हो गए थे । राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पीड़ितों को आवश्यक चिकित्सीय सहायता प्रदान की तथा प्रभावित क्षेत्र को विकिरण मुक्त करने में मदद की । ऐसी दुर्घटना के निवारण और प्रशमन पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति गठित की गई । उस समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र में विकिरण संबंधी आपात् स्थिति की रोकथाम के तरीकों और साधनों की सिफारिश की । सचिवों की समिति ने 18 अक्तूबर, 2010 को इन सिफारिशों पर विचार करके इन्हें स्वीकार कर लिया । कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्न प्रकार हैं :–

(i) कबाड़ के आयात के निरीक्षण खंड को सुदृढ़ करना ।

(ii) कबाड़-सामान के डीलरों के स्थान पर विकिरण खोजी मशीनें लगाना ।

(iii) देश में, उसके बाहर विकिरण स्रोतों के अवैध व्यापार का निवारण ।

(iv) 12 प्रमुख समुद्र पत्तनों पर विकिरण मानीटर लगाना । इसी प्रकार के मानीटर विमान पत्तनों पर और सीमा चौकियों पर लगाना ।

(v) देश में समस्त विकिरणधर्मी स्रोतों की सूची बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ए.ई.आर.बी.) की स्थापना ।

(vi) ए.ई.आर.बी. द्वारा नियामक नियंत्रण के 5

क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए जाने हैं ।

(vii) 35 शहरों (10 लाख से अधिक की आबादी वाले) में 1000 पुलिस थानों में अतिरिक्त आपात कार्रवाई केंद्रों / (ए.ई.आर.सी.) / सचल विकिरण खोजी प्रणाली की स्थापना- यह प्रस्ताव सिद्धांततः गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है (लागत 6.3 करोड़ रुपए)।

(viii) सी.बी.आर.एन. आपात् स्थितियों से निपटने के लिए सभी 10 एन.डी.आर.एफ. बटालियनों का प्रशिक्षण- शेष 06 बटालियनों के प्रशिक्षण का प्रस्ताव गृह मंत्रालय के पास भेजा जा चुका है (लागत 64.87 करोड़ रुपए) ।

(ix) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दस्तावेज के रूप में ट्रिगर तंत्र के लिए विस्तृत एस.ओ.पी. ।

(x) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बी.ए.आर.सी. द्वारा अतिरिक्त 500 भारतीय पर्यावरणीय मॉनीटरिंग नेटवर्क (आई.ई.आर.एम.ओ.एन.) केंद्रों की स्थापना ।

मंगलौर विमान दुर्घटना के पीडितों को मनोसामाजिक सहायता

3.5 दुबई से मंगलौर जाने वाला एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान मंगलौर विमान-पत्तन पर 22 मई, 2010 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 158 यात्रियों की मौत हो गई । केवल छह यात्री जीवित बचे । भारतीय विमानन इतिहास में यह सबसे भयंकर विमान आपदा थी। जीवित बचे यात्रियों और पीड़ितों के परिवारों के लिए, भयंकर मनोसामाजिक प्रभाव के कारण यह विध्वंसकारी घटना थी ।

3.6 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मनोसामाजिक सहायता और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी किए । उसमें उत्तरजीवितों और आपदा के पीड़ितों के परिवारों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के महत्व को मान्यता प्रदान की गई है । राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो विज्ञान संस्थान (एन.आई.एम.एच.ए.एन.एस.) बंगलुरु के सहयोग से इस विमान दुर्घटना के पीड़ितों को मनोसामाजिक देखभाल तथा ट्रॉमा सहायता प्रदान करने के लिए पहल की । इस परियोजना के लिए सारी निधि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दी गई तथा उसका पर्यवेक्षण एन.डी.एम.ए. के पूर्व सदस्य ले. जन. (डा.) जे. आर. भारद्वाज के मार्गदर्शन में वरिठ विशेषज्ञ द्वारा किया गया । तकनीकी विशेषज्ञता ए. आई. एम. एच. एन. एस. द्वारा सुलभ कराई गई । रोशनी निलय स्कूल ऑफ सोशल वर्क, मंगलौर और सेंट जोसफ कालेज, पिलाथरा, कन्नूर के शिक्षकों और छात्रों द्वारा उनकी सहायता की गई जिन्होंने फील्ड स्तर पर काम किया । कर्नाटक और केरल दोनों में जिला प्रशासनों तथा एयर इंडिया ने भी इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए दल को सहायता प्रदान की ।

राष्ट्रमंडल खेलो (सी.डब्ल्यू.जी.) के दौरान सी.बी.आर.एन. सुरक्षा

3.7 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सी.बी.आर.एन. सुरक्षा की योजना बनाकर उसे सुलभ कराने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से कहा गया था । राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस कार्य को पूरी योग्यता से संपन्न किया। खेलों के दौरान 24x7 निगरानी तंत्र; हज़मत गाड़ियों समेत सी. बी. आर. एन. नवीनतम उपकरणों से लैस कुल 32 एन.डी.आर.एफ. दल तैनात किए गए । खेल गांव, अशोक होटल और सम्राट होटल समेत समस्त खेल केंद्रों पर सी.बी.आर.एन. सुरक्षा को सर्वांगीण सुरक्षा मेट्रिक्स में एकीकृत कर दिया गया था। एन.डी.आर.एफ. के पांच दलों को भी किसी भी अनहोनी घटना के लिए आरक्षित रखा गया था ।

तारीख 12 जनवरी, 2011 को लद्दाख के शिष्ट–मंडल का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में आगमन

3.8 श्री रेजिन स्याल्वर, मुख्य कार्यकारी पार्षद एवं अध्यक्ष (एल.ए.एच.डी.सी.) की अध्यक्षता में लद्दाख

स्वशासी पर्वतीय विकास परिषद (एल.ए.एच.डी.सी.) के निर्वाचित पार्षदों का एक उच्च स्तरीय शिष्ट-मंडल 12 जनवरी, 2012 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में आया था । श्री एम. शशिधर रेड्डी उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लद्दाख के शिष्ट-मंडल को आश्वासन दिया था कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लद्दाख के लिए जिला आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी सुकर बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा । जिसके लिए एक कार्यशाला अतिशीघ्र आयोजित की जाएगी । उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस क्षेत्र में होने वाली सब संभव आपदाओं को ध्यान में रखकर समुदाय आधारित आपदा तैयारी और जागरुकता का अभियान चलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा । समाज में समुत्थान शक्ति बनाने की दृष्टि से, एन. डी. एम. ए. उपज की मूल्यवृद्धि समेत कृषि के सुधार में सर्वोत्तम विकल्प खोजने के प्रयास को भी सुकर बनाएगा । श्री रेड्डी ने इस पर जोर दिया कि आपदा प्रबंधन मात्र बचाव और राहत से ही संबद्ध नहीं है बल्कि यह आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं पर काम करता है जिसके अंतर्गत रोकथाम, प्रशमन, दीर्घकालीन तैयारी तथा पुनर्निर्माण भी हैं ।

3.9 श्री रेड्डी ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री ने एक कार्य बल गठित किया है जिसने हाल ही में लद्दाख का दौरा किया । वह शिष्ट-मंडल आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए देश के विभिन्न भागों के अपने दौरे के हिस्से के रूप में दिल्ली में था । डा. मुजफ्फर अहमद, सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और डा. परशुराम, निदेशक, टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज, भी उपस्थित थे।

3.10 सी.ई.सी. एवं अध्यक्ष, लद्दाख स्वशासी पर्वतीय विकास परिषद् ने इससे पूर्व अगस्त, 2010 में बादल फटने की आपदा के बाद एन.डी.एम.ए. द्वारा किए गए प्रयासों के लिए और 23 दिसंबर, 2010 को प्रधानमंत्री राहत कोष में से एन.डी.एम.ए. द्वारा निर्मित 16 समुदाय शेल्टरों को सौंपने के लिए कड़ाके की ठंड के मौसम में लेह आगमन के लिए उपाध्यक्ष एन.डी.एम.ए. को धन्यवाद दिया ।

14 जनवरी, 2011 को राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना पर विश्व बैंक के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए

3.11 एन.सी.आर.एम.पी. का प्रथम चरण लगभग 1497 करोड़ रुपए (319 मिलियन अमरीकी डालर) के परिव्यय से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कार्यान्वित किया गया जिसमें से विश्व बैंक की सहायता 255 मिलियन अमरीकी डालर होगी । भारत

तारीख 19 जनवरी, 2011 को एन.डी.आर.एफ. स्थापना दिवस के मौके पर माननीय गृहमंत्री श्री पी. चिदम्बरम के साथ श्री एम. शशिधर रेड्डी उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सरकार ने तारीख 6 जनवरी, 2011 को इस परियोजना का कार्यान्वयन केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में अनुमोदित कर दिया है । एन.सी.आर.एम.पी. विषयक वित्तीय और परियोजना करार पर तारीख 14 जनवरी, 2011 को आर्थिक कार्य विभाग विश्व बैंक और आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा राज्यों ने हस्ताक्षर किए। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोग इस प्रशमन परियोजना से लाभान्वित होने वाले हैं ।

3.12 तारीख 14 जनवरी, 2011 को एन.डी.एम.ए. द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (1) के प्रथम चरण के लिए 255 मिलियन यू.एस. डालर के करार पर हस्ताक्षर किए जाने के समय भारत के वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी और श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष श्री रोबर्ट बी. जोएलिक भी उपस्थित थे ।

3.13 दूसरे चरण में, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल और गुजरात राज्यों को इसमें लेना प्रस्तावित है । उनके निवेश प्रस्तावों की तैयारी की दृष्टि से बाद के चरणों में अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी लिया जाएगा ।

तारीख 19 जनवरी, 2011 को राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल का स्थापना दिवस

3.14 राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन. डी. आर. एफ.) ने 19 जनवरी, 2011 को अपना स्थापना दिवस आई.आई.टी. दिल्ली परिसर में मनाया । एन. डी. आर. एफ. ने कृतज्ञ दर्शकों के समक्ष बचाव तकनीकों पर ऊर्जावान और आंखों देखा प्रदर्शन भी प्रस्तुत किया ।

3.15 माननीय केंद्रीय गृहमंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाई और श्री एम. शशिधर रेड्डी, विधायक, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जो समारोह में सम्माननीय अतिथि थे, राष्ट्र के प्रति सेवाएं देने के लिए एन.डी.आर.एफ. की प्रशंसा की। इस समारोह को स्कूलों के बहुत सारे छात्रों ने खुशनुमा बना दिया। जनरल एन.सी. विज, पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य निवर्तमान एवं वर्तमान सदस्यों ने जिसमें श्री जे. के. सिन्हा, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त) का नाम उल्लेखनीय है, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में एन.डी.आर.एफ. का कामकाज देख रहे हैं, भी वहां उपस्थित थे । श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. ने एम.डी.आर.एफ. द्वारा इसके निर्माण काल से ही खोज, बचाव और राहत अभियानों में, विशेषकर बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु

तारीख 19 जनवरी, 2011 को एन.डी.आर.एफ. स्थापना दिवस के मौके पर माननीय गृहमंत्री श्री पी. चिदम्बरम् के साथ श्री एम. शशिधर रेड्डी उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

राज्यों में विगत बाढ़ आपदाओं के दौरान तथा लेह (जे. एंड के.) में बादल फटने के दौरान एन.डी.आर.एफ. की भूमिका पर प्रकाश डाला और उसके कार्य की सराहना की।

3.16 श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी देश के विभिन्न संभाव्य और आपदा आशंकित क्षेत्रों में सामुदायिक क्षमता निर्माण में बल द्वारा अदा की गई भूमिका की प्रशंसा की । एन.डी.आर.एफ. अब तक 9 लाख से भी अधिक सामुदायिक स्वयंसेवकों, स्कूल छात्रों, एन.सी.सी., एन.एस.एस और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षित कर चुका है और वह राज्यों को अपने एस.डी.आर.एफ. के कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करके और सहायता करके राज्य पुलिस के लिए क्षमता निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है । साथ ही श्री रेड्डी ने एन.डी.आर.एफ. अधिकारियों एवं कार्मिकों को एन.डी.एम.ए. से तथा बल को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए भारत सरकार से भी सभी आवश्यक मदद और सहायता दिलवाने का आश्वासन दिया।

3.17 श्री पी. चिदम्बरम्, माननीय गृहमंत्री ने

एन.डी.आर.एफ. के स्थापना दिवस के समारोह पर उनके सभी रैंकों के कार्मिकों को बधाई दी । उन्होंने अपनी प्रसन्नता जताई कि इस बहुकुशल उन्नत तकनीक से प्रबुद्ध बल ने देश में सभी प्रकार की आपदाओं में त्वरित कार्रवाई की है । उन्होंने टिप्पणी की कि सन् 2010 के दौरान एक बार भी आपदा की स्थिति में राज्यों की सहायता करने के लिए सेना को नहीं बुलाया गया । उन्होंने आगे कहा कि एन.डी.आर.एफ. के कार्मिक अपना काम करने में जो खतरे और जोखिम उठाते हैं वे उनके प्रति पूरी तरह सजग हैं । उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार बल को नवीनतम अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सज्जित करने तथा देश में और देश के बाहर सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं में प्रशिक्षित कराने के लिए कृतसंकल्प हैं । उन्होंने अपना भरोसा जताया कि आगामी वर्षों में यह सर्वोत्कृष्ट बल शानदार श्रेष्ठता के अपूर्व स्तर पर पहुंच जाएगा ।

उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. का 27–28 जनवरी, 2011 को पश्चिम बंगाल का दौरा

3.18 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) पश्चिम बंगाल के तीन चक्रवात आशंकित तटवर्ती जिलों- दक्षिण 24 परगना, 24 उत्तरी परगना और पूर्वी मेदिनीपुर जिलों में 138.65 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 50 बहु-प्रयोजनीय चक्रवात शेल्टरों का निर्माण कर रहा है । इसका वित्त-पोषण प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष से किया गया। श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की श्री बुद्धदेव भट्टाचार्जी, माननीय मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के साथ 28 जनवरी, 2011 को कोलकाता में मुलाकात के दौरान यह इंगित किया गया था।

3.19 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने निर्माण कार्य शुरू करने के लिए दो पी.एस.यू. की पहचान (निर्धारण) की है। विभिन्न स्थलों की अवस्थिति और स्थानीय मिट्टी की दशा को ध्यान में रखते हुए 50 चक्रवात शेल्टर बनाने के लिए 138.65 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की गई। मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली को 35 चक्रवात शेल्टर बनाने का काम सौंपा गया है - यह कम्पनी उत्तरी परगना में 20 और पूर्वी

28 जनवरी, 2011 को मुलाकात के दौरान माननीय मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल श्री बुद्धदेव भट्टाचार्जी के साथ श्री एम. शशिधर रेड्डी विधायक, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

मेदिनीपुर में 15 तथा मैसर्स हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता दक्षिण 24 परगना में 15 चक्रवात शेल्टर बनाएगी । राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने उनके साथ नवंबर, 2010 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं । श्री रेड्डी ने यह भी बताया कि निर्माण कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् भवन पश्चिमी बंगाल सरकार को सौंप दिए जाएंगे । बहु-उद्देश्यीय चक्रवात शेल्टर होने के कारण इनका उपयोग सामान्य दिनों में अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाएगा ।

3.20 मुलाकात के दौरान, उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री को यह भी जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना के समझौते पर विश्व बैंक के पदाधिकारियों और भारत सरकार तथा दो राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ने हस्ताक्षर किए हैं, जहां इसका कार्यान्वयन प्रथम चरण में हो रहा है। श्री रेड्डी ने श्री भट्टाचार्जी से अनुरोध किया कि पश्चिमी बंगाल द्वारा निवेश प्रस्तावों को शीघ्र प्रस्तुत करना होगा ताकि उन्हें तीन अन्य राज्यों के प्रस्तावों के साथ-साथ, परियोजना के कम से कम दूसरे चरण में सम्मिलित किया जा सके - ये सब राज्य विगत में बहुत बार बढ़ाई गई अंतिम तारीख तक भी काम पूरा नहीं कर पाए थे। उन्होंने दोहराया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यह देखने के लिए बहुत इच्छुक है कि पश्चिम बंगाल भी परियोजना में शामिल हो क्योंकि वहां भी अत्यधिक चक्रवात आते रहते हैं ।

3.21 श्री बुद्धदेव भट्टाचार्जी ने पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 138.65 करोड़ रुपए की लागत से 50 बहुउद्देश्यीय चक्रवात शेल्टरों के निर्माण की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री के संकेत (जेस्चर) का स्वागत किया । उन्होंने इन शेल्टरों के निर्माण को शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित करने में राज्य सरकार की पूरी सहायता के लिए उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. को भी आश्वासन दिया । माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के अधिकारियों को एन. सी. आर. एम. पी. के अधीन निवेश प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिया।

तारीख 28 जनवरी, 2011 को श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री एम. के. नारायणन के साथ

3.22 अपने दौरे के दौरान, श्री एम. शशिधर रेड्डी ने पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री एम. के. नारायणन से भी मुलाकात की ।

3.23 मार्च, 2011 में जापान में विनाशकारी भूकम्प, सुनामी और परमाणु रिसाव के बाद 46 कार्मिकों का एन.डी.आर.एफ. का एक दल जो नवीनतम तलाशी और बचाव तथा सी.बी.आर.एन. उपरकणों से लैस था, राहत और पुनर्वास कार्यों में स्थानीय प्राधिकारियों की सहायता करने के लिए ओनागावा, जापान (पहली बार) में अंतरराष्ट्रीय रूप से तैनात किया गया । शून्य से भी कम तापमान में काम करते हुए एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने 7 मृतकों को और 50 मिलियन येन मूल्य की जापानी मुद्रा बरामद की। एन.डी.आर.एफ. के श्रमसाध्य कार्य की जापानी सरकार, लोगों और मीडिया द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गई ।

नेपाल में अमेरिकी राजदूत का एन.डी.एम.ए. में आगमन

3.24 नेपाल में अमेरिकी राजदूत श्री स्कॉट डेलिसी यू.एस.ए.आई.डी. के अधिकारियों के साथ 18 मार्च, 2011 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में आए और उन्होंने एन.डी.एम.ए. के उपाध्यक्ष तथा अधिकारियों के साथ परिचर्चा की ।

श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. नेपाल में अमेरिकी राजदूत श्री स्कॉट डेलिसी के साथ

श्री डेलिसी ने एन.डी.एम.ए. और एन.डी.आर.एफ. द्वारा शुरू किए गए सभी कार्यों के लिए एन.डी.एम.ए. की सराहना की । वह एन.डी.एम.ए. द्वारा अभी तक जारी किए गए दिशानिर्देशों से अत्यधिक प्रभावित थे ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में सं. रा. अवर महासचिव का आगमन

3.25 सुश्री बलेरी अमोस, संयुक्त राष्ट्र अवर महासचिव, मानवीय क्रियाकलाप और भारत की आपात राहत समन्वयक द्वारा अपने प्रथम आगमन के दौरान ने मानवीय क्रियाकलाप समन्वय (ओ.सी.एच.ए.) कार्यालय के अन्य अधिकारियों के साथ 31 मार्च, 2011 को एन.डी.एम.ए. में आकर श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से मुलाकात की। उन्होंने एन.डी.एम.ए. के उपाध्यक्ष, सदस्यों और अन्य

पदाधिकारियों के साथ भूमंडलीय मानवीय मुद्दों और चुनौतियों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। आपदा कार्रवाई के भारत के व्यापक अनुभव और क्षेत्रीय सहयोग में उसकी बड़ी भूमिका पर भी विचार-विमर्श किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने यू. एन. ओ. सी. एच. ए. तथा एन.डी.एम.ए. के बीच सहयोग और सहभागिता को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। एन.डी.एम.ए. ने एन.डी.आर.एफ. के लिए आई.एन.एस.ए. आर.ए.जी. प्रमाणन की तत्काल जरूरत पर जोर दिया।

3.26 भारत और ओ.सी.एच.ए. के बीच आपदा न्यूनीकरण और कार्रवाई तथा पारस्परिक सहयोग/सहभागिता की पहचान के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्रों पर भी विचार-विमर्श हुआ । सार्वजनिक जागरूकता, वकालत और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम शुरू करने के लिए एक सामान्य रूपरेखा पर पहुंचने की संभावनाओं को भी तलाशा गया ।

3.27 सुश्री अमोस ने अब तक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों में गहरी रुचि दिखाई और एम.डी.एम.ए. द्वारा शुरू की गई अन्य पहलों की भी प्रशंसा की । उन्होंने आगे ज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहभागिता तथा सर्वश्रेष्ठ पद्धति के आदान-प्रदान की जरूरत पर भी बल दिया।

सुश्री बलेरी अमोस, संयुक्त राष्ट्र अवर महासचिव, मानवीय क्रियाकलाप और आपात राहत समन्वयक के साथ श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

4 नीति, योजनाएं और दिशानिर्देश

आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति

4.1 एन.डी.एम.ए. द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति पूर्ववर्ती 'कार्रवाई पर केंद्रित' दृष्टिकोण के स्थान पर रोकथाम, तैयारी और प्रशमन पर बल देते हुए आपदा के समग्र प्रबंधन के दृष्टिकोण के परिवर्तन को दर्शाती है । यह नीति दस्तावेज सहभागिता की प्रक्रिया पर आधारित है तथा इसमें सुसंगत सुझावों और सिफारिशों को शामिल किया गया है जो आपदा प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में प्रस्तुत करने के लिए एक वास्तविक रूप से सुपरिभाषित दस्तावेज के रूप में मान्य हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने तीसरी एन.डी.एम.ए. की बैठक के दौरान 18 जनवरी, 2010 को 'नेशनल पालिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट' (अर्थात् आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति) जारी की ।

आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति की मुख्य बातें

4.2 आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति में तीव्रता से कार्य करने में समर्थ बनाने वाला इस प्रकार का वातावरण तैयार करने का प्रयास किया गया जिसे राजनीतिक निकाय द्वारा संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है जो इस प्रकार की आपदाओं जिनसे अतीत में भारी जानमाल की क्षति हुई, तथा समाज की आर्थिक आधारशिला डगमगा गई, से निपटने में एक भिन्न दृष्टिकोण का प्रारंभ होना घोषित करता है। इसमें इस तथ्य को समझना भी इंगित है कि आपदाएं केवल आर्थिक और विकासात्मक वृद्धि को ही अवरुद्ध नहीं करतीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण को भी गहरे प्रभावित करती हैं।

4.3 नीति दस्तावेज की केंद्रीय विचारधारा का यह विश्वास है कि एक ऐसा आपदा समुत्थानशील समाज हो जिसमें एक नवसृजित आपदा प्रबंधन ढांचा मौजूद हो जो अनेक क्षेत्रों में तालमेल के साथ काम कर सके, से राष्ट्रीय सपना साकार हो सकता है। एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण आपदा प्रबंधन की दिशा में विकसित होगा जिसमें विभिन्न स्तरों पर रणनीतिपरक सहभागिता निर्मित करने पर जोर दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति को समाविष्ट करने वाली विषयवस्तु निम्न प्रकार हैं :

(i) समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन जिसके अंतर्गत नीति, योजनाओं और निष्पादन का सबके लिए एकीकरण भी शामिल हो ।
(ii) सभी क्षेत्रों में क्षमता विकास।
(iii) विगत पहलों और सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का समेकन।
(iv) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तरों पर अभिकरणों का सहयोग ।
(v) बहु-क्षेत्रीय तालमेल ।

4.4 इस नीतिगत दस्तावेज में संस्थागत, कानूनी और वित्तीय इंतजाम भी समाविष्ट हैं; आपदा निवारण, प्रशमन और तैयारी, प्रौद्योगिकीय-विधिक व्यवस्था, कार्रवाई, राहत और पुनर्वास, पुनर्निर्माण और पुनर्बहाली, क्षमता विकास, ज्ञान प्रबंधन और शोध तथा विकास । इसमें उन क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है जहां कार्रवाई आवश्यक है तथा उस संस्थागत तंत्र पर भी ध्यान केंद्रित है जिसके माध्यम से ऐसी कार्रवाई की जानी है ।

4.5 आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य समाज की समाज आधारित संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.), स्थानीय निकायों और सिविल सोसाइटी की संलिप्तता के माध्यम से आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है । आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति एक ऐसा स्रोत दस्तावेज है जिस पर राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर दिशानिर्देश एवं योजनाएं आधारित होंगी ।

राष्ट्रीय योजना

4.6 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 11 में उपबंधित है कि संपूर्ण देश के लिए आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना नामक एक योजना तैयार की जाएगी । राष्ट्रीय योजना, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रखते हुए और राज्य सरकारों तथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञ निकायों या संगठनों के परामर्श से, तैयार की जाएगी जिसका राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। एन.डी.एम.ए. और एन.ई.सी. में विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय योजना निम्नलिखित तीन खंडों में होगी :

- **राष्ट्रीय कार्रवाई योजना**, जिसका विस्तार सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और संबद्ध अभिकरणों तक होगा जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की आपदाएं समाविष्ट होंगी, यह गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की जाएगी । इस योजना को तैयार करने के लिए एन.ई.सी. द्वारा गृह मंत्रालय में एक अंतर मंत्रालयीन केंद्रीय दल पहले ही गठित किया जा चुका है ।
- **प्रशमन और तैयारी की योजना**, विनिर्दिष्ट आपदाओं का समावेश करते हुए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा अन्य अभिकरणों द्वारा, तैयार की जाएगी ।
- **राष्ट्रीय मानव संसाधन तथा क्षमता निर्माण योजना**, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा तैयार की जाएगी जिसमें अनेक सेक्टरों / प्रसंग आधारित विषयों की प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण जरूरतों पर ध्यान दिया जाएगा ।

4.7 इन योजनाओं को तैयार करने हेतु दिशानिर्देशों और प्ररूपों पर एन.डी.एम.ए. में विचार-विमर्श किया गया तथा उन्हें गृह मंत्रालय, संबंधित मंत्रालयों/विभागों एवं एन.आई.डी.एम. को अग्रेषित कर दिया गया ।

4.8 अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, राष्ट्रीय कार्रवाई योजना बनाने के लिए सुविधा समिति की दो बैठकें गृह मंत्रालय में सचिव (सीमा प्रबंधन) की अध्यक्षता में 14 जनवरी, 2009 और 15 अप्रैल, 2009 को आयोजित की गईं ।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

4.9 राज्य सरकारें, राज्य और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाने की दिशा में प्रयास कर रही हैं । राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के सुसंगत उपबंध 1 अगस्त, 2007 से प्रवृत्त हो गए हैं । बताया गया है कि सभी 28 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित कर लिए हैं । कुछ राज्यों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का गठन पूरा नहीं हुआ है ।

राज्य आपदा प्रबंधन योजना

4.10 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 23 के अनुसार प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जिला प्रबंधन योजना तैयार की जानी अपेक्षित है । राज्य योजना राज्य कार्यकारिणी समिति (एस.ई.सी.) द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी और स्थानीय प्राधिकरणों, जिला प्राधिकरणों और जन प्रतिनिधियों के ऐसे परामर्श के पश्चात् जैसा राज्य कार्यकारिणी समिति ठीक समझे, राज्य योजना राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एस.डी.एम.ए.) द्वारा तैयार की जाएगी । इसका हर वर्ष पुनर्विलोकन किया जाएगा और इसे अद्यतन किया जाएगा । राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 6(2)(घ) के अनुसार जुलाई, 2007 में राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। पूरी सक्रियता से कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नीचे दर्शाए गए रूप में अपनी आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने में समर्थ बनाने के लिए उन्हें वित्त वर्ष 2009-2010 में वित्तीय सहायता सुलभ कराने के लिए, ''आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने की स्कीम'' बनाई :-

श्रेणी I (10,62,500/- रुपये की सहायता)	श्रेणी II (8,62,500/-रुपए की सहायता)
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं काश्मीर, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार, पुडुचेरी।	छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, दादरा एवं नागर हवेली, लक्षद्वीप ।

4.11 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नियमित रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर नजर रखे हुए हैं, तथा नियमित कार्यशालाओं, समीक्षा बैठकों और उन्हें एस.डी.एम.पी. की तैयारी पर वीडियो सम्मेलनों के माध्यम से सलाह देता रहता है । राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं की तैयारी के विभिन्न चरणों में हैं।

4.12 कारगर आपदा प्रबंधन पर केंद्रित कुछ मुख्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 23 से 25 मार्च, 2011 के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक वीडियो सम्मेलन आयोजित किया गया था । इस वीडियो सम्मेलन की अध्यक्षता श्री टी. नंदकुमार, सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने की थी । उस सम्मेलन में अधिकांश राज्यों के प्रधान सचिव (आपदा प्रबंधन)/राजस्व ने भाग लिया था । मुख्य रूप से उसमें निम्नलिखित क्षेत्रों पर चर्चा की गई थी

- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन,
- राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं एवं जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी,
- बड़ी आपदाओं का सामना करने और प्रबंधन करने की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन की तैयारी की स्थिति,
- 13वें वित्त आयोग के आबंटन की उपयोगिता के ब्यौरे,
- राज्य आपदा कार्रवाई बल का गठन,
- परिप्रेक्ष्य योजना/वार्षिक योजना की तैयारी, तथा
- अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा का उन्नयन।

दिशानिर्देश

4.13 उद्देश्यों को योजनाओं में रूपांतरित करने के लिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विभिन्न (प्रशासनिक, अकादमिक, वैज्ञानिक और तकनीकी) संस्थाओं की मदद से जो राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर काम कर रही हैं, अनेक प्रयासों को शामिल करते हुए मिशन आधारित ढंग अपनाया है । नीति के रूप में, केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्यों को अन्य सभी हितधारकों के अलावा, दिशानिर्देश अर्थात् मार्गदर्शक सिद्धांत बनाने में शामिल किया गया है। ये दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट आपदाओं और प्रसंगों पर आधारित होंगे (जैसे क्षमता विकास और जन जागरूकता) जो योजनाओं की तैयारी का आधार बनेंगे। इन दिशानिर्देशों की तैयारी में 12 से 18 मास का न्यूनतम समय लगा जो विषय की जटिलता पर निर्भर था। दिशानिर्देशों के निर्माण के दृष्टिकोण में भागीदारों के साथ सहभागी और परामर्शी प्रक्रिया के नौ चरण हैं, जैसा कि चित्र 4.1 में दर्शाया गया है।

चित्र 4.1

दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया

4.14 इस प्रक्रिया में निम्न बातें शामिल हैं :

- केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं आदि सहित विभिन्न अभिकरणों द्वारा अब तक किए गए कार्यों/उपायों के आपदावार किए गए अध्ययन की त्वरित समीक्षा ।
- प्रचालनात्मक, प्रशासनिक, वित्तीय और विधिक मुद्दों से संबंधित शेष कार्यों की पहचान।
- गंतव्य मार्गचित्र तैयार करना, जिसमें सुगम मॉनीटर करने को सुकर बनाने के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियों को उचित प्रकार से दर्शाया गया हो ।
- उद्देश्यों और लक्ष्यों के रूप में, अल्पावधि एवं दीर्घावधि में गंतव्य की पहचान जिनकी विधिवत प्राथमिकताएं महत्वपूर्ण, अनिवार्य और वांछनीय रूप में उचित प्रकार से दर्शाकर प्राप्त की जाएं ।
- चार महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं अर्थात् - क्या किया जाना है ? किस प्रकार किया जाना है ? कौन करेगा ? और कब तक कर लिया जाना है ?
- एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाए जो सड़कों के मानचित्रों की कार्य योजना के प्रचालनों की देखभाल करे ।

4.15 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पूर्व वर्षों में निम्नलिखित दिशानिर्देश और रिपोर्टें जारी कर चुका है :

- एन. आई.डी.एम. के लिए दिशानिर्देश - 13 अप्रैल, 2006.
- नागरिक सुरक्षा और अग्निशमन सेवाओं का पुनरुद्धार - दिसंबर, 2006.
- भूकम्प - 16 मई, 2007.
- रासायनिक (औद्योगिक) आपदाएं - 28 मई, 2007.
- राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाना - 16 अगस्त, 2007.

- चिकित्सा की तैयारी और बड़ी दुर्घटना संबंधी प्रबंधन - 14 नवंबर, 2007.
- बाढ़ - 17 जनवरी, 2008.
- स्वास्थ्य के अलावा देशव्यापी तैयारी पर दिशानिर्देश - 22 अप्रैल, 2008.
- चक्रवात- 24 अप्रैल, 2008.
- जैविक आपदाएं - 22 अगस्त, 2008.
- नाभिकीय और विकिरणकीय आपात स्थितियां (अवर्गीकृत भाग-1) - 24 फरवरी, 2009.
- भूस्खलन और हिमस्खलन - 23 जून, 2009.
- रासायनिक (आतंकवाद) आपदा - 04 अगस्त, 2009.
- मनो-सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल - 20 जनवरी, 2010.

वर्ष 2010–2011 के दौरान तैयार और जारी किए गए दिशानिर्देश तथा अन्य रिपोर्ट

4.16 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रिपोर्ट के अधीन की अवधि के दौरान निम्नलिखित दिशानिर्देश और रिपोर्टें जारी की हैं :

- घटना कार्रवाई प्रणाली के दिशानिर्देश - 21 जुलाई, 2010.
- आपदा के बाद मृतकों का प्रबंधन - 17 अगस्त, 2010.
- सुनामी का प्रबंधन - 3 सितंबर, 2010.
- सूखे का प्रबंधन - 24 सितंबर, 2010.
- आपदा प्रबंधन में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका - 24 सितंबर, 2010.
- शहरी बाढ़ का प्रबंधन - 27 सितंबर, 2010.

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश–घटना कार्रवाई प्रणाली

4.17 घटना कार्रवाई प्रणाली एक ऐसा तंत्र है जिससे कार्रवाई में तदर्थता घट जाती है । इसमें वे सब कार्य समाविष्ट होते हैं जिनका संपादन कार्रवाई के दौरान होना जरूरी हो सकता है । यह विभिन्न काम करने के लिए योग्य अधिकारियों की पहचान करके उन्हें पूर्व-पदनामित करती है और उनकी भूमिका में उन्हें प्रशिक्षित करती है । यह एक लचीली प्रणाली है और दल में केवल वही अनुभाग/शाखाएं सक्रिय हो सकेंगी जो आपदा की स्थिति में निपटने के लिए आवश्यक हैं ।

लोकार्पण समारोह के अवसर पर उपस्थित माननीय केंद्रीय गृहमंत्री श्री पी. चिदम्बरम, माननीय उपाध्यक्ष, जनरल एन. सी. विज, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, श्री जे. के. सिन्हा, और सचिव सीमा प्रबंधन, श्री ए. ई. अहमद

4.18 त्वरित आपदा कार्रवाई और कारगर सामुदायिक सहभागिता के साथ एक संगठित तरीके से प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए घटना कार्रवाई प्रणाली पर दिशानिर्देश का लोकार्पण, केंद्रीय गृहमंत्री श्री पी. चिदम्बरम द्वारा, 16 जुलाई, 2010 को किया गया था। कोर समूह के सदस्यों, राहत आयुक्तों और मीडिया को आमंत्रित किया गया था। आई. आर. एस. दिशानिर्देश के लोकार्पण समारोह के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृहमंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने कहा कि आई. आर. एस. दिशानिर्देश से देश के निम्न वर्ग के कार्यकर्ताओं को एक संगठित दृष्टिकोण के साथ किसी भी प्रकार और प्रकृति की आपदा पर कार्रवाई करने में मदद मिलेगी और इसीलिए एन.डी.एम.ए. को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन दिशानिर्देशों के सिद्धांत और विशेषताएं आपदा से असुरक्षित सभी राज्यों द्वारा प्राथमिकता से कार्यान्वित की जानी चाहिएं ।

घटना कार्रवाई प्रणाली की बुनियादी विशेषताएं

4.19 • **उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन** - आई. आर. एस. में, पहला कदम है - क) उद्देश्यों की पहचान करना, ख) समुचित रणनीति चुनना, ग) कारगर कार्रवाई करना ।

• **कमान की एकता और कमान की शृंखला** - आई. आर. एस. में एक पदनामित पर्यवेक्षक की व्यवस्था है तथा कार्रवाई सेटअप में प्राधिकार की एक स्पष्ट पंक्ति (क्लियर लाइन) का प्रावधान है ।

• **कमान का स्थानांतरण** - आई. आर. एस. में कमान के स्थानांतरण की प्रक्रिया में यह सुनिश्चित होता है कि एक नया घटना कमांडर उन सब कार्रवाइयों के बारे में पहले से परिचित हो जाता है जो पहले की जा चुकी हैं तथा आगे क्या-क्या किया जाना जरूरी है ।

• **संगठनात्मक लचीलापन** - आई.आर.टी के केवल वही अंग सक्रिय हो सकते हैं जो कार्रवाई के लिए आवश्यक हैं ।

• **नियंत्रण की अवधि** - कारगर पर्यवेक्षण के लिए नियंत्रण की अवधि महत्वपूर्ण होती है। आई. आर. एस. में स्पष्ट प्रावधान होता है कि उन संगठनात्मक तत्वों की संख्या कितनी होंगी जो एक पर्यवेक्षक के अधीन रखे जाने चाहिएं और इस प्रकार उचित पर्यवेक्षण और नियंत्रण सुनिश्चित हो जाएगा ।

• **क्षेत्रीय कमान** - क्षेत्रीय कमान में दूर और अलग-थलग स्थानों में सूक्ष्म पर्यवेक्षण की व्यवस्था है ।

• **एकीकृत कमान** - आई. आर. एस. में एकीकृत कमान में विभिन्न अभिकरणों के लिए एक व्यवस्था का प्रावधान है जिसमें एक कमान के अधीन काम करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में स्वतंत्र क्षेत्राधिकार या कार्यात्मक संबंधी उत्तरदायित्व होते हैं तथा अभिकरण के प्राधिकार, उत्तरदायित्व या जवाबदेही से मुँह मोड़े बिना सभी अभिकरणों के संसाधनों का उचित उपयोग होता है ।

• **सामान्य शब्दावली** - आई. आर. एस. में सामान्य शब्दावली के प्रावधान से विभिन्न पदानुक्रमों, संसाधनों और सुविधाओं की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित हो जाती है। इससे उचित कार्रवाई–कर्ता को निदेश देने में तथा सही और अपेक्षित संसाधन नियोजित करने और तैनात करने में मदद मिलती है ।

• **जवाबदेही** - आई. आर. एस. में कमान की सुस्पष्ट शृंखला से यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी एकल या समूह में कई पर्यवेक्षक न हों तथा जवाबदेही सुनिश्चित हो ।

• **एकीकृत संचार** - आई. आर. एस. में सुदृढ़ संचार सेटअप की व्यवस्था होती है तथा विभिन्न अभिकरणों के संचार नेटवर्कों के एकीकरण की भी व्यवस्था होती है ।

• **संसाधन प्रबंधन** - आई. आर.एस. में विभिन्न संसाधनों के लिए विनिर्दिष्ट शब्दावली के प्रयोग से कारगर अध्यपेक्षा (रिक्विजिशिनिंग) और उनकी तैनाती सुनिश्चित होती है ।

• **घटना कार्य योजना** - दिन की घटना कार्य योजना केंद्रीभूत कार्रवाई सुनिश्चित करती है और कार्रवाई के प्रयासों की प्रगति तथा उपलब्धियों की नियमित समीक्षा करने में मदद करती है।

आपदाओं के पश्चात् मृतकों के प्रबंधन पर रिपोर्ट

4.20 भारत प्राकृतिक और मानव जनित दोनों प्रकार की आपदाओं का शिकार रहा है जिसके कारण सैकड़ों मनुष्य मृत और जानवर मृत हुए। समाज और सरकार का एक प्रमुख उत्तरदायित्व, मृतकों के प्रबंधन में मृतकों द्वारा उत्तरजीवी समाज के लिए उठाए गए भौतिक, मनोसामाजिक, नैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक तनावों वाले मसलों को कम से कम करने के लिए आपदा के उत्तरकाल में मृतकों के संबंध में उचित कार्रवाई की प्रक्रिया भी समाविष्ट है। यह एक कठिन कार्य है जो कुशल पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा एवं भिन्न-भिन्न सामर्थ्य वाले प्रथम अकुशल कार्रवाई–कर्ताओं द्वारा किया जाता है । इस राष्ट्रीय रिपोर्ट का लक्ष्य आपदाओं के बाद शवों और मृत जानवरों के उचित प्रबंधन के लिए मानक प्रक्रियाओं को संस्थागत करना है ।

4.21 मृतकों के प्रबंधन पर रणनीति के अनिवार्य तत्व ये हैं : (i) शवों की बरामदगी, रिट्रीवल और भंडारण, (ii) मृतकों की निश्चित पहचान जो उचित निपटान और वित्तीय हर्जाने, संपत्ति के अधिकारों, विरासत और पुनर्विवाह के मुद्दों के लिए अनिवार्य अपेक्षा है (iii) प्रभावित समाज की धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय और मनो-सामाजिक जरूरतों के अनुसार शवों का गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार, (iv) उचित सूचना प्रबंधन जिसमें मीडिया के माध्यम से त्वरित, सही और समुचित प्रचार-प्रसार के साथ-साथ मृतक की पहचान के लिए आंकड़ों का विश्लेषण भी शामिल है ।

4.22 इन रिपोर्टों का उपयोग निम्नलिखित कार्रवाई–कर्ताओं और सेवा प्रदायकों द्वारा किया जाएगा (i) राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर समस्त आपदा प्रबंधन प्राधिकारीगण और प्रशासक, (ii) शवों के उठाने-धरने; पहचानने और निपटान करने से संबंधित लोग जिनमें मृतकों के प्रबंधन में लिप्त विधि वैज्ञानिक, चिकित्सकीय तथा अन्य पेशेवर विशेषज्ञ भी शामिल हैं, (iii) मृतक के प्रबंधन से प्रत्यक्षतः या परोक्षतः हितधारक जिनमें प्रथम कार्रवाई–कर्ता, जैसे पुलिस, अग्निशमन सेवा, सिविल रक्षा, राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल और अन्य अर्धसैनिक बल भी शामिल हैं, (iv) मीडिया सहित गैर सरकारी संस्थाएं और जनसाधारण।

4.23 इस रिपोर्ट के अंतिम प्रारूप पर विस्तारित कोर समूह द्वारा मार्च, 2010 में चर्चा की गई थी । इस रिपोर्ट का लोकार्पण 17 अगस्त, 2010 को किया गया था ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश – सुनामी का प्रबंधन

4.24 तारीख 26 दिसंबर, 2004 को हिन्द महासागर सुनामी ने 14 देशों में 'समुद्री–तटवर्ती समुदायों' को विध्वंस कर दिया था । उसने केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के तटवर्ती गांवों में अपार जान-माल, आस्तियों और बुनियादी ढांचों को क्षति पहुँचाई। सुनामी जोखिम और असुरक्षितता, जिसके शिकार भारत के तटीय समुदाय, इंडोनेशिया में सुदूर उच्च तीव्रता के भूकम्प द्वारा भी हुए थे, निशंक जनता के लिए एक धक्का और अचम्भा थी। कारगार सुनामी शीघ्र चेतावनी प्रणाली (टी.ई.डब्ल्यू.एस.) की अनुपस्थिति तथा सावधान और शीघ्र चेतावनी संदेश तटवर्ती समुदायों को सूचना देने हेतु सर्वत्र संपर्कता एवं विभिन्न हितधारकों में जन जागरूकता और आपात कार्रवाई तैयारी के अभाव के फलस्वरूप सुनामी के प्रति कार्रवाई और अधिक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण हो गई।

4.25 भारत के दोनों, पूर्वी और पश्चिमी तट तथा द्वीप क्षेत्र, पांच संभाव्य स्रोत क्षेत्रों से सुनामी द्वारा प्रभावित रहते हैं अर्थात् अंडमान-निकोबार-सुमात्रा द्वीप आर्क, भारत–बर्मा अंचल, नेसेन्ट सीमा (मध्य हिन्द महासागर में) चगोस आर्कीपेलगो तथा मकरान सबडक्शन जोन ।

4.26 ये दिशानिर्देश इस तथ्य को स्वीकार करते हुए तैयार किए गए हैं कि हालांकि सुनामी निम्न संभावनावाली घटना है फिर भी इसके परिणामस्वरूप तटीय क्षेत्रों में जान-माल की अपार हानि, आस्तियों और बुनियादी ढांचों की क्षति हो सकती है। इन दिशानिर्देशों को तैयार करने के प्रयासों का मार्गदर्शन प्रो. एन. विनोद चन्द्र मेनन, सदस्य एन.डी.एम.ए.

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश सुनामी प्रबंधन के लोकार्पण के अवसर पर श्री पृथ्वीराज चव्हाण माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जनरल एन. सी. विज उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. और प्रो. एन. वी. सी. मेनन, सदस्य, एन.डीएम.ए. के साथ

द्वारा किया गया । सुनामी के प्रबंधन के दिशानिर्देश का लोकार्पण श्री पृथ्वीराज चव्हाण, माननीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी भू-विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री, लोक शिकायत और पेंशन तथा संसदीय कार्य राज्यमंत्री ने एन.डी.एम.ए. भवन में तारीख 3 सितंबर, 2010 को किया ।

4.27 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश - सुनामी प्रबंधन दिशानिर्देश के मुख्य बिंदु निम्न प्रकार हैं :-

- कच्छ वनस्पति और शरण पट्टी पौधों की भांति जैव कवच के विकास की भांति तटवर्ती क्षेत्रों की असुरक्षितता को कम करने हेतु सुधार करने के लिए एवं समयबद्ध रीति से तटवर्ती प्रदूषण पर विचार करने के लिए वृहत समाधानों का एक समूह तैयार रखना है।
- सजगता, निगरानी और शीघ्र चेतावनी संदेशों के मुद्दे के लिए भारत की अत्याधुनिक सुनामी शीघ्र चेतावनी प्रणाली की समीक्षा की गई है तथा प्रचुर अधिचित्रों (ओवरलेज) का इस्तेमाल करते हुए सर्वत्र संपर्कता के माध्यम से तटवर्ती समुदायों को ऐसे संदेशों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रस्तावित व्यवस्था वर्णित किये गये हैं।
- सुनामी जोखिम के बारे में जन जागरूकता को सुदृढ़ बनाने की और तटवर्ती समुदायों में असुरक्षितता दूर करने की रणनीतियों की रूपरेखा दी गई है ।
- सुनामी जोखिम प्रबंधन को शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा तैयारी उपायों को सुदृढ़ करने, शिक्षा, अनुसंधान और प्रलेखन को मजबूत बनाने की रणनीतियां वर्णित हैं ।
- आपदा के पारंपरिक निपटान रणनीतियों को समझने तथा सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए स्वदेशी पारम्परिक ज्ञान की जरूरत को उजागर किया गया है, जबकि साथ ही साथ, आपदा-प्रवण समुदायों को शीघ्र चेतावनी देने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियां के नियोजन पर भी बल दिया गया है ।
- तटवर्ती असुरक्षितता मानचित्रों की तैयारी की जरूरत पर जोर दिया गया है जिनमें बड़े पैमाने पर तटवर्ती भूमि उपयोग मानचित्र, सुनामी लहरों की ऊंचाई तथा तटवर्ती गहराई मापी यंत्र पर आधारित जलमग्नता दूरी, भी समाविष्ट हो एवं समुचित अवस्थानों पर डिजिटल उत्थान मानचित्रों की तैयारी तथा उपरोक्त जानकारी का प्रयोग करते हुए जलमग्नता परिदृश्यों की रचना भी शामिल है ।
- बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में लगाए गए महत्वपूर्ण शीघ्र चेतावनी उपकरणों की सुरक्षा के लिए निगरानी बढ़ाने की जरूरत को प्रधानता से व्यक्त किया गया है ताकि ये नाजुक उपकरण सुरक्षित रूप से काम कर सकें और मछुआरों तथा नाविकों के हाथों नष्ट/खराब किये जाने से उनकी रक्षा की जा सके ।

- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारियों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम जैसी स्कीमों के लिए पात्र होने के लिए तटवर्ती सुरक्षा उपायों के समावेश की संभावना का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है क्योंकि वे रोजगार निर्माण के उद्देश्य को पूरा करेंगी और दुर्बल तटवर्ती क्षेत्रों की अत्यावश्यक सुरक्षा की व्यवस्था करेगी।
- नई इमारतों के डिजाइन और निर्माण के बारे में तथा सागर-तट के साथ-साथ बनी महत्वपूर्ण और प्राथमिकता वाली इमारतों की सुरक्षा की रणनीतियों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं ।
- हितधारकों की सुनामी पश्चात् कार्रवाई क्षमता को प्रबल करने के लिए एक विराट तंत्र प्रस्तावित करते हैं ।
- कॉर्पोरेट सेक्टर सहित बहु–हितधारकों के साथ समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन में समुदायों को मुख्य स्थान प्रदान करते हैं ।
- बहु-संकटीय स्थितियों पर विचार करने के लिए तटवर्ती समुदायों में से प्रशिक्षित कार्मिक तैयार करने के लिए ये दिशानिर्देश बड़े पैमाने पर समाज को जुटाने की हिमायत करते हैं ।
- राष्ट्रीय राज्य और जिला स्तरों पर आपदा प्रबंधन योजनाओं में सुनामी से संबद्ध मुद्दों के समावेश की व्यवस्था करते हैं तथा विशिष्ट सुनामी प्रबंधन योजना तैयार करने की सिफारिश करते हैं ।
- बी.आई.एस. यह सुनिश्चित करेगा कि 'क्राइटेरिया फॉर सुनामी रजिस्टेन्ट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स' शीर्षक के प्रारूप मानक अंतिम रूप से प्राथमिकता के आधार पर तैयार किए जाएं और उनका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। बी.आई.एस. सुनामी और तूफानी प्रवाहों (सर्ज) के विरुद्ध प्रकृति के जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए अन्य आवश्यक मानक भी तैयार करेगी । बी.आई.एस. उनके द्वारा तैयार किए गए मानकों और संहिताओं की भी समय-समय पर समीक्षा करेगा और जहां आवश्यक होगा वहां यह सुनिश्चित करेगा कि इन मानकों और संहिताओं का नियमित रूप से समीक्षा और अद्यतन कार्य किया जाए तथा सार्वजनिक क्षेत्र में आम जनता हेतु प्रस्तुत कर दिया जाए ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश – सूखा संबंधित प्रबंधन

4.28 सूखा व्यापक महत्व की जटिल भौतिक और सामाजिक प्रक्रिया का एक धीमा उग्र प्राकृतिक विपदा है । भारत में सूखा दोनों क्षेत्रों जहां ज्यादा वर्षा होती है और जहां बहुत कम वर्षा होती है, में पड़ता है। सूखा अब मात्र वर्षा की कमी या अनुपस्थिति होना नहीं रहा है बल्कि इसका संबंध अकुशल जल संसाधन प्रबंधन से भी है । भारत में पिछली दो शताब्दियों में सूखा पड़ने के विश्लेषण से हाल के वर्षों में कोई बढ़ोतरी वाली प्रवृत्ति दिखाई नहीं पड़ती फिर भी उसकी गंभीरता बढ़ती प्रतीत होती है । अन्य अनेक संकटों से भिन्न, सूखे का असर प्रशमन और तैयारी के उपायों के माध्यम से काफी कम किया जा सकता है ।

4.29 हालांकि प्रख्यात व्यक्तियों की अध्यक्षता विभिन्न विशेषज्ञ समितियां और कार्य दल ने अतीत में इस आपत्ति का अध्ययन किया है और उन्होंने उपयोगी सिफारिशें की हैं और सुझाव दिए हैं, किंतु उनमें से अनेक का अभी कार्यान्वयन किया जाना शेष है। एन.डी.एम.ए. ने कृषि और सहकारिता विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र के प्रतिनिधियों एवं अन्य हितधारकों सहित विशेषज्ञों का एक विस्तारित और प्रमुख समूह सूखा प्रबंधन विषयक दिशानिर्देश तैयार करने के लिए उन सबको एक मंच पर लाने की दृष्टि से

गठित किया था । ये दिशानिर्देश डा. मोहन कांडा, सदस्य, एन.डी.एम.ए. की अध्यक्षता में तैयार किए गए ।

4.30 ये दिशानिर्देश संकट प्रबंधन के पारम्परिक दृष्टिकोण अपनाने के बजाय जोखिम प्रबंधन पर जोर डालते हैं, जहां जोर अनुक्रियात्मक आपात स्थिति कार्रवाई उपायों पर होता है । क्षेत्रों, समुदायों, आबादी समूहों और अन्य के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण तैयार करने से कारणों के साथ क्षेत्रों और समुदायों की असुरक्षितता संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी सुलभ कराएंगे। जब इस जानकारी को योजना प्रक्रिया में एकीकृत कर दिया जाए तो ये विनिर्दिष्ट क्षेत्रों की पहचान करके और प्राथमिकता प्रदान करके प्रक्रिया के परिणाम को बेहतर बना सकते हैं जहां जोखिम प्रबंधन में प्रगति की जा सकती है।

शहरी बाढ़ प्रबंधन दिशानिर्देश के लोकार्पण के अवसर पर श्री एम. शशिधर रेड्डी, सदस्य, एन.डी. एम. ए. के साथ जनरल एन.सी. विज उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए.

4.31 एन.डी.एम.ए. ने अगस्त, 2008 में सूखा प्रबंधन पर एक प्रमुख समूह गठित किया था जिसने नोडल अभिकरण के रूप में कृषि मंत्रालय ने सूखे के प्रबंधन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश तैयार करने में एन.डी.एम.ए. की सहायता की । ये दिशानिर्देश संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों, सभी सूखा प्रवृत्त राज्यों की सरकारों, शैक्षणिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों आदि के परामर्श से और उनके सहयोग से विस्तारित प्रमुख समूह की बैठकों के माध्यम से बनाए गए हैं । सूखा प्रबंधन के दिशानिर्देश 24 सितंबर, 2010 को सचिव, कृषि मंत्रालय को सौंप दिए गए ।

आपदा प्रबंधन में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर रिपोर्ट

4.32 आपदा प्रबंधन में गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) की भूमिका पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन रिपोर्ट एन.डी.एम.ए. द्वारा प्रख्यात मानवीय सहायता संबंधी कार्यकर्ताओं, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों तथा देश में वरिष्ठ प्रशासकों के परामर्श से बनाए गए हैं । गैर सरकारी संगठनों ने अपनी निःस्वार्थ सेवा देकर हाशिये पर आए वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों के विकास में काफी योगदान दिया है। उन्होंने स्थानीय स्तर पर त्वरित और दक्षतापूर्ण ढंग से कार्रवाई करने में लचीलापन दिखाया है तथा वे प्रायः आपदा स्थल पर पहुंचने वाले प्रथम संगठित समूह होते हैं। आपदा से निपटने की तैयारी तथा समाज के स्तर पर प्रशमन के लिए गैर सरकारी संस्थाओं की पेशेवर और नवाचारी भागीदारी अब उत्तरोत्तर बढ़ती दिखाई देती है। आपदा पश्चात् काल की राहत से आपदा पूर्व तैयारी, प्रशमन और देश में बेहतर आपात कार्रवाई क्षमताओं के आपदा प्रबंधन में आमूल बदलाव से गैर सरकारी संगठनों के पास अधिक प्रतिस्पर्धी फायदे तथा जागरूकता अभियान, समुदाय स्तर की तैयारी और समुदायों की क्षमता निर्माण क्षेत्रों में प्रचालनों की अधिक नम्यता रही है, जबकि सरकारी अभिकरणों के पास ढांचागत सुरक्षा के नियम, प्रक्रिया और विनियम बनाने और साथ ही साथ आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत प्रतिबद्धता करने तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण को विकास परियोजनाओं में उपयोग में लाने के लिए अपनी आन्तरिक (कोर) क्षमताएं होती हैं ।

4.33 समय की जरूरत के अनुसार, एन.डी.एम.ए. ने 2006 में एक राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन कार्य दल स्थापित किया था तथा आपदा प्रबंधन में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को समेकित और स्पष्ट करने हेतु रणनीतियों पर परिचर्चा करने के लिए इस कार्य दल की अनेक बैठकें आयोजित की गईं। जनवरी, 2006 में एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित किए जाने के बाद एन.डी.एम.ए. द्वारा आपदा प्रबंधन में गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका पर प्रारूप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन रिपोर्ट तैयार करने

के लिए अनेक प्रमुख समूह गठित किए गए । इन रिपोर्टों का विभिन्न भागीदारों द्वारा पुनर्विलोकन किया गया । ये रिपोर्टें भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को भी उनके फीडबैक के लिए भेजी गईं । भागीदारों के फीडबैक और सुझावों का पुनर्विलोकन किया गया तथा जहां कहीं आवश्यक था वहां उन्हें समाविष्ट किया गया । राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ और वरिष्ठ प्रशासकों के साथ रिपोर्टों में सुधार करने के लिए उनके फीडबैक और सुझाव जानने हेतु वीडियो सम्मेलन भी आयोजित किए गए ।

4.34 आपदा प्रबंधन में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर रिपोर्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के ढांचे के अंतर्गत आपदा प्रबंधन चक्र के विभिन्न चरणों के दौरान गैर सरकारी संगठनों एवं सरकारी संगठनों के बीच अधिक समन्वय सुकर बनाने के लिए तैयार की गई है । इस रिपोर्ट के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण को उनकी विभागीय गतिविधियों में उपयोग हेतु लाने के लिए गुंजाइश, भूमिका और अवसरों को तलाशा गया है ।

शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश

4.35 यद्यपि भारत में कई दशकों से शहरों में बाढ़ें देखने को मिलती हैं फिर भी समग्र रूप से उसके बारे में कार्रवाई करने के लिए विनिर्दिष्ट प्रयासों को योजनाबद्ध करने के लिए पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया । अतीत में, बाढ़ आपदा प्रबंधन विषयक किसी भी रणनीति में व्यापकतः ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े-बड़े भूभागों को प्रभावित करने वाली नदियों की बाढ़ों पर ध्यान केंद्रित रहा है ।

4.36 शहरी बाढ़ें ग्रामीण बाढ़ों से बहुत भिन्न होती हैं क्योंकि शहरीकरण से जलागम (कैचमेंट) क्षेत्र बन जाते हैं जिससे बाढ़ शिखर (फ्लड पीक्स) 8 गुणा तक बढ़ जाते हैं और बाढ़ परिमाण 6 गुणा तक बढ़ जाते हैं । परिणामस्वरूप बाढ़ तेज बहाव की वजह से अत्यधिक तेजी से कभी-कभी मिनटों में फैल जाती है ।

4.37 शहरी क्षेत्र में अनेक बुनियादी ढांचे होने के कारण, वे आर्थिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं, जिनकी सुरक्षा सदैव (24x7) की जानी चाहिए । अधिकांश शहरों में, प्रमुख भवनों आदि की क्षति से स्थानीय असर ही नहीं पड़ता बल्कि उससे परिणाम वैश्विक स्तर पर भी हो सकते हैं ।

4.38 शहरों में घनी आबादी होती है और असुरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले धनी और गरीब दोनों बाढ़ से प्रभावित होते हैं उसके परिणामस्वरूप जान-माल की क्षति होती है, परिवहन और बिजली आपूर्ति में बाधा आती है जिससे जिंदगी ठहर जाती है और उसके कारण अनकहे कष्ट और कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। बाद में होने वाली महामारी और संक्रामक रोग फैलने के गौण प्रभाव भी प्रायः जिन्दगी को दूभर बना देते हैं जिससे आजीविका से हाथ धोना पड़ता है, मानव कष्ट से कराह उठता है तथा चरम मामलों में आदमी अपने प्राण भी गवां बैठते हैं । इसलिए, शहरी बाढ़ों के प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी ।

4.39 विगत अनेक वर्षों में भारत में शहरी बाढ़ आपदा की प्रवृत्ति बढ़ती रही है। भारत में प्रायः हर बड़ा शहर गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। जुलाई, 2005 की मुंबई बाढ़ आंख खोलने वाली, सबक देने वाली सिद्ध हुई । भारत में पहली बार, एन.डी.एम.ए. ने शहरी बाढ़ों को एक पृथक् आपदा के रूप में नदी की बाढ़ से जो ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित करती है, अलग करके विचार करने का फैसला किया । शहरी बाढ़ प्रबंधन दिशानिर्देश का लोकार्पण जनरल एन.सी. विज, माननीय उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. द्वारा 27 सितंबर, 2010 को किया गया ।

4.40 शहरी बाढ़ प्रबंधन दिशानिर्देशों के प्रमुख कार्य बिंदु निम्नलिखित है :–

- शहरी विकास मंत्रालय शहरी बाढ़ों के लिए नोडल मंत्रालय होगा,
- शहरी विकास मंत्रालय, राज्य नोडल विभागों और यू. एल. बी. में शहरी बाढ़ प्रकोष्ट की स्थापना होगी,
- राष्ट्रीय स्तर और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

दोनों स्तरों पर शहरी बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए एक तकनीकी केन्द्र स्थापित किया जाएगा,

- आई.एम.डी. 'स्थानीय नेटवर्क प्रकोष्ट' करेगा।
- सभी 2309 वर्ग I, II, III शहरों और कस्बों में हर 4 वर्ग कि.मी. में 1 की सघनता के साथ तत्काल के लिए स्वतः वर्षा मापक (ए.आर.जी.) के स्थानीय नेटवर्क की स्थापना होगी ।
- अधिकतम संभव अग्र समय (लीड टाइम) के साथ वर्धित स्थानीय मान पूर्वानुमान सामर्थ्य के लिए सभी शहरी क्षेत्रों को समाविष्ट करने के लिए देश में डोपलर मौसम रेडार नेटवर्क का अनुकुल विस्तार किया जाएगा ।
- आई.एम.डी. वाटर शेड के आधार पर शहरी क्षेत्रों के उप मंडलों के लिए प्रोटोकॉल विकसित करेगा और वाटर शेड आधार पर वर्षा का पूर्वानुमान जारी करेगा,
- शहरी बाढ़ की शीघ्र चेतावनी प्रणाली स्थापित करना,
- जलागम क्षेत्र (कैचमेंट) तूफानी जल निकासी प्रणाली के डिजाइन का आधार होगा ।
- वाटर शेड सभी शहरी बाढ़ आपदा प्रबंधन कार्रवाइयों का आधार होगा ।
- सभी वर्ग I, II, III के 2309 शहर और कस्बे जी. आई. एस. प्लेटफार्म पर मानचित्रित किए जाएंगे ।
- कांटूर मानचित्रण 0.2-0.5 एम. कांटूर इंटरवल पर तैयार किया जाएगा ।
- वर्तमान सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल प्रणाली की सूची जी. आई. एस. प्लेटफार्म पर तैयार की जाएगी ।
- भावी तूफानी जल निकासी प्रणालियां अनुमोदित भूमि उपयोग पद्धति को ध्यान में रखकर तार्किक पद्धति का इस्तेमाल करते हुए 0.95 तक रनआफ कोफिशियंट के साथ डिजाइन की जाएंगी ।
- मानसून पूर्व नालियों को गाद मुक्त करने का काम हर वर्ष 31 मार्च से पहले पूरा कर लिया जाएगा ।
- इसे मॉनीटर करने के लिए तथा सभी शहरी बाढ़ आपदा प्रबंधन कार्रवाइयों के लिए निवासी कल्याण संघ (आर. डब्ल्यू. ए.) और समुदाय आधारित संगठनों (सी.बी.ओ.) को इस काम में लगाना होगा।
- हर भवन में भवन उपयोगिता के अभिन्न संघटक के रूप में वर्षा जल-संग्रह प्रणाली होगी।
- गरीब लोगों को वैकल्पित आवास सुविधा प्रदान करके नालियों पर और बाढ़ प्रवण मैदानों में से अतिक्रमण हटाए जाएंगे।
- प्रौद्योगिकीय-विधिक व्यवस्था का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।
- समन्वित अनुक्रिया कार्रवाइयों के लिए घटना कार्रवाई प्रणाली स्थापित करना ।
- शहरी बाढ़ आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समुदाय और संस्था के स्तर पर क्षमता विकास करना ।
- ठोस कबाड़ निपटान, अतिक्रमण की समस्या, अन्य सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के अलावा प्रौद्योगिकीय-विधिक व्यवस्था की प्रासंगिकता को समाविष्ट करते हुए विशाल जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं ।
- जागरूकता पैदा करने में निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए ।

निर्माणाधीन दिशानिर्देश

राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क विषयक राष्ट्रीय दिशानिर्देश की तैयारी

4.41 इस अवधि में इस विषय पर प्रमुख समूह की अनेक बैठकें हुईं हैं और विशेषज्ञों के साथ परामर्श किए गए हैं और दिशानिर्देशों का अंतिम प्रारूप तैयार हो रहा है । उसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- दृश्य और श्रव्य की बहु-सेवा तथा जी. आई. एस. आधारित मूल्य वर्धित सूचना प्रणाली से आवर्धित आंकड़े ।
- आपदा चक्र के सभी चरणों के दौरान सर्वत्र संपर्क पर विशिष्ट बल देते हुए, विश्वसनीय, समर्पित और प्रौद्योगिकी आधारित राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क।
- जिला स्तर पर मोबाइल संचार पैकेज तथा एन.डी.आर.एफ. के लिए परिवहन योग्य संचार प्रणाली ।

अग्निशमन सेवा के स्तर निर्धारण, उपकरण की किस्म और प्रशिक्षण विषयक राष्ट्रीय दिशानिर्देश की तैयारी

4.42 13वें वित्त आयोग को एन.डी.एम.ए. द्वारा रखे गए प्रस्ताव और अग्निशमन सेवाओं के पुनरूद्धार के लिए राज्यों और स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में उसकी सकारात्मक मंजूरी के परिणामस्वरूप देश में स्तर निर्धारण, उपकरण की किस्म और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश बनाने का फैसला किया गया। इन दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए एन.डी.एम.ए. में 22 मार्च, 2010 को एक बैठक आयोजित की गई। उस बैठक में, भारत की अग्निशमन सलाहकार समिति को आमंत्रित किया गया । इन दिशानिर्देशों को तैयार किया जा रहा है ।

आपदा प्रबंधन कार्य दल

4.43 एन.डी.एम.ए. के परामर्श से, योजना आयोग ने बारहवी पंचवर्षीय योजना के लिए आपदा प्रबंधन पर एक कार्य दल का गठन किया। उस दल में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, वैज्ञानिक, शैक्षणिक और तकनीकी संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों और अन्य प्रख्यात हितधारकों की सहभागिता रही । विचारार्थ विषयों में वर्तमान संस्थागत ढांचों को सुप्रवाही बनाने के उपायों की सिफारिश करना, आपदा जोखिम न्यूनीकरण में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए नये-नये उपाय और साधन खोजना, सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रोत्साहित करने के लिए कार्य–योजना और नीति की रूपरेखा बनाना, आपदा प्रबंधन से संबद्ध निहित सरोकारों को केंद्रीय सेक्टर तथा केंद्र प्रायोजित स्कीमों/परियोजनाओं में शमिल करने पर एकीकरण का आकलन और केंद्र, राज्य और जिला स्तरों पर आपदा प्रशमन के लिए क्षमता निर्माण के कार्यक्रमों का सुझाव देना शामिल है ।

4.44 बारहवीं पंचवर्षीय योजना पर आपदा प्रबंधन कार्य दल केंद्रीय सेक्टर और सभी सेक्टरों की केंद्र प्रायोजित स्कीमों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण संघटक शामिल करने के लिए भी गंभीरता से सोच रहा है।

5 क्षमता विकास

प्रस्तावना

5.1 क्षमता विकास के रणनीतिक तरीके पर हितधारकों की सक्रिय और उत्साहवर्धक सहभागिता से ही कारगर ढंग से विचार किया जा सकता है । इस प्रक्रिया में जागरूकता सृजन अभियान चलाना, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास (आर. एंड डी.) आदि शामिल हैं । इसमें समुचित संस्थागत संरचना, प्रबंधन प्रणालियां और आपदाओं का कारगर निवारण तथा निपटने के लिए संसाधनों के आबंटन करना भी शामिल है।

5.2 क्षमता विकास के तरीके में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- क्षेत्रीय विविधता और बहु-संकटीय संवेदनशीलताओं की दृष्टि से उनकी विनिर्दिष्ट जरूरतों के लिए, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियां विकसित करने के लिए, प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना।
- राज्यों और अन्य हितधारकों के सहयोग से, जिसमें राज्य और स्थानीय स्तर के प्राधिकारी कार्यान्वयन प्रभारी हों, परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियों की अवधारणा बनाना।
- बेहतर कार्य–निष्पादन के रिकॉर्ड वाली ज्ञान–आधारित संस्थाओं की पहचान ।
- अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना ।
- पारंपरिक और संसार की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों को अपनाना ।
- योजनाओं को परखने के लिए टेबल टॉप अभ्यासों, अनुरूपणों, मोक ड्रिलों तथा कौशल विकास पर जोर देना ।
- राज्य/जिला/स्थानीय स्तरों पर विभिन्न आपदा कार्रवाई दलों का क्षमता विश्लेषण।

इग्नू की सहभागिता में पी.आर.आई और यू.एल.बी. के क्षमता निर्माण पर प्रायोगिक (पायलट) परियोजना

5.3 इस वर्ष के दौरान एक अन्य प्रमुख क्रियाकलाप 11 संकट प्रवण राज्यों अर्थात् - महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा और गुजरात के 54 जिलों में जिला स्तर पर सरकारी पदाधिकारियों, पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय शहरी निकायों के प्रतिनिधियों में संयुक्त रूप से और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के सहयोग से आपदा प्रबंधन में क्षमता निर्माण पर प्रायोगिक परियोजना की पहल करना था ।

5.4 क्षमता विकास हेतु पहचान किए गए (निर्धारित) राज्य और जिले ये हैं :

- आंध्र प्रदेश - अनंतपुर, महबूब नगर, श्रीकाकुलम, नैल्लोर, प्रकाशम ।
- असम - धेमाजी, लखीमपुर, बारपेटा, धूवरी, कछार ।
- बिहार - सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, सुपौल, माधेपुरा ।
- हरियाणा - गुडगांव, पानीपत, अम्बाला, यमुना नगर, रोहतक ।
- हिमाचल प्रदेश - कुल्लू, किन्नौर, चम्बा, कांगड़ा, मनाली ।

- केरल - इडुक्की, वायानाड, मलप्पुरम, एर्नाकुलम और पलक्काड़।
- महाराष्ट्र - नाशिक, रायगढ़, ठाणे, पुणे, सतारा।
- उड़ीसा- गंजम, भद्रक, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, बालासौर।
- त्रिपुरा - उत्तरी त्रिपुरा, दक्षिणी त्रिपुरा, पूर्वी त्रिपुरा (ढलाई) पश्चिमी त्रिपुरा ।
- उत्तराखंड - बागेश्वर, पिथौरागढ़, रूद्र प्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी ।
- पश्चिम बंगाल - बांकुरा, दक्षिण दीनाजपुर, मुर्शिदाबाद, बुर्दवान, पूर्बा मेदिनीपुर।

5.5 परियोजना को विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्यान्वित करने की दृष्टि से इग्नू द्वारा 16 अप्रैल, 2010 को परियोजना का प्रयोजन पूरा करने के लिए अपेक्षित मुद्रण सामग्री दृश्य/श्रव्य कार्यक्रम विकसित करने के लिए तथा आमने-सामने अभिविन्यास कार्यक्रम के प्रशिक्षण आधारित विश्लेषण के लिए 11 राज्यों के ए.टी.आई. में दो दिवसीय कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए लोक प्रशासन संकाय, इग्नू और एन.डी.एम.ए. अधिकारियों तथा ए.टी.आई. संकाय के बीच विस्तृत विचार-विनिमय के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई । प्रशिक्षण आधारित विश्लेषण पर आधारित स्व-शिक्षण पृष्ठभूमि सामग्री तैयार की गई ।

5.6 इस परियोजना के अंतर्गत, चुने हुए जिलों (हर जिले में 8) के राज्य ए. टी.आई. और इग्नू अध्ययन केंद्रों में 440 एफ.एफ.टी.पी. में 11 प्रायोगिक प्रत्यक्ष (फेस टू फेस) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हर जिले में, 300 लोग परियोजना में प्रशिक्षित किए जाएंगे जिनमें से 75 सरकारी पदाधिकारी होंगे और 225 पी.आर.आई./यू.एल.बी. के प्रतिनिधि होंगे । इस प्रकार कुल मिलाकर, 16,200 सरकारी अधिकारी और पी.आर.आई. तथा यू.एल.बी. के प्रतिनिधियों को इस परियोजना के अधीन आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित किया जाएगा।

5.7 अब तक, 14 और 15 मार्च, 2011 को बिहार में, 24 और 25 मार्च, 2011 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में तथा 28 और 29 मार्च, 2011 को नैनीताल, उत्तराखंड में विषय उन्मुखी कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं ।

राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण संस्थाओं में क्षमता निर्माण कार्यक्रम

5.8 आपदा प्रबंधन में पुलिस की भूमिका आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के उपबंधों तथा जिला आपदा प्रबंधन योजना, घटना कार्रवाई प्रणाली, एन.डी.आर.एफ. (राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल) की क्षमताओं, वरिष्ठ आई.पी.एस. अधिकारियों के लिए संकट और आपदा प्रबंधन पर टेबल टाप तथा कृत्रिम अभ्यासों, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एस.पी. तथा उच्चतर अधिकारियों को शामिल करते हुए आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम को एक कैप्सूल पाठ्यक्रम के रूप में तैयार किया गया। कुल मिलाकर 54 कैप्सूल पाठ्यक्रम आयोजित किए गए तथा 1848 अधिकारियों को वर्ष 2010-2011 में इस कार्यक्रम में संवेदी बनाया गया ।

आपदा जोखिम कमी परियोजना

5.9 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा जोखिम कमी के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण के संपूर्ण उद्देश्य से भारत सरकार - यू.एन.डी.पी. आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (2009-2012) को कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना का लक्ष्य राज्य और जिला स्तरों पर आपदा प्रबंधन संगठनों के क्षमता निर्माण कार्य को सुदृढ़ करना है तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में यथा अनुबंधित विभिन्न आपदा प्रबंधन क्रियाकलापों की पहल करता है । यह परियोजना दिल्ली समेत 26 राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। डी.आर.आर. परियोजना (2009-2012) की परियोजना संचालन समिति की अध्यक्षता राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव द्वारा की जाती है और यह समिति परियोजना को संपूर्ण मार्गदर्शन और

पर्यवेक्षण प्रदान करती है तथा संयुक्त सचिव (नीति, योजना और क्षमता निर्माण), राष्ट्रीय परियोजना निदेशक हैं। एन.डी.एम.ए.-यू.एन.डी.पी. के द्वारा हस्ताक्षरित वार्षिक कार्य योजना (ए.डब्ल्यू.पी.), 2011 पर आधारित प्रत्येक राज्य को एन.डी.एम.ए. के परामर्श से और उसके अनुमोदन से अपनी ए.डब्ल्यू.पी. 2011 विकसित करना था। डी.आर.आर. परियोजना के अंतर्गत वर्तमान वर्ष, 2011 के दौरान ए.डब्ल्यू.पी. निम्नलिखित राज्यों के लिए अनुमोदित की गई है - आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, झारखंड, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल तथा ए.डब्ल्यू.पी. 2011 के अधीन विभिन्न अनुमोदित स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए इन राज्यों को 225 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई है ।

सी.बी.आर.एन. आपातस्थितियों के लिए तैयारी कार्यक्रम

5.10 इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण पहल–कार्य निम्न प्रकार हैं :–

क्रमांक	कार्यशाला/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रम/परियोजना का नाम	तारीख
1.	सी.बी.आर.एन. कैज्युल्टी, जयप्रकाश नारायण अपेक्स ट्रॉमा सेन्टर, एम्स, नई दिल्ली के आपात चिकित्सा कार्रवाई की तैयारी के बारे में प्रशिक्षण ।	28 से 30 अप्रैल, 2010
2.	सी. बी. आर. एन. कैज्युल्टी, जय प्रकाश नारायन अपेक्स ट्रॉमा सेन्टर, एम्स, नई दिल्ली के आपात् चिकित्सा कार्रवाई की तैयारी के बारे में प्रशिक्षण ।	15 से 17 सितंबर, 2010
3.	संसद् भवन में सी.बी.आर.एन आपदाओं से निपटने की तैयारी और कार्रवाई के लिए संसद भवन कॉम्पलेक्स की सी.बी.आर.एन. सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	19 से 20 जनवरी, 2011
4.	संसद भवन में सी.बी.आर.एन. आपदाओं से निपटने की तैयारी और कार्रवाई के लिए संसद् भवन कॉम्पलेक्स की सी.बी.आर.एन. सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	9 से 10 फरवरी, 2011
5.	जापान में फुकुशिमा नाभिकीय विद्युत संयंत्र रिएक्टर से विकिरण रिसाव की दृष्टि से जापान से आने वाले यात्रियों को मॉनीटर करने के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया । उस दल ने किसी रेडियोधर्मी कण के संदूषण के लिए 587 यात्रियों की छानबीन की । किंतु किसी भी यात्री पर ऐसा कोई संदूषण नहीं पाया गया ।	17 मार्च, 2011

सिविल सुरक्षा

आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम

5.11 लोगों में जागरूकता सृजन तथा समाज को आपात की दशा में प्रथम कार्रवाई–कर्ता के रूप में तैयार करने की दृष्टि से दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में चार संगोष्ठियां आयोजित की गईं। सिविल सुरक्षा तैयारी रिपोर्ट के कार्यान्वयन कार्यक्रम पर नजर रखने के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, असम और झारखंड राज्यों में इस संगठन को सुदृढ़ करने के बारे में सिविल रक्षा स्वयंसेवकों को भी सुग्राहीकृत किया गया ।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) के कैडेटों का प्रशिक्षण

5.12 एन.सी.सी. कैडेटों को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण देने का काम एन.डी.एम.ए. द्वारा अपने हाथ में लिया

गया । प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- एन.सी.सी. कैडेटों में जागरूकता पैदा करना।
- आपात् प्राथमिक उपचार, खोज और बचाव तथा अग्नि शमन का प्रशिक्षण देना,
- एन.सी.सी. कैडेटों को आपदा प्रबंधन ढांचे में शामिल करना, तथा
- रोकथाम और तैयारी की संस्कृति का संवर्धन।

5.13 वर्ष 2010-2011 में, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कुल 50,300 एन.सी.सी. कैडेटों को दिया गया । प्रशिक्षित एन.सी.सी. कैडेटों का ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है :

एन.सी.सी. कैडेटों का विभिन्न नियमित शिविरों (कैम्पों) में प्रशिक्षण

क्र.सं.	राज्य	प्रशिक्षित एन.सी.सी. कैडेट
1.	आंध्र प्रदेश	5000
2.	उत्तर प्रदेश	5000
3.	बिहार	2100
4.	पंजाब	3000
5.	हरियाणा	1800
6.	महाराष्ट्र	1600
7.	उड़ीसा	1700
8.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	2600
9.	गुजरात	2500
10.	जम्मू एवं कश्मीर	4500
11.	दिल्ली	5600
12.	मध्य प्रदेश	2000
13.	राजस्थान	3000
14.	उत्तराखंड	1800
15.	पश्चिम बंगाल	2000
16.	केरल	1000
17.	कर्नाटक	1500
18.	तमिलनाडु	2500
19.	नागालैंड	1100
	योग	50300

6 जागरूकता सृजन

प्रस्तावना

6.1 यह मानते हुए कि आपदा प्रबंधन और समुदाय तैयारी के लिए जागरूकता सक्रिय दृष्टिकोण की आधारशिला है, एन.डी.एम.ए. ने इस संबंध में अनेक पहल–कार्य किए हैं। चालू कार्यक्रम के रूप में जागरूकता पैदा करने के लिए तथा जिला/समुत्थान स्तरों पर योजना में अंतरालों की पहचान करने के लिए मॉक ड्रिल नियमित रूप से की जा रही हैं । समाज को आपदा जोखिमों और उसकी असुरक्षितताओं के बारे में संवेदी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है । देश की आई.सी.टी. पहल में जागरूकता सृजन कार्यक्रम को केंद्र बिंदु बनाने के लिए साक्षात्कार, लेख और प्रेस विज्ञप्तियां जारी की जा रही हैं ।

कृत्रिम अभ्यास

6.2 यह पहल प्राकृतिक और मानव जनित, दोनों प्रकार की आपदाओं के प्रबंधन की कारगरता का पुनर्विलोकन करने तथा जन-जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों को सुविधा प्रदान करने के लिए एन.डी.एम.ए. द्वारा शुरू की गई सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक है । ये अभ्यास राज्य सरकारों की सिफारिशों पर अत्यंत असुरक्षित जिलों और उद्योगों में आयोजित किए जाते हैं। कृत्रिम अभ्यास का लक्ष्य निम्न पंक्ति के लोगों में जन-जागरूकता पैदा करना तथा प्राकृतिक और मानव जनित दोनों प्रकार की आपदाओं की योजनाओं की कारगरता का पुनर्विलोकन करना है ।

6.3 ये अभ्यास कदम-दर-कदम तरीके को अपनाकर एक सुनियोजित और व्यापक रीति से आयोजित किया जाता है। प्रारंभिक चरण में, विभिन्न साझेदारों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को उजागर करने के लिए विषय–अनुकूलन एवं समन्वय सम्मेलन आयोजित किया जाता है । अगले चरण में, अनुकरण किए गए परिदृश्यों में हितधारकों की अनुक्रिया जानने के लिए टेबल टाप अभ्यास किए जाते हैं । संपूर्ण आपदा प्रबंधन चक्र को आवृत करने के लिए इन परिदृश्यों को निरुपित किया जाता है । इस चरण के अंत में, जो सबक निकलकर आते हैं वे सभी सहभागियों में बांटे जाते हैं और सहभागियों को उनकी अनुक्रिया जानने के लिए काफी समय दिया जाता है तथा कृत्रिम अभ्यास के वास्तविक संचालन से पहले उनके अधीनस्थों को प्रशिक्षित किया जाता है । अभ्यास अनुकरण युक्त परिदृश्य पर किया जाता है। तथा विभिन्न सहभागियों की अनुक्रिया को ध्यान में रखकर वह आगे बढ़ती जाती है । उस अभ्यास को मॉनीटर करने के लिए अनेक प्रेक्षकों को भी रखा जाता है तथा सहभागियों के अलावा, समाज के दर्शकों और हितधारकों को भी मॉक कवायद देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कृत्रिम अभ्यास के बाद विस्तृत जानकारी दी जाती है जिसमें प्रेक्षकों से अपना फीडबैक देने के लिए कहा जाता है। इन अभ्यासों में पाई गई कमियों के बारें में राज्य और जिला प्रशासन को और विभिन्न उद्योगों के प्रबंध तंत्र को भी संसूचित करा जाता है।

6.4 कृत्रिम अभ्यास करना जमीनी स्तर पर तैयारी की संस्कृति पैदा करने में बड़ा सहायक रहा है । इनमें से अधिकांश अभ्यासों में समुदाय और छात्रों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया है । जिला प्रशासन, निगमित सेक्टर और अन्य प्रथम कार्रवाई–कर्ताओं ने अपार उत्साह दर्शाया है। इन अधिकांश अभ्यासों में निर्वाचित जन प्रतिनिधि और राज्य के स्तर पर वरिष्ठ अधिकारीजन उपस्थित रहे। इन अभ्यासों का स्थानीय प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया ने भी जमकर प्रचार किया और इस प्रकार उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया ।

6.5 रिपोर्ट के वर्ष के दौरान, विभिन्न आपदाओं पर जैसे शहरी आग, रासायनिक (औद्योगिक) आपदा, बाढ़, भूकम्प और चक्रवात पर कुल 75 कृत्रिम अभ्यास देश भर में किए गए । इस वर्ष में कृत्रिम अभ्यासों की मुख्य बात थी आतंकवादी हमले से बचने हेतु और दिल्ली मेट्रो रेल में गैस रिसाव से बचने हेतु कृत्रिम अभ्यास। अब तक एन.डी.एम.ए. द्वारा किए गए सभी कृत्रिम अभ्यासों के दौरान लगभग 1,15,742 लोगों को आपदाओं के प्रति संवेदी बनाया गया ।

6.6 कृत्रिम अभ्यास के ब्यौरों को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है :–

कृत्रिम अभ्यासों (मॉक एकसरसाइज) के ब्यौरे

क्रमांक	राज्य	आपदा	कृत्रिम अभ्यासों की सं.
1.	उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, जम्मू एवं कश्मीर	भूकंप	11
2.	गुजरात	चक्रवात	03
3.	तमिलनाडु, बिहार, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र	बाढ़	03
4.	हरियाणा, कर्नाटक, जम्मू एवं कश्मीर और सिक्किम	शहरी आग	04
5.	कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात	रासायनिक (औद्योगिक)	08
6.	दिल्ली	आतंकवादी जनित	56
		योग	75

विद्यालय सुरक्षा पर कृत्रिम अभ्यास

6.7 विद्यालयों में कृत्रिम अभ्यास विशेषज्ञों की कार्रवाई होने से पूर्व आपदाओं का स्पष्ट रूप से मुकाबला करने के लिए विद्यालयों को सशक्त करने के लिए किए जाते हैं । ये दो चरणों में किए जाते हैं। चरण-1 में, आपदा प्रबंधन ढांचा बनाना, विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन, आपदा प्रबंधन योजना की रूपरेखा बनाना, आपदा प्रबंधन दलों की रचना और कृत्रिम अभ्यास करने की प्रक्रिया चित्रित की जाती हैं । चरण-2 में, अनुभूत आपदा पर कृत्रिम अभ्यास वास्तव में विद्यालय खाली कराकर, खोज और बचाव, प्रथम उपचार आदि द्वारा विद्यालयों में किए जाते हैं। कृत्रिम अभ्यास प्रधानाचार्य के कार्यालय के निकट स्थित विद्यालय नियंत्रण कक्ष से नियंत्रित किया जाता है ।

आपदा प्रबंधन का संदेश फैलाने के लिए एन.डी.एम.ए. द्वारा शुरू किए गए क्रियाकलाप

6.8 रिपोर्ट की अवधि के दौरान, एन.डी.एम.ए. ने फिक्की और अन्य अभिकरणों/संगठनों के सहयोग से आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न विषयों पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए :-

- तारीख 6 और 7 मई, 2010 को विशाल हताहत प्रबंधन के लिए चिकित्सा कार्रवाई पर सम्मेलन ।
- जून, 2010 में सी. एम. ई. पुणे मे जिला अधिकारियों के लिए एन.बी.सी. प्रशिक्षण ।
- जुलाई, 2010 में देहरादून में के स्वरूप को समझने के लिए आपदा पर राष्ट्रीय स्तर की आंकड़े प्रयोक्ता संगोष्ठी ।

- तारीख 30 और 31 अगस्त, 2010 को रसायन का परिवहन करने वाली पाइपलाइनों और उद्योग भंडारण टर्मिनलों की ऑन–साइट आपात् योजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन ।
- 18 नवंबर, 2010 को आपदा प्रबंधन – सुरक्षित राष्ट्र की योजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन - इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स (आई.सी.सी.) कोलकाता द्वारा।
- तारीख 19 से 21 नवम्बर, 2010 को पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में आयोजित -"32वीं इंडियन ज्योग्राफी कांग्रेस ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफर्स इंडिया" ।

जागरूकता अभियान

6.9 आपदाओं के संभावित परिणामों के बारे में आबादी के दुर्बल वर्ग में जागरूकता पैदा करना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख उत्तरदायित्वों में से एक है। जागरूक समुदाय आपदाओं की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार समुदाय होता है। जागरूकता फैलाने के अपने प्रयास में एन.डी.एम.ए. ने इलैक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से अनेक जन जागरूकता अभियान चलाए। केंद्र बिंदु आपदा प्रबंधन के लिए समुचित पर्यावरण बनाने तथा लक्षित, दर्शकों पर उच्च स्तरीय प्रभाव सृजित करने पर था ।

6.10 ये अभियान डी.ए.वी.पी. और एन.एफ.डी.सी. के माध्यम से आकाशवाणी (रेडियो), दूरदर्शन, प्राइवेट टी.वी. चैनलों जैसे सामान्य मनोरंजन चैनल न्यूज चैनल और प्रादेशिक चैनल, एफ.एम. रेडियो चैनलों पर चलाए गए। रिपोर्ट के वर्ष के दौरान चलाए गए अभियानों का ब्यौरा यहां आगामी पैराग्राफों में दिया गया है ।

6.11 भूकम्प जागरूकता अभियान

- प्राइवेट टी. वी. चैनलों पर मार्च से अप्रैल, 2010 तक एक मास, और एफ.एम. रेडियो चैनलों पर 17.03.2010 से 05.04.2010 तक, 20 दिन का जागरूकता अभियान ।
- डी.डी. न्यूज, डी.डी. नेशनल और दूरदर्शन के 19 प्रादेशिक केंद्रों में 17.05.2010 से 16.06.2010 तक (30 दिन) "सलाह से सलामती", "सावधान हैं तो जान है", "झुको, ढको, पकड़ो" और "तैयारी में है समझदारी" शीर्षक से 30 सेकंड की अवधि के चार वीडियो स्पॉटों का टी.वी. प्रसारण ।
- तारीख 09.09.2010 से 23.09.2010 तक (15 दिन) एफ.एम. रेडियो चैनल पर "सलाह से सलामती", "सावधान हैं तो जान है", "झुको, ढको, पकड़ो" और "तैयारी में है समझदारी" शीर्षक से 30 सेकंड की अवधि के 4 आडियो स्पॉटों का प्रसारण ।
- 04.12.2010, 07.12.2010 और 10.12.2010 को भारत और न्यूजीलैंड एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट शृंखला के दौरान "नॉन–एस्ट्रक्चरल सेफ्टी" और "झुको, ढको और पकड़ो" शीर्षक से 30 सेकंड की अवधि के 2 वीडियो स्पॉटों का टी.वी. प्रसारण ।
- तारीख 19.02.2011 से 02.04 2011 तक आई. सी. सी. विश्व कप 2011 के दौरान आल इंडिया रेडियो स्टेशन पर हिंदी और अंग्रेजी में "सलाह से सलामती", "सावधान हैं तो जान है", "तैयारी में है समझदारी", "झुको, ढको, पकड़ो" और "नॉन-स्ट्रक्चरल सेफ्टी" शीर्षक से 30 सेकंड की अवधि के ऑडियों स्पॉट का प्रसारण ।
- 15 दिन तक एन.एफ.डी. सी. के माध्यम से प्राइवेट टी.वी. चैनलों, एफ.एम. रेडियो और डिजिटल सिनेमाओं पर "सलाह से सलामती", "सावधान हैं तो जान है", "तैयारी में है

समझदारी", "झुको, ढको, पकड़ो" और "नॉन–स्ट्रक्चरल सेफ्टी" शीर्षक से 30 सेकंड की अवधि के ऑडियों वीडियो स्पॉटों का टी.वी. और रेडियो प्रसारण ।

- बजट सत्र के दौरान तारीख 21.02.2011 से 23.03.2011 तक अर्थात् एक मास लोक सभा टी.वी. पर "तैयारी में है समझदारी", "झुको, ढको, पकड़ो" और "नॉन–स्ट्रक्चरल सेफ्टी" शीर्षक से 30 सेकंड की अवधि के वीडियो स्पॉटों का टी.वी. प्रसारण ।

6.12 चक्रवात जागरूकता अभियान

- तारीख 03.06.2010 से 10.07.2010 तक (30 दिन) दूरदर्शन के प्रादेशिक केंद्रों पर "मछुआरा" और "घर फिर बन जाएगा" शीर्षक से 30 सेकंड की अवधि के दो वीडियो स्पॉटों का टी.वी. प्रसारण ।
- तारीख 07.11.2010 से 07.12.2010 तक शीतकालीन सत्र के दौरान लोक सभा टी.वी. पर "मछुआरा" और "घर फिर बन जाएगा" शीर्षक के 30 सेकंड की अवधि के दो वीडियो स्पॉटों का टी.वी. प्रसारण ।
- तारीख 17.12.2010 से 31.12.2010 तक 15 दिन दूरदर्शन के प्रादेशिक केंद्रों पर "मछुआरा" और "घर फिर बन जाएगा" शीर्षक से 30 सेकंड की अवधि के दो वीडियो स्पॉटों की टी.वी. प्रसारण ।
- तारीख 17.12.2010 से 31.12.2010 तक 15 दिन आल इंडिया रेडियों के प्रादेशिक केंद्रों पर और नेशनल न्यूज चैनल पर "मछुआरा" और "घर फिर बन जाएगा" शीर्षक से 30 सेकंड की अवधि के दो ऑडियों स्पॉटों का प्रसारण ।

6.13 बाढ़ जागरूकता अभियान

- तारीख 03.06.2010 से 10.07.2010 तक (30 दिन) दूरदर्शन के 7 प्रादेशिक केंद्रों पर "अम्मा", "मैं तैयार हूं", "अनेकता में एकता" और "एन.डी.आर.एफ. इन एक्शन" शीर्षक से 30 सेकंड की अवधि के चार वीडियो स्पॉटों का प्रसारण ।
- तारीख 19,22 और 24 जून, 2010 को एन.एफ.डी.सी के माध्यम से दूरदर्शन पर एशिया कप एक-दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट शृंखला के दौरान "एन.डी.आर.एफ. इन एक्शन" शीर्षक से 30 सेकंड की अवधि के एक वीडियो स्पॉट का प्रसारण।
- तारीख 20.07.2010 से 03.08.2010 तक (15 दिन) एन.एफ.डी.सी. के माध्यम से प्राइवेट टी. वी. चैनलों और एफ.एम. रेडियो चैनलों पर "अम्मा", "मैं तैयार हूं", "अनेकता में एकता" और "एन.डी.आर.एफ. इन एक्शन" शीर्षक से 30 सेकंड की अवधि के चार वीडियो स्पॉटों का प्रसारण ।
- तारीख 26.07.2010 से 27.08.2010 तक (30 दिन) एन.एफ.डी.सी. के माध्यम से लोक सभा टी.वी. पर "अम्मा", "मैं तैयार हूं", "अनेकता में एकता" और "एन.डी.आर.एफ. इन एक्शन" शीर्षक से 30 सेकंड की अवधि के चार वीडियो स्पॉटों का प्रसारण ।
- तारीख 30.07.2011 से 03.08.2010 तक (10 दिन) एन.एफ.डी.सी. के माध्यम से यू.एफ.ओ. और रियल इमेज थियेटर्स पर "अम्मा", "मैं तैयार हूं "अनेकता में एकता" और "एन. डी. आर. एफ. इन एक्शन" शीर्षक से 30 सेकंड की अवधि के चार वीडियो स्पॉटो का प्रसारण ।

- तारीख 26.07.2010 से 28.08.2010 तक श्रीलंका में दो टेस्ट मैचों और पांच एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय ट्राई क्रिकेट शृंखला के दौरान ए.आई.आर. (रेडियो) पर "अम्मा", "मैं तैयार हूं", "अनेकता में एकता" और "एन.डी.आर.एफ. इन एक्शन" शीर्षक से 30 सेकंड की अवधि के चार ऑडियों स्पॉटों का प्रसारण ।
- तारीख 10.08.2010 से 28.08.2010 तक डी.ए.वी.पी. के माध्यम से टेन स्पोर्ट्स पर श्रीलंका में पांच एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय त्रिकोणीय-क्रिकेट शृंखला के दौरान "अनेकता में एकता" और "एन.डी.आर.एफ. इन एक्शन" शीर्षक से 30 सेकंड की अवधि के दो वीडियो स्पॉटों का प्रसारण ।

6.14 शहरी बाढ़ जागरूकता अभियान

- तारीख 03.60.2010 से 10.07.2010 तक (30 दिन) दूरदर्शन के एक प्रादेशिक केंद्र पर "अर्बन फ्लडिंग" शीर्षक से 30 सेकंड की अवधि के एक वीडियो स्पॉट का प्रसारण ।
- तारीख 16.07.2010 से 25.07.2010 तक (10 दिन) एन.एफ.डी.सी. के माध्यम से प्राइवेट चैनलों और एफ.एम. रेडियो पर "अर्बन फ्लडिंग" शीर्षक से 30 सेकंड की अवधि के एक वीडियो और ऑडियो स्पॉट का प्रसारण ।
- तारीख 23.07.2010 से 01.08.2010 तक (10 दिन) एन.एफ.डी.सी. के माध्यम से असम और बिहार राज्यों में प्राइवेट टी.वी. चैनलों और एफ.एम. रेडियो पर "अर्बन फ्लडिंग" शीर्षक से 30 सेकंड की अवधि के एक वीडियो और ऑडियो स्पॉट का प्रसारण ।

6.15 आमूलचूल बदलाव (पैराडाइम शिफ्ट) अभियान

- तारीख 17,20 और 24 अक्तूबर, 2010 को भारत-आस्ट्रेलिया एक-दिवसीय अंतरराष्ट्रीय शृंखला के दौरान दूरदर्शन पर 'पैराडाइम शिफ्ट' शीर्षक से 40 सेकंड की अवधि के एक वीडियो स्पॉट का प्रसारण ।
- तारीख 23.12.2010 से 06.01.2011 तक 15 दिनों के लिए नेशनल नेटवर्क और दूरदर्शन के प्रादेशिक केंद्रों पर 'पैराडाइम शिफ्ट' शीर्षक से 50 सेकंड की अवधि के वीडियो स्पॉट का प्रसारण ।
- तारीख 28.12.2010 से 11.01.2011 तक 15 दिनों के लिए नेशनल न्यूज तथा ऑल इंडिया रेडियो के प्रादेशिक केंद्रों पर 'पैराडाइम शिफ्ट' शीर्षक से 30 सेकंड की अवधि के ऑडियो स्पॉट का प्रसारण ।

- तारीख 19.02.2011 से 02.04.2011 तक आई.सी.सी. विश्वकप 2011 के दौरान आल इंडिया रेडियो पर 'पैराडाइम शिफ्ट' शीर्षक से 30 सेकंड की अवधि के ऑडियों स्पॉट का प्रसारण।
- तारीख 21.02.2011 से 23.03.2011 तक एक मास के लिए बजट सत्र के दौरान लोक सभा टी.वी. पर 'पैराडाइम शिफ्ट' शीर्षक से 30 सेकंड की अवधि के वीडियो स्पॉट का प्रसारण ।

6.16 प्रिंट मीडिया

- तारीख 21 जुलाई, 2010 को एन.डी.एम.ए. के घटना कार्रवाई प्रणाली पर दिशानिर्देश के लोकार्पण के अवसर पर भारत में अग्रणी समाचार पत्रों में डी.ए.वी.पी. के माध्यम से पूरे पृष्ठ के रंगीन विज्ञापन का प्रकाशन ।

- पूर्वी तट रेलवे, पूर्वी रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे में डी.ए.वी.पी. के माध्यम से रेल आरक्षण टिकटों पर 'बाढ़ आपदा' विषयक संदेश का मुद्रण ।
- बाढ़ (हिंदी में) और चक्रवात (अंग्रेजी में) आपदा प्रबंधन जागरूकता पर 5000 पोस्टरों और 10,000 लघु पुस्तिकाओं (लीफलेट्स) का मुद्रण ।
- तारीख 03 सितंबर, 2010 को एन.डी.एम.ए. के दिशानिर्देशों के लोकार्पण के अवसर पर भारत में अग्रणी समाचार पत्रों में डी.ए.वी.पी. के माध्यम से पूरे पृष्ठ के रंगीन विज्ञापन का प्रकाशन ।
- तारीख 27 सितंबर, 2010 को शहरी बाढ़ पर एन.डी.एम.ए. के दिशानिर्देश के लोकार्पण के अवसर पर भारत के अग्रणी समाचार पत्रों में डी.ए.वी.पी. के माध्यम से पूरे पृष्ठ के रंगीन विज्ञापन का प्रकाशन ।
- तारीख 11.09.2010 को बाढ़ आपदा प्रबंधन पर भारत के अग्रणी समाचार पत्रों में डी.ए.वी.पी. के माध्यम से एक–चौथाई पृष्ठ के रंगीन विज्ञापन का प्रकाशन ।
- एयर इंडिया की उड़ान के दौरान वितरित की जाने वाली पत्रिका 'नमस्कार' के अक्तूबर अंक में इंडिया ऑन पाथ ऑफ डिजास्टर रेजिलियंस के 4 पृष्ठ के विशेष फोकस फीचर का प्रकाशन।
- तारीख 13.10.2010 को भूकम्प आपदा प्रबंधन पर भारत के अग्रणी समाचारपत्रों में डी.ए.वी.पी. के माध्यम से एक–चौथाई पृष्ठ के रंगीन विज्ञापन का प्रकाशन ।
- आउटलुक, फ्रंटलाइन, जियो तथा चौथी दुनिया, नामक पत्रिकाओं के अक्तूबर अंक में भूकम्प आपदा प्रबंधन

पर 1 पृष्ठ के रंगीन विज्ञापन का प्रकाशन ।

- भूकम्प आपदा प्रबंधन जागरूकता पर हिंदी में 5000 पोस्टरों तथा 10,000 लीफलेट्स का मुद्रण ।
- तारीख 17.12.2010 को देश के अग्रणी समाचारपत्रों में चक्रवात आपदा प्रबंधन जागरूकता अभियान पर आधे पृष्ठ के रंगीन विज्ञापन का प्रकाशन ।
- तारीख 20.12.2010 को देश के अग्रणी समाचारपत्रों में 'संरचनागत सुरक्षा' जागरूकता अभियान पर आधे पृष्ठ के रंगीन विज्ञापन का प्रकाशन ।
- आउटलुक (अंग्रेजी एवं हिंदी), फ्रंटलाइन, जियो, फारवर्ड और डाउन टू अर्थ पत्रिकाओं के दिसंबर अंक में 'ढांचागत सुरक्षा' जागरूकता अभियान पर 1 पृष्ठ के रंगीन विज्ञापन का प्रकाशन ।
- तारीख 22.12.2010 को देश के अग्रणी समाचारपत्रों में "पैराडाइम शिफ्ट" जागरूकता अभियान पर आधे पृष्ठ के रंगीन विज्ञापन का प्रकाशन ।
- डाक विभाग के माध्यम से अभियान चलाने के लिए छह भाषाओं में अर्थात् तेलुगु, उड़िया, मराठी, बंगला, तमिल, गुजराती में चक्रवात आपदा पर 34000 पोस्टरों का मुद्रण ।
- तारीख 20 जनवरी, 2011 से एक मास तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् - गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप और पांडिचेरी के चक्रवात प्रवण 51 जिलों के 22,290 डाकघरों में डाक विभाग के माध्यम से चक्रवात आपदा प्रबंधन पर पोस्टर प्रदर्शित करना ।
- एक मास तक पश्चिमी, मध्य, उत्तरी, पूर्वी, पूर्व-मध्य एवं पश्चिम-मध्य रेलवे में डी.ए.वी.पी. के माध्यम से 60 लाख रेल आरक्षण टिकटों पर (सामने की तरफ) भूकम्प आपदा प्रबंधन पर संदेश मुद्रित करना ।
- तारीख 23.03.2011 को देश भर में 244 अग्रणी समाचार पत्रों में भूकम्प के पूर्व, दौरान और पश्चात् 'संरचनागत सुरक्षा' पर चौथाई पृष्ठ के रंगीन विज्ञापन का प्रकाशन।

जैविक आपदा और जैव–सुरक्षा जागरूकता

6.17 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने तारीख 2 फरवरी, 2011 को एन.डी.एम.ए. भवन, नई दिल्ली में 'जैव सुरक्षा तैयारी और जैविक आपदा प्रशमन' पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जिसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, चिकित्सा विशेषज्ञों, पशु चिकित्सकों, कृषि विज्ञानियों, जैव-प्रौद्योगिकी

श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. राष्ट्रीय कार्यशाला में जैविक आपदा पर बोलते हुए

विज्ञानियों, आपदा प्रबंधकों, सुरक्षा अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों तथा मीडिया ने भाग लिया ।

6.18 कार्यशाला का उद्घाटन श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. ने किया। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता मेजर जनरल (डा.) जे. के. बंसल, वी.एस.एम., चिकित्सा रत्न (सेवानिवृत्त) सदस्य, एन.डी.एम.ए. ने की । इस कार्यशाला के दौरान निम्नलिखित कार्रवाई बिंदु उभर कर सामने आए ।

- प्रदेश से बाहर की संगोष्ठियों, प्रशिक्षण कार्यशालाओं, टेबल टाप अभ्यासों और मॉक ड्रिलों के माध्यम से जागरूकता सृजन तथा सुग्राहीकरण।
- जैव अपराध, इरादतन तोड़फोड़ अथवा जैव आतंकवाद के कृत्य के विरुद्ध विनियामक (जैव सुरक्षा एवं जैव सुरक्षा दिशानिर्देश) एवं सुरक्षा पर्यवेक्षण (आसूचना, जैव संकट आकलन, पता लगाना और बायो–फारेन्सिक अन्वेषण) का संस्थानीकरण।
- वर्तमान जैव सुरक्षा हेतु निगरानी को सुदृढ़ करना और जैव-समावेशी प्रयोगशाला क्षमता को बढ़ाना।
- प्रयोगशाला प्रबंधकों, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, चिकित्सा कार्रवाई–कर्ताओं और स्वास्थ्य प्रदाताओं में जैव बचाव एवं जैव सुरक्षा का क्षमता-निर्माण करना।
- आपात् चिकित्सा कार्रवाई (जाँच प्रयोगशाला, एकांत (आइसोलेशन) वार्ड, एंटीवायरल ड्रगों और टीकों का भंडारण) हेतु क्षमता -निर्माण करना ।

प्रदर्शनी एवं स्टाल

6.19 एन.डी.एम.ए. ने 14 नवम्बर, से 27 नवम्बर, 2010 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित आई.आई.टी.एफ-2010 में भाग लिया जिसमें एन.डी.एम.ए. और एन.डी.आर.एफ. की विभिन्न गतिविधियों विषयक पोस्टर प्रदर्शित किए गए । इस अवधि में जनता को मुद्रित सूचना विवरणिकाएं भी बांटी गईं ।

26 जनवरी, 2011 को गणतंत्र दिवस की परेड में एन.डी.एम.ए. की झांकी

6.20 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 26

जनवरी, 2011 को गणतंत्र दिवस की परेड में अपनी द्वितीय झांकी निकाली। इस झांकी के द्वारा रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय और नाभिकीय आपातस्थितियों की दिशा में राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल की तैयारी प्रदर्शित की गई । इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की गई ।

राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल प्रदर्शनी

6.21 राज्य सरकार को एस.डी.आर.एफ. के स्थापन के लिए और उसे समस्त अपेक्षित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए गोवा में एक प्रदर्शनी लगाई गई। महामहिम राज्यपाल, गोवा श्री (डा.) एस.एस. सिद्धू और माननीय मुख्यमंत्री, गोवा श्री दिगम्बर कामत के अतिरिक्त, गोवा सरकार के सभी संबंधित विभागाध्यक्षों को भी उस समारोह में आमंत्रित किया गया ।

महामहिम राज्यपाल, गोवा श्री (डा.) एस.एस. सिद्धू और माननीय मुख्यमंत्री गोवा, श्री दिगम्बर कामत को एन.डी.आर.एफ. द्वारा प्रयुक्त विभिन्न उपकरणों की तथा एस.डी.आर.एफ., गोवा के लिए इन सब उपकरणों की प्रासंगिकता बताते हुए माननीय सदस्य, एन.डी.एम.ए. श्री जे. के. सिन्हा

7 आपदा जोखिम प्रशमन परियोजनाएं

7.1 देश में तैयारी की संस्कृति में मजबूती के लिए एन.डी.एम.ए. अनेक प्रशमन योजनाओं और अध्ययनों की अवधारणा तैयार करने और उनके कार्यान्वयन में लगा हुआ है । परियोजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया एन.डी.एम.ए. द्वारा नोडल मंत्रालयों, संबंधित सरकारी अभिकरणों और राज्य सरकारों के परामर्श से परियोजनाओं की आवश्यक तत्वों (कान्टूर्स) और संक्षिप्त रूपरेखा नियत करने के साथ आरंभ होती है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) बहु–विषयक दलों द्वारा बनाई जा रही हैं जिनमें सब सहायक प्रणालियों का वर्णन होगा जैसे वित्तीय, तकनीकी और प्रबंधकीय संसाधन और अपेक्षित प्रौद्योगिकीय विधिक व्यवस्थाएं। परियोजनाओं का निष्पादन विनिर्दिष्ट आपदाओं और/या विषयमूलक हस्तक्षेपों के लिए उत्तरदायी विभिन्न नोडल अभिकरणों को सौंपा जाएगा। आवधिक मॉनीटरिंग का काम बहुल–क्षेत्रीय समूह के माध्यम से कराया जाएगा जो मंत्रालयों, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों और एन.डी.एम.ए. में तकनीकी विशेषज्ञों से मिलकर बनेगा ।

7.2 एन.डी.एम.ए. द्वारा निम्नलिखित प्रशमन परियोजनाएं बनाई/प्रशासित की जा रही हैं :

1. राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजनाएं (एन.सी.आर.एम.पी.)
2. राष्ट्रीय भूकम्प जोखिम प्रशमन परियोजनाएं (एन.ई.आर.एम.पी.)
3. राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजनाएं (एन.एफ.आर.एम.पी.)
4. राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजनाएं (एन.एल.आर.एम.पी.)

7.3 अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाओं में निम्नलिखित परियोजनाएं/अध्ययन शामिल हैं :

1. प्रमुख शहरों का माइक्रोजोनेशन ।
2. भारत में मानचित्रकारिता (कार्टोग्राफी) आधार का विकास ।
3. भारतीय भू-भाग के भूकम्पीय माइक्रोजोनेशन के लिए भू-तकनीकी जांच ।
4. ब्रहमपुत्र नदी के कटाव का अध्ययन ।
5. भवनों का वर्गीकरण (टाइपोलॉजी) ।
6. उन्नत भूकम्प खतरों मानचित्रों की तैयारी ।
7. मोबाइल रेडियेशन डिटेक्शन सिस्टम्स की स्थापना (एम.आर.डी.एस.)।

7.4 एन.डी.एम.ए. ने कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं का काम अपने हाथ में लिया है।

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना

7.5 राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना देश में चक्रवात जोखिमों पर विचार करने की दृष्टि से बनाई गई हैं । परियोजना का मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य चक्रवात जोखिम तथा चक्रवात प्रवण तटवर्ती जिलों में असुरक्षितता को कम करने के लिए ढांचागत और गैर-ढांचागत चक्रवात प्रशमन प्रयासों को सुदृढ़ करना तथा चक्रवात जोखिम प्रशमन के लिए की क्षमता को बढ़ाना है।

7.6 14.01.2011 को आर्थिक कार्य विभाग, विश्व बैंक और आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा राज्य सरकारों के बीच राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना विषयक वित्तीय करार और परियोजना करारों पर हस्ताक्षर किए गए ।

7.7 सरकार ने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना की केंद्र प्रायोजित स्कीम के चरण-1 का कार्यान्वयन का काम

1496.71 करोड़ रुपए की लागत पर अनुमोदित किया । इस स्कीम का वित्तपोषण 1198.44 करोड़ रुपए के अंतरराष्ट्रीय विकास संघ के क्रेडिट के साथ अनुकूलनीय कार्यक्रम ऋण के रूप में विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा । 298.27 करोड़ रुपए की शेष राशि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य सरकारों द्वारा अंशदान के रूप में दी जाएगी । यह राशि विश्व बैंक की सहायता से गृह मंत्रालय के बजट के माध्यम से आएगी ।

7.8 इस स्कीम का कार्यान्वयन आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य सरकारों तथा एन.आई.डी.एम. के समन्वय में एन.डी.एम.ए. द्वारा पांच वर्ष की अवधि में किया जाएगा । इस परियोजना के चार मुख्य संघटक हैं, अर्थात् :

क. सर्वत्र संपर्कता (72.75 करोड़ रुपए)

ख. ढांचागत और गैर-ढांचागत उपाय (1164 करोड़ रुपए)

ग. चक्रवात संकट जोखिम प्रशमन, क्षमता निर्माण और ज्ञान सृजन के लिए तकनीकी सहायता (29.10 करोड़ रुपए)

घ. परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन सहायता (95.06 करोड़ रुपए)

ङ संपूर्ण लागत की 10% की दर से अनावंटित और आकस्मिकता (135.80 करोड़ रुपए)।

7.9 संघटक क, ग और घ का पूरा वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से होगा । संघटक ख का वित्तपोषण 75:25 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा होगा ।

7.10 निवेश प्रस्तावों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

विवरण	उड़ीसा		आंध्र प्रदेश	
	संख्या	राशि (करोड़ रू.)	संख्या	राशि (करोड़ रू.)
चक्रवात शेल्टर	155	151.86	148	131.83
चक्रवात शेल्टरों और/या आवास गृहों तक सड़कों का निर्माण	190	210.52	478	293.4
पुल निर्माण और सड़कों का मजबूत बनाने का काम	-	-	25	122.73
तटबंधों/समुद्र तटों का संरक्षण कार्य	23	165	2	90.74
योग	-	527.38		638.7

7.11 वर्ष 2010-2011 में, एन.सी.आर.एम.पी. के अधीन विभिन्न क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार और ओ.एस.डी.एम.ए. के लिए निम्नलिखित रकमें जारी की गई हैं :

आंध्र प्रदेश	=	8.57 करोड़ रुपए
ओ.एस.डी.एम.ए.	=	9.50 करोड़ रुपए
	योग	18.07 करोड़ रुपए

7.12 गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्य अपने निवेश प्रस्तावों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं और उन्हें एन.सी.आर.एम.पी. के चरण-2 में शामिल किया जाना प्रस्तावित है ।

राष्ट्रीय भूकम्प जोखिम शमन परियोजना (एन.ई.आर.एम.पी.)

7.13 एन.डी.एम.ए. देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना को कार्यान्वित करना प्रस्तावित करता है जिसमें विशेष बल

भूकम्पीय अंचल IV और V के राज्यों पर होगा। इस परियोजना का उद्देश्य ढांचागत और गैर ढांचागत भूकम्प प्रशमन प्रयासों को मजबूत बनाना तथा देश में सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में विशेषकर भूकम्प के लिए अत्यंत प्रवण अंचल IV और V में सभी जोखिम क्षेत्रों में भूकम्प जोखिम और असुरक्षितता को घटाना है । इस परियोजना में एन.डी.एम.ए द्वारा तैयार किए गए भूकम्प प्रबंधन दिशानिर्देशों के अनुसार स्कीमों/क्रियाकलापों को समाविष्ट किया जाएगा। प्रारूप डी.पी.आर. के अनुसार इस परियोजना के निम्नलिखित छह संघटक होंगे :

(i) प्रौद्योगिकीय–विधिक व्यवस्था
(ii) संस्थागत सुदृढ़ीकरण
(iii) क्षमता निर्माण
(iv) जन जागरूकता
(v) अस्पतालों का पुनरूद्धार कार्य (रेट्रोफिटिंग)
(vi) परियोजना प्रबंधन, मॉनीटरिंग और मूल्यांकन।

7.14 परियोजना की प्रारूप डी.पी.आर. और प्रारूप ई.एफ.सी. ज्ञापन गृह मंत्रालय के पास भेज दिए गए। जिसकी इच्छा थी कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर काम करने की दिशा में अगले कदम के रूप में एन.डी.एम.ए. को एक कार्यशाला आयोजित करनी चाहिए जिसमें सभी हितधारकों को अर्थात्, राज्य सरकारों, तकनीकी संस्थाओं, संबंधित मंत्रालयों, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों आदि को आमंत्रित किया जाए और ऊपर उठाए गए मुद्दों पर चर्चा तथा विचार-विमर्श किया जाए । ऐसी कार्यशाला में आई सर्वसम्मति और विचारों पर आधारित प्रशमन परियोजना को पुनः तैयार/पुनः निर्मित किया जाना चाहिए तथा तदनुसार निर्णय के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। तदनुसार, सभी हितधारकों के साथ एक कार्यशाला एन.डी.एम.ए में 9 दिसंबर, 2010 को आयोजित की गई। राज्य सरकारों के आई.आई.टी., एन.आई.टी. और अन्य विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला की चर्चा के आधार पर डी.पी.आर. को और संशोधित किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.एफ.आर.एम.पी.)

7.15 राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की सोच चल रही है । चूंकि बाढ़ें विशेषतः स्वभाविक रूप से विनिर्दिष्ट नदी घाटी में आती है और इस प्रकार अनेक भिन्न कारणों से उसकी संवेदनशीलता भी भिन्न है । इस तरह से, एक बड़ी राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन योजना बनाना व्यवहार्य नहीं रहा। इसलिए काम के दोहराव से बचने की दृष्टि से तथा उपलब्ध संसाधनों का उत्पादशीलता से उपयोग करने की दृष्टि से अब यह सोचा गया है कि राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना का नाम बदलकर बाढ़ प्रशमन परियोजना (एफ.आर.एम.पी.) रखा जाए तथा शीघ्र चेतावनी प्रणाली का विकास और क्षमता निर्माण पहल सहित बाढ़ों को मॉनीटर करने में आपदा निवारण, रणनीति, आपदा प्रशमन और अनुसंधान एवं विकास की राज्य विनिर्दिष्ट परियोजनाओं को इसमें शामिल किया जाए ।

राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.एल.आर.एम.पी.)

7.16 चूंकि भूस्खलन प्रकृति स्थल विशिष्ट होते हैं, तथा उनकी संवेदनशीलता भी भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न होती है, इसलिए एक बड़ी राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना बनाना व्यवहार्य नहीं समझा गया है । तदनुसार अब यह सोचा गया है कि राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.एल.आर.एम.पी.) जो ज्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं हुई, का नाम बदलकर भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना (एल.आर.एम.पी.) कर दिया जाए और इसमें चरणबद्ध तरीके से विभिन्न राज्यों की स्थल विशिष्ट प्रशमन परियोजनाओं को शामिल कर लिया जाए ।

अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं (ओ.डी.एम.पी.)

7.17 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विभिन्न राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त संस्थाओं जैसे भारतीय

प्रौद्योगिकीय संस्थान (आई.आई.टी.), भारतीय विज्ञान संस्थान (आई.आई.एस.), एस.ई.आर.सी. आदि के माध्यम से अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाओं के अंतर्गत, कुछ प्रायोगिक योजनाओं और अध्ययनों का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। एन.डी.एम.ए. द्वारा शुरू किए गए क्रियाकलापों का ब्यौरा निम्न प्रकार है ।

राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क परियोजना

7.18 विभिन्न आपातकालीन–प्रचालन केंद्रों के साथ संपर्क कायम रखने के लिए निकनेट (एन.आई.सी.एन.ई.टी.), एस.डब्ल्यू.ए.एन. पी.ओ.एल. एन.ई.टी. और डी.एम.एस. एन.ई.टी. आदि सहित वर्तमान संचार नेटवर्क को बेहतर बनाकर सृजित नेटवर्कों का नेटवर्क एन.डी.सी.एन. (राष्ट्रीय राज्य और जिला स्तरों पर स्थापित किए जाने वाले) होगा। एन.डी.सी.एन. आपदा के सभी चरणों के दौरान आपदा के सक्रिय और समग्र प्रबंधन के विभिन्न हितधारकों की अपेक्षा को पूरा करने के लिए आश्वस्त बहु सेवाएं जैसे श्रव्य, दृश्य, आंकड़े और ज्ञानाधारित सूचना उपलब्ध कराता है। एन.डी.सी.एन. एन.डी.एम.ए. का एक पृथक् उपग्रह नेटवर्क स्थापित करेगा जो एन.ई.ओ.सी., एस.ई.ओ.सी., डी.ई.ओ.सी. और चल (मोबाइल) ई.ओ.सी. को आपदा के समय सुरक्षित संचार व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए वी.एस.ए.टी. नेटवर्क/आई.एन.एम.ए.आर.एस.ए.टी. फोनों के माध्यम से जोड़ेगा। डी.पी.आर. और ई.एफ.सी. ज्ञापन अनुमोदन के लिए गृह मंत्रालय को भेजे जा रहे हैं । इस परियोजना की आकलित लागत 943 करोड़ रुपए है । 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा गया है ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली

7.19 एन.डी.एम.ए. एन.डी.एम.आई.एस. पर आधारित भौगोलिक सूचना प्रणाली मंच के कार्यान्वयन की परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। एन.डी.एम.आई.एस. का मुख्य उद्देश्य घटनापूर्व परिदृश्य (किसी भी तदर्थता के बिना प्रशमन के लिए संसाधनों की प्राथमिकता के लिए अनिवार्य) और (मानचित्रों में महत्वपूर्ण सूचना के माध्यम से, अधिक त्वरित, अधिक प्रभावी तथा अधिक कुशल कार्रवाई के लिए) घटना के दौरान निर्णय सहायक प्रणाली (डी.एस.एस.) के विकास के लिए तथा घटना के पश्चात् (ध्वनि, दृश्य और आंकड़ों की वर्तमान पद्धति के स्थान पर) बेहतर निर्माण के लिए आपदा पश्च परिदृश्य के लिए वी.ए. आर.ए. के नाम से ज्ञानाधारित सूचना सृजित करना है। इस परियोजना की प्राक्कलित लागत 32 करोड़ रुपए है। इस परियोजना हेतु एन.डी.ई.एम. के आधार आंकड़ों का प्रयोग किया जाएगा जिसका निष्पादन गृह मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है ।

अग्रिम पूर्वानुमान मंच का विकास

7.20 इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के मौसम विभाग की अग्रिम पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ाना है (भू-पतन की कम त्रुटि (एरर–बैंड) और चक्रवातों की गहनता के साथ-साथ भविष्य–वाणी हेतु बेहतर पूर्व समय के साथ) । एन.डी.एम.ए. भारत में जल–मौसम वैज्ञानिक आपदाओं के अग्रिम पूर्वानुमान के मॉडलों के रुढ़िकरण (कस्टमाइजेशन) तथा व्यास-मापन (कैलिबरेशन) पर काम कर रहा है। इसके लिए समुचित ज्ञानवान विशेषज्ञों के एक दल द्वारा देश में विभिन्न संस्थाओं में प्रादेशिक मॉडलों के साथ-साथ एक से अधिक भूमंडलीय मॉडल चलाना होगा। इस परियोजना पर आई.आई.टी. आई.एम.डी. सी.-एम.एम. ए.सी. एस. के विशेषज्ञों का एक दल सक्रिय रूप से काम कर रहा है ।

7.21 सक्रिय और समग्र प्रबंधन की एक प्राथमिक आवश्यकता ऐसी कारगर पूर्वानुमान प्रणाली है जो काफी समय पहले अनुमान, समाधान सटीकता आदि के रूप में न्यूनतम कसौटी पर खरी उतरे। तथापि, विशेषकर भारत में, बाढ़, चक्रवात और अन्य चरम मौसम की घटनाओं जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं के प्रचालनों के पूर्वानुमान में गुंजाइश और कौशल सक्रिय और प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए वांछित स्तर से नीचे हैं। पूर्वानुमान करने में कौशल में सुधार हेतु सर्वोच्च स्तर की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सामग्री अपेक्षित है । साथ ही, ऐसे विकास प्रयास का कार्यान्वयन ऐसे अभिकरण द्वारा किया जाएगा जो दिन प्रति दिन के मौसम के पूर्वानुमान के काम

में लगा हुआ है । इस प्रकार आज वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के लिए यह तत्काल जरूरी है कि वे विभिन्न संस्थाओं और आर.डी. विशेषज्ञों के पास उपलब्ध ज्ञान, मानव शक्ति, और अन्य संसाधनों का नेटवर्क बनाकर जल मौसम विज्ञानी आपदाओं के संबंध में पर्याप्त प्रचालन पूर्वानुमान कौशल हासिल के लिए अनवरत प्रयास करें ।

7.22 इसका मूलभूत उद्देश्य काफी समय रहते और बेहतर पूर्वानुमान कौशल के रूप में भारतीय मौसम विभाग की पूर्वानुमान की क्षमताओं को सुदृढ़ करना और बढ़ाना है । प्रस्ताव है कि परियोजना का कार्यान्वयन दो चरणों में अर्थात् चरण-1 और चरण-2 में किया जाए। परियोजना के लिए अवधारणा टिप्पणी गृह मंत्रालय को सिद्धांततः अनुमोदन के लिए भेजी गई थी। गृह मंत्रालय ने अवधारणा–टिप्पणी पर भू-विज्ञान मंत्रालय की अभ्युक्तियां संसूचित कर दी हैं। इन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में विचार किया जा रहा है।

भारत का संभावित भूकम्पीय खतरा विश्लेषण मानचित्र बनाना (पी.एस.एच.ए.)

7.23 हालांकि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भौमिकी (ज्योलॉजी) और भूकम्प-स्थिति को ठीक से प्रलेखित किया जा चुका है फिर भी प्रबल भूकम्पों के भूगति-आंकड़ों के बारे में जानकारी की कमी है । साथ ही, भारत का वर्तमान भूकम्पीय अंचल मानचित्र प्रेक्षित क्षति पद्धतियों पर आधारित है जहां भूकम्प की घटना में स्थानिक और कालिक अनिश्चितताओं को शामिल नहीं किया जाता है। अतः एन.डी.एम.ए. ने एस.ई.आर.सी. चैन्नई के सहयोग से, भूकम्पीय संकट विश्लेषण के लिए भूकम्पों के राष्ट्रीय आंकड़ा विवरण (कैटलॉग) तैयार करने के लिए भारत का संभावित भूकम्पीय संकट मानचित्र बनाने के बारे में अध्ययन शुरू किया । उसमें देश के छह या सात भिन्न-भिन्न भूकंपन–क्षेत्रों के तीव्र कंपन के क्षीणता संबंधों का विकास/चयन, तथा विभिन्न आवर्ती अवधियों के लिए $0.2^{\circ} \times 0.2^{\circ}$ की ग्रिड पर बेडरोक (तलशिला) स्तर पर एस.ए. तथा पी.जी.ए. के राष्ट्रीय पी.एस.एच.ए. मानचित्र तैयार करना भी शामिल है। भू-प्रौद्योगिक अन्वेषण युक्त इस अध्ययन में वर्तमान डेटाबेस की कमियों को कवर किया जाएगा।

भारतीय भू–भाग के भूकम्पीय सूक्ष्म क्षेत्र वर्गीकरण (माइक्रोजोनेशन) का भू–तकनीकी अन्वेषण

7.24 'साइजमिक माइक्रोजोनेशन आफ द इंडियन लैण्ड मास' विषय पर तारीख 16.07.2008 को आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में लिए गए फैसले के अनुसार, भारत में भूकम्पीय माइक्रोजोनेशन अध्ययन के लिए भू-तकनीकी अन्वेषण पर तकनीकी दस्तावेज की तैयारी का काम भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु द्वारा शुरू किया गया है ।

संकट संबंधी मानचित्रण, असुरक्षितता विश्लेषण और जोखिम आकलन

7.25 भूकम्पों, भूस्खलनों, चक्रवातों आदि के संबंध में, सभी संकट प्रवण जिलों के लिए असुरक्षितता विश्लेषण और जोखिम आकलन किया जाना है। तथापि, तटवर्ती क्षेत्रों के लिए, प्रभावी तटवर्ती क्षेत्र प्रबंधन और योजना के लिए, यह विश्लेषण जल मौसमी संकटों के लिए अतिरिक्त रूप से किया जाना अनिवार्य है । साथ ही, भौतिक आस्तियों की जोखिम का आकलन और मानचित्रण, किन्हीं सफल प्रशमन रणनीतियां अथवा योजनाएं बनाने से पूर्व एक आधारभूत आवश्यकता है ।

7.26 आई.आई.टी. रुड़की, आई.आई.टी. मुंबई, आई.एम.डी., राष्ट्रीय दूर संवेदी केन्द्र (एन.आर.एस.सी.), केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सी. बी. आर. आई.) तथा आर.एम.एस. आई. के विशेषज्ञों का एक कार्य दल इस पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है तथा यह परियोजना पूरी होने वाली है ।

अपेक्षित पैमानों और कांटूर (समोच्च) अंतरालों पर भारत के डिजिटल मानचित्र

7.27 देश में इस समय उपलब्ध मानचित्र कला का आधार 1 : 50,000 के पैमाने में है जिसमें, आपदा प्रबंधन और प्रशमन की महत्वपूर्ण जानकारी सुलभ कराने के लिए मानचित्र इससे कम छोटे पैमाने में होने चाहिए, अर्थात् :

i) 1:10,000 पैमाना (1.0 मीटर कांटूर अंतरालों सहित)

ii) 1:2,000 पैमाना (0.5 मी. कांटूर अंतरालों सहित)

7.28 इन मानचित्रों की जरूरत देश के 312 संकट प्रवण जिलों में है। राष्ट्रीय एटलस एवं विषयक मानचित्रण संगठन (एन.ए.टी.एम.ओ.) कोलकाता को एन.डी.एम.ए. ने इस परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने के लिए कहा है ।

उन्नत (अपग्रेडेड) भूकम्प संकट मानचित्रों की तैयारी

7.29 विशेषज्ञों (भू-भौतिकीय संकट) की कार्य समिति की सिफारिश के अनुसार देश के विभिन्न भागों में भूकम्प संकट मानचित्रों को उन्नत बनाने की एक परियोजना भवन निर्माण प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बी.एम.पी.टी.सी.) के माध्यम से शुरू किये जाने के बारे में विचार किया गया है ।

बाढ़ो के मॉडल बनाने के लिए डिजिटल उच्चता वाले मॉडल बनाना

7.30 प्रस्ताव है कि बाढ़ों के लिए शीघ्र चेतावनी प्रणालियां विकसित करने के अलावा, प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से चुनी गई नदी घाटियों का अध्ययन शुरू कराया जाए । डिजिटल उच्चता वाले मॉडल स्टीरियो उपग्रह आंकड़ों का प्रयोग करके विकसित किए जाएंगे । मॉनीटरिंग और मॉडलिंग के लिए तत्काल आंकड़े प्राप्त करने के लिए रणनीतिक स्थलों पर जल स्तर सेंसर और स्वचालित वर्षा माप (ऑटोमेटिक रेन गेजेज) भी लगाए जाएंगे ।

ब्रह्मपुत्र नदी कटाव का अध्ययन

7.31 उपरोक्त परिवर्तनों और भू–कटाव असुरक्षितता का विश्लेषण करने के लिए, बिम्ब प्रसंस्करण (इमेज प्रोसेसिंग) सॉफ्टवेयर द्वारा प्रसंस्कृत बहु-तारीखों (मल्टी–डेट) और बहू–स्पेक्ट्रमी डिजिटल उपग्रह बिम्बों का उपयोग करते हुए मिट्टी कटाव से प्रभावित अत्यंत असुरक्षित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए तथा कालिक-स्थानिक कटाव प्रेरित नदी तटरेखीय परिवर्तनों पर अध्ययन करने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी कटाव अध्ययन का कार्य जल संसाधन विकास प्रशिक्षण केंद्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की को सौंपा गया था ।

भवनों का वर्गीकरण

7.32 भारत के विविध भागों में विभिन्न प्रकार के भवनों की सूची तैयार करने और भवन सूचियों में नजर आने वाले विभिन्न प्रकारों के भवनों की असुरक्षितता दूर करने के कई कार्यकलापों के विकास का प्रस्ताव आई.आई.टी. मुंबई के नेतृत्व में देश के विभिन्न भागों में पांच विभिन्न नोडल संस्थाओं अर्थात् (1) आई.आई.टी. रुड़की-उत्तरी क्षेत्र, (2) आई.आई.टी. खड़गपुर-पूर्वी क्षेत्र, (3) आई.आई.टी. गुवाहाटी-पूर्वोत्तर क्षेत्र, (4) आई.आई.टी., मुंबई-पश्चिम क्षेत्र, तथा (5) आई.आई.टी. मद्रास-दक्षिण क्षेत्र के दल द्वारा प्रस्तुत किया गया है ।

चल (मोबाइल) विकिरण खोजी प्रणालियां (एम.आर.डी.एस.)

7.33 आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं से संभव आर.डी.डी. विस्फोटों के खतरे का परिदृश्य गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। यद्यपि आर.डी.डी. महाविनाश के साधन नहीं हैं फिर भी ये असंख्य लोगों, क्षेत्र और परिक्षेत्र को संदूषित करने की सहयुक्त समस्याओं के अतिरिक्त खलबली और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करने में उच्च क्षमता युक्त जनता में उथल–पुथल उत्पन्न करने के हथियार हैं। एन.डी.एम.ए. ने विकिरण चिकित्सा आपात से निपटने की राष्ट्रीय स्तर की तैयारी पर अपने कार्यक्रम के अंगस्वरूप, देश की 50 से अधिक राजधानियों और मेट्रो /अन्य प्रमुख शहरों में लगभग 880 पुलिस थानों की निगरानी गाड़ियों, कुछ समुद्र पत्तनों, विमान पत्तनों और सीमा जांच चुंगियों को सरल मॉनीटरिंग उपकरणों और वैयक्तिक संरक्षण गीयर से सज्जित करने का फैसला किया है। इस आशय की परियोजना अर्थात्-मोबाइल विकिरण खोजी प्रणालियां सोची गई हैं। मोबाइल विकिरण खोजी प्रणाली परियोजना (एम.आर.डी.एस.) के

अंतर्गत, चुने हुए शहरों में चुने हुए पुलिस थानों की पुलिस वैनों को विकिरण खोजी उपकरणों से सज्जित किया जाएगा।

आपात कार्रवाई केंद्रों की स्थापना

7.34 एम.आर.डी.एस. के अतिरिक्त एन.डी.एम.ए. ने देश के विभिन्न भागों में लगभग 100 आपातकालीन कार्रवाई केंद्र (ई.आर.सी.) खोलने का प्रस्ताव रखा है। इन आपातकालीन कार्रवाई केंद्रों में पर्याप्त मॉनीटर, संरक्षणात्मक उपकरण और संचार सुविधा होगी। उनमें प्रशिक्षित प्रथम कार्रवाई–कर्ता होंगे जो थोड़े समय के भीतर त्वरित अनुक्रिया दल जुटाने की स्थिति में होने चाहिए । वे आर.डी.डी. को डिफ्यूज करने के लिए बम दस्ते की सहायता करने में समर्थ होंगे। वे अनियंत्रित लावारिस (ऑर्फन) स्रोतों की तलाश करने/ ढूंढ़ पाने में समर्थ होने चाहिए। प्रमुख सार्वजनिक समारोहों जैसे कुम्भ मेला, खेल समारोह या जनसमूह के स्थलों को निकटस्थ ई.आर.सी. द्वारा विकिरणकीय सुरक्षा और सावधानी को सुनिश्चित करना होता है। हर केंद्र के स्थापन में 50 लाख के बजट की आवश्यकता होगी। एम.डी.एम.ए. देश के विभिन्न भागों में ऐसे 100 केंद्र स्थापित करना चाहता है। इसके अलावा, एन.डी.आर.एफ. स्थानों पर 12 आपातकालीन कार्रवाई केंद्र खोलने के बारे में सोचा गया है।

विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (प्रदर्शनी परियोजना)

7.35 विद्यालयों में सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2011 में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने की बात सोची गई है । इस परियोजना का लक्ष्य बालकों के लिए सुरक्षित विद्या वातावरण प्रदान करना है । इस प्रायोगिक परियोजना को भारत के भूकम्पीय क्षेत्र IV और V के सभी जिलों एवं संवेदनशील तटवर्ती जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा । इस प्रायोगिक परियोजना के दौरान प्राप्त सबकों के आधार पर एक सर्वकालिक सुरक्षा कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत बाद में प्रारंभ किया जाएगा।

7.36 इस कार्यक्रम में जागरूकता और शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, आपदा जोखिम प्रबंधन, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण और असुरक्षिरतता का आकलन प्रदर्शित करने तथा प्रशमन विकल्प अपनाने के आधारभूत घटक शामिल हैं । इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्य राष्ट्रीय स्तर पर तथा राज्य स्तर पर प्रथम बार शुरू किए गए हैं । तथापि, राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संगठित और समग्र दृष्टिकोण की योजना बनाने की जरूरत है । योजना आयोग ने वर्ष 2010-11 से 2011-12 के दौरान कार्यान्वयन हेतु 48.47 करोड़ रुपए की प्राक्कलित लागत से राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के लिए अब अपना 'सिद्धांततः' अनुमोदन दे दिया है और कुछ अभ्युक्तियां भी दी हैं । इस प्रस्ताव को योजना आयोग की अभ्युक्तियों के प्रकाश में तदनुसार संशोधित किया जा रहा है ।

8 राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल: संकटकालीन कार्रवाई सुदृढ़ीकरण

8.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 44 और 45 के उपबंधों के अधीन गठित राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन.डी.आर.एफ.) ने स्वयं को एन.डी.एम.ए. के एक सर्वाधिक दृष्टिगोचर और जीवन्त बल के रूप में स्थापित किया है। अपनी तैनाती के लिए कार्रवाई में लगने वाले समय को घटाने के लिए असुरक्षितता विवरण के आधार पर देश में आठ विभिन्न स्थानों पर आठ एन.डी.आर.एफ. बटालियन स्थित हैं । वर्ष 2010-2011 में, एन.जी.आर.एफ. की दो और बटालियनें बनाईं/शस्त्र सज्जित की जा रही हैं तथा वे बिहार में बिहटा (पटना के निकट) और आंध्र प्रदेश में गुंटूर में तैनात रहेंगी (चित्र 8.1)

एन.डी.आर.एफ. बटालियनों के स्थान

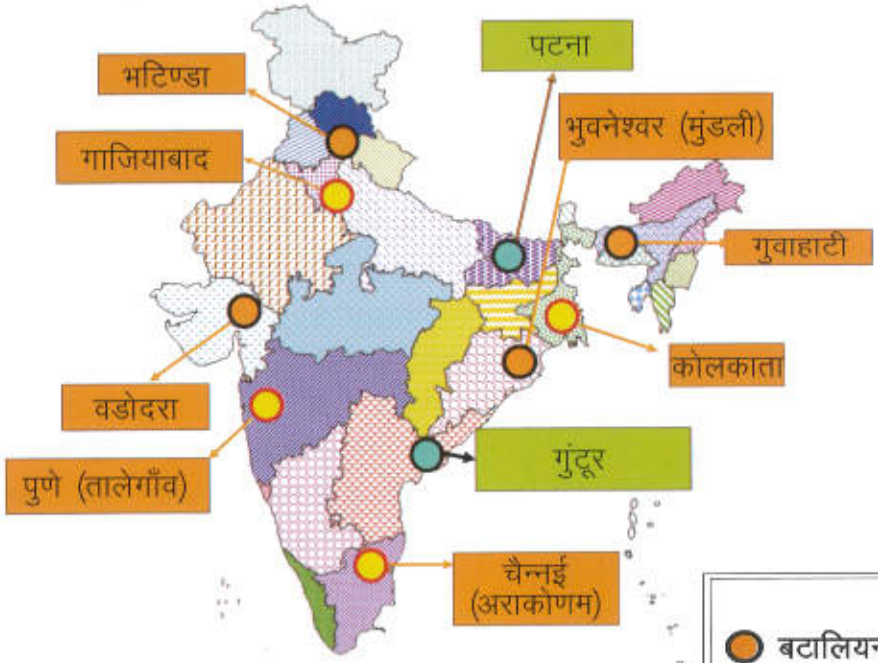

• दो और बटालियन अनुमोदित

8.2 राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल की भूमिका और कार्य

- आपदाओं के दौरान विशिष्ट कार्रवाई।
- सन्निकट आपदा की स्थिति के दौरान सक्रियता से अतिशीघ्र तैनाती ।
- अपना प्रशिक्षण और कौशल अर्जित करना तथा उसका अनवरत उन्नयन करना।
- संपर्क, टोह, पूर्वाभ्यास तथा कृत्रिम अभ्यास।
- राज्य कार्रवाई बल (पुलिस, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड) का आधारभूत और प्रचालनात्मक स्तर का प्रशिक्षण।

समुदाय के संबंध में - समस्त एन.डी.आर.एफ. बटालियनें निम्नलिखित विभिन्न कार्यों में सक्रियता से लगी हैं :

- समुदाय का क्षमता निर्माण कार्यक्रम ।

- जन जागरूकता अभियान ।
- प्रदर्शनियां : आपदा संबंधी पोस्टर, पर्चे, साहित्य ।
- ग्राम स्वयंसेवकों और अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण ।
- राज्य पुलिस का प्रशिक्षण तथा एस.डी.आर.एफ. बनाने में मदद ।

संगठन

8.3 प्रत्येक एन.डी.आर.एफ. बटालियन में 44 कार्मिकों के 18 अत्मनिर्भर विशेषज्ञ खोज और बचाव दल हैं जिनमें इंजीनियर, कारीगर, बिजली मिस्त्री, श्वान दल और चिकित्सा/परा चिकित्सा दल शामिल हैं। हर बटालियन में विशेषज्ञ लोगों की कुल संख्या 1,149 है। सभी बटालियनें सभी प्रकार की आपदाओं जैसे बाढ़, चक्रवात, भूकम्प, भूस्खलन आदि एवं रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय एवं नाभिकीय (सी.बी.आर.एन.) आपदाओं से निपटने के लिए शस्त्र सज्जित और प्रशिक्षित हैं ।

8.4 बिहार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के अनुरोध पर तथा बाद में एन.डी.एम.ए. की पहल पर मंत्रिमंडल ने दो और एन.डी.आर.एफ. बटालियन अनुमोदित कर दी हैं जो पटना (बिहार) और विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) में तैनात की जाएंगी । बिहार सरकार ने पटना के निकट बिहटा में एन.डी.आर.एफ. के गठन के लिए 74 एकड़ भूमि दी है । इसी प्रकार का अनुरोध आंध्र प्रदेश सरकार से भी 2010-2011 में भूमि के लिए किया गया है ।

आपदा से निपटने की कार्रवाई

8.5 इन वर्षों में एन.डी.आर.एफ. ने अत्यंत त्वरित बचाव अभियानों के साथ बिहार, उड़ीसा और असम में बाढ़ के दौरान अपनी क्षमता सिद्ध की है। साथ ही, विभिन्न राज्यों में एन.डी.आर.एफ. द्वारा किए गए समुदाय क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से वह जन समूह के संपर्क में आया और आपदा कार्रवाई दल की एक विशिष्ट पहचान उभर कर सामने आई। एन.डी.आर.एफ. एन.डी.एम.ए. का सर्वाधिक दृष्टि–गोचर रूप ही नहीं बना अपितु किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा और सी.बी.आर.एन. आपातस्थिति से निपटने वाले एक वास्तविक विशेषज्ञ कार्रवाई बल होने की छवि भी प्राप्त की है । इस बल का कार्रवाई समय स्वयं राज्यों को इस बल की 'सक्रिय' रूप से उपलब्धता की संकल्पना के कारण तथा आपदा की आशंका के परिदृश्य में बल के पहले से तैनात रहने की संकल्पना के कारण भी घटकर न्यूनतम रह गया है।

8.6 राज्यों द्वारा बाढ़, चक्रवातों, भूस्खलनों, भवन गिरने, रेल दुर्घटनाओं और रसायन रिसाव आदि में बचाव और राहत कार्यों के लिए एन.डी.आर.एफ की मांग बढ़ती जा रही है । वर्ष 2010-2011 के दौरान, एन.डी.आर.एफ. को विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 85 अवसरों पर तैनात किया गया है जहां उसने 8000 से अधिक लोगों की जानें बचाईं तथा 104 शवों को खोज निकाला। एन.डी.आर.एफ. द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्रवाई प्रचालन निम्न प्रकार हैं:

झारग्राम, पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना

8.7 तारीख 27 और 28 मई, 2010 की रात में मुंबई जाने वाली ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस रेल पहले तो पटरी से उतर गई और फिर झारग्राम, पश्चिम बंगाल में मालगाड़ी से जा टकराई। निदेशक, रेल सुरक्षा और प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन, पश्चिम बंगाल सरकार ने एन.डी.आर.एफ. की तैनाती की मांग की। तुरंत एन.डी.आर.एफ. के 182 कार्मिक 06 खोजी श्वानों और बचाव तथा राहत कार्य के लिए एस.ए.आर. उपकरणों के साथ सड़क से तथा विमान से रवाना किए गए । सतर्कतापूर्वक योजनाबद्ध बचाव अभियान चलाकर, एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने बुरी तरह क्षतिग्रस्त रेल के डिब्बों में से 02 जिंदा लोगों को बचाया तथा उनमें से मृतकों के 76 शव खोज निकाले ।

झारग्राम, पश्चिम बंगाल में दुर्घटनाग्रस्त ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में फंसी सवारियों को बचाते हुए एन.डी.आर.एफ. के कार्मिक

लैला चक्रवात

8.8 तारीख 18 मई, 2010 को आई.एम.डी. की चक्रवात चेतावनी मिलने पर तथा आयुक्त और प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन, आंध्र प्रदेश सरकार के बाद में किये गये अनुरोध पर एन.डी.आर.एफ. की चार कंपनियाँ, चक्रवात प्रभावित आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम्, विजयवाड़ा, मछलीपत्तनम् गुंटूर, प्रकाशम एवं नेल्लोर जिलों को भेजे गए ।

लैला चक्रवात के दौरान पानी में फंसे ग्रामीणों को बचाते एन.डी.आर.एफ. के कार्मिक

8.9 सी.एस.एस.आर. और बाढ़ बचाव उपकरणों (64 फुलाए जा सकने वाली (इन्फ्लेटेबल) नौकाएं भी शामिल) के साथ कुल 438 एन.डी.आर.एफ. कार्मिक प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे तथा उन्होंने विस्तृत बचाव एवं राहत कार्य किए । एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने पेशेवर जुझारूपन वाले जज्बे के साथ 1,268 मूल्यवान मानव जिन्दगियां बचाईं ।

गुवाहाटी, असम में बाढ़ बचाव अभियान

8.10 तारीख 20 अप्रैल, 2010 को भारी वर्षा के साथ चक्रवाती तूफान के कारण गुवाहाटी में भारी बाढ़ आ गई। ए.डी.सी., कामरूप की मांग पर एन.डी.आर.एफ. बटालियन गुवाहाटी के दो दल (43 कार्मिक) 8 फुलाए जा सकने वाली नौकाएं और अन्य जीवन रक्षक उपकरण लेकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे और उन्होंने बचाव एवं राहत कार्य शुरू किए। एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने पानी में फंसे हुए लगभग 300 लोगों को बचाया तथा उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।

असम में बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाते हुए

8.11 तारीख 8 अप्रैल, 2010 को मायापुरी, दिल्ली के कबाड़ बाजार में किसी अज्ञात रेडियोधर्मी सामग्री से विकिरण फैलने लगा (बाद में कोबाल्ट-60 के रूप में पहचाना गया) और उससे आठ संदूषित व्यक्तियों को अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। बी.ए.आर.सी./ए.ई.आर.बी. के कार्मिकों के साथ-साथ एन.डी.आर.एफ बटालियन ग्रेटर नोएडा के सी. बी. आर.एन. कार्मिकों ने कबाड़ के ढेर में से रेडियोधर्मी स्रोत कोबाल्ट-60 का पता लगाया। उद्भासन के पहचाने गए स्रोत का बाद में निपटान कर दिया गया जिससे क्षेत्र का संदूषन कम किया गया।

मायापुरी, नई दिल्ली में विकिरण की जाँच करते एन.डी.आर.एफ. कार्मिक

हरियाणा में बाढ़

8.12 राज्य प्रशासन की मांग पर, एन.डी.आर.एफ. बटालियन ग्रेटर नोएडा की पांच टीमें 52 फुलाई जा सकने वाली नौकाएं और अन्य बाढ़ बचाव उपकरण लेकर 08 जुलाई, 2005 से 05 अगस्त, 2010 की अवधि में हरियाणा में कुरुक्षेत्र, अम्बाला, कैथल, सिरसा और फतेहाबाद जिलों के बाढ़ प्रभावित निचले क्षेत्रों में तैनात की गईं ।

हरियाणा में जलमग्न गांवों में बचाव कार्य करते हुए

एन.डी.आर.एफ. के कार्मिकों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 1,327 लोगों को बचाया/निकाला और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले गए। एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने जरुरतमंद लोगों को प्रथम उपचार प्रदान कराया तथा बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री के वितरण में स्थानीय प्रशासन की सहायता की ।

राष्ट्रमंडल खेल (सी.डब्ल्यू.जी.) 2010 के दौरान तैनाती

8.13 एन.डी.आर.एफ. ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेल, दिल्ली को पूर्ण सी.बी.आर.एन. (रासायनिक, जैविक विकिरणकीय, तथा नाभिकीय) सुरक्षा प्रदान की। एन.डी.आर.एफ. की सी.बी.आर.एन. सुरक्षा खेलगांव, गेम्स फ्लैगशिप, होटल अशोक और सम्राट समेत सभी खेल स्थलों में संपूर्ण सुरक्षा प्रबंध में एकीकृत हो गई। 24x7 निगरानी प्रणाली **हजमत** वाहन और निगरानी गाड़ी सहित नवीनतम

राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान

सी.बी.आर.एन. उपकरणों से लैस एन.डी.आर.एफ. के कुल 32 दल खेलों के दौरान तैनात किए गए। साथ ही एन.डी.आर.एफ. के 5 दल भी किसी सी.बी.आर.एन. आपातस्थिति से निपटने के लिए आरक्षित रखे गए।

एम.पी.टी. मुंबई में क्लोरीन सिलिंडरों को निष्प्रभाव करना

8.14 तारीख 14 जुलाई, 2010 को क्लोरीन गैस रिसाव मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पर शुरू हो गया और बाद में बृहत्तर मुंबई के नगर निगम के अनुरोध पर एन.डी.आर.एफ. बटालियन, पुणे की एक टीम (49 कार्मिक) घटना स्थल पहुंची और उसने निष्प्रभाव करने का काम शुरू कर दिया। उस अभियान में, एन.डी.आर.एफ. टीम ने क्लोरीन गैस के 183 सिलिंडरों को तथा अन्य गैसों जैसे टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड, एसीटीलीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, मीथेन, एथीलीन, इनर्ट गैसों, आक्सीजन, कार्बन डाइ आक्साइड, निओन, संपीड़ित (कम्प्रेस्ड) वायु आदि के 654 सिलिंडरों को निष्प्रभाव करने में सफलता पाई ।

मुंबई में क्लोरीन सिलिंडरों को निप्रभाव करते हुए

लेह में बादल फटने के दौरान बचाव एवं राहत कार्य

8.15 लेह में बादल फटने और बाढ़ में होने वाले विनाश के पश्चात् ग्रेटर नोएडा की एन.डी.आर.एफ. बटालियन की एक टीम (45 कार्मिक) दिल्ली से विमान द्वारा लेह 7 अगस्त, 2010 को पहुंचाई गई । एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों को बचाव और राहत कार्य

लेह में बचाव अभियान के दौरान

के लिए प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया। एन.डी.आर.एफ ने भी एन.डी.एम.ए. द्वारा विमान से लेह हवाई अड्डे पर भेजी गई राहत रसद को प्राप्त करने और उसे जिला प्राधिकारियों को सौंपने के कार्य का समन्वय दक्षतापूर्ण ढंग से किया । श्री राहुल गांधी, महासचिव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और स्थानीय प्रशासन ने एन.डी.आर.एफ. टीम द्वारा किए गए काम की भूरि-भूरि प्रशंसा की ।

बिहार में बाढ़ बचाव अभियान

8.16 एन.डी.आर.एफ. ने अगस्त-सितंबर, 2010 के दौरान बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों - सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, छपरा, सिवान और खगरिया में बाढ़ बचाव और राहत कार्य किया।

बिहार में बाढ़ के दौरान बचाव अभियान

एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने इन जिलों में अपने बचाव कार्य के दौरान बाढ़ में फंसे 2,035 लोगों की जान बचाई ।

उत्तराखंड में बाढ़ बचाव अभियान

8.17 एन.डी.आर.एफ. बटालियन ग्रेटर नोएडा एवं भटिण्डा के बाढ़ बचाव प्रशिक्षित कार्मिकों ने संयुक्त रूप से सितंबर, 2010 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, फर्रुखाबाद एवं रामपुर जिलों तथा उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार जिलों में बाढ़ बचाव कार्य किया । एन.डी.आर.एफ. के कार्मिकों ने दोनों राज्यों में अपने बचाव कार्य के दौरान 2,874 लोगों की जान बचाई ।

उत्तराखंड में बाढ़ बचाव अभियान

दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल में नाव पलटने के दौरान बचाव कार्य

8.18 नाव (यात्रियों को ले जाते हुए) पलटने का समाचार सुनकर और बाद में जिला प्रशासन की मांग पर 05 (इन्फ्लेटेबल) नौकाओं और अन्य जल बचाव उपकरणों के साथ गहरे गोताखोरों समेत एन.डी.आर.एफ. बटालियन, कोलकाता की एक टीम (46 कार्मिक) पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में घटना स्थल पहुंची तथा उसने 30 अक्तूबर, से 5 नवम्बर, 2010 की अवधि के दौरान गहन खोज और बचाव कार्य किए । एन.डी.आर.एफ. के कार्मिकों ने 83 मृतकों के शव निकाले ।

अमेरिकी राष्ट्रपति के आगमन के दौरान एन.डी.एम.ए. द्वारा संसद की सी.बी.आर.एन. सुरक्षा

8.19 तारीख 8 नवम्बर, 2010 को अमेरिका के राष्ट्रपति महामहिम श्री बराक ओबामा के संसद में अभिभाषण के दौरान एन.डी.एम.ए. ने, किसी भी विकिरण, रासायनिक या नाभिकीय रिसाव का पता

लगाने के लिए तत्काल परीक्षण करने के लिए विभिन्न प्रकार के सेन्सरों, हस्तधारित निगरानी उपकरणों, गाड़ी पर फिट (वीकल माउंटेड) निगरानी उपकरणों आदि सहित सभी अत्याधुनिक सी.बी.आर.एन. उपकरणों से लैस 22 सी.बी.आर.एन. आपातकालीन प्रशिक्षित एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों को तैनात करके, संसद् को रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय और नाभिकीय (सी.बी.आर.एन.) सुरक्षा उपलब्ध कराई। हजमत वैन तथा सी.बी.आर.एन. आपात से निपटने में सक्षम चिकित्सीय / परा चिकित्सीय कार्मिक भी संसद में तैनात किए गए । यह पहली बार हुआ कि ऐसी सुरक्षा देश में किसी राष्ट्राध्यक्ष को सुलभ कराई गई हो ।

पूर्वी दिल्ली में 5 मंजिला इमारत गिरने पर एन.डी.एम.ए. की कार्रवाई

8.20 तारीख 14 नवंबर, 2010 को लक्ष्मीनगर में इमारत गिरने की सूचना मिलने पर एन.डी.एम.ए. ने इमारत गिरने की जगह परा चिकित्सकों, इंजीनियरों, तकनीशियनों की दो एन.डी.आर.एफ. टीमें और श्वान दल भेजे। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस एन.डी.आर.एफ. के कार्मिकों ने गिरी हुई इमारत के स्थल पर तुरंत खोज और बचाव कार्य आरंभ कर दिया जो 18 नवंबर, 2010 तक 4 दिन चौबीसों घंटे चलता रहा। इस कार्य को एन.डी.एम.ए. के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मॉनीटर किया गया। एन.डी.आर.एफ कार्मिक गिरी हुई इमारत के मलबे में दबे 08 व्यक्तियों को बचाने में कामयाब रहे । उसने 24 शव भी मलबे में से बाहर निकाले ।

राहत एवं बचाव कार्यों के लिए जापान में एन.डी.आर.एफ. टीम की तैनाती

8.21 जापान सरकार से भारत सरकार को अनुरोध प्राप्त होने पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) ने 14 मार्च, 2011 से राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल की टीम तैयार रखी जो 11 मार्च, 2011 को जापान के विभिन्न भागों में विध्वंस करने वाली सुनामी के बाद आए भूकम्प के कारण खोज, बचाव और राहत कार्य के लिए जापान भेजी जानी थी ।

8.22 तारीख 25 मार्च, 2011 को एन.डी.आर.एफ. की एक टीम जिसमें 46 कार्मिक थे जिसके मुखिया कंटिंजेन्ट कमांडर श्री आलोक अवस्थी थे, एयर इंडिया के विमान से टोकियो, जापान के लिए रवाना हुई । उस टीम को ओनागावा, रिफू-चो शहर में तैनात किया गया जो टोकियो से 365 कि.मी. उत्तर में स्थिति था । वह टीम लगभग 10-12 दिन वहां रही और उस टीम को होंशु द्वीप पर तोहोकु क्षेत्र में मियागी प्रिफेक्चर स्पोर्टस कॉम्पलेक्स में रखा गया था। एन.डी.आर.एफ टीम ने राहत और पुनर्वास कार्य में शहर के स्थानीय प्राधिकारियों की सहायता की ।

एन.डी.आर.एफ. टीम के जापान के लिए रवाना होने के अवसर पर श्री जे. के. सिन्हा सदस्य, एन.डी.एम.ए. के साथ श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष, एन.डीएम.ए.

8.23 आठवीं एन.डी.आर.एफ. बटालियन लोकेशन ग्रेटर नोएडा में स्थित एन.डी.आर.एफ. टीम के रवाना होने से उनसे बात करते हुए श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. ने कहा कि देश को विभिन्न भागों में आपदाओं के समय पिछले कुछ सालों में एन.डी.आर.एफ. द्वारा निभाई गई भूमिका पर गर्व है । श्री रेड्डी ने अपना भरोसा प्रकट किया

प्रदर्शनी के दौरान खोज और बचाव उपकरणों का प्रदर्शन

कि यह टीम उत्कृष्ट कार्य करेगी और देश का नाम रोशन करेगी। श्री जे. के. सिन्हा, सदस्य, एन.डी.एम.ए., एन.डी.आर.एफ. प्रभारी और श्री राजीव, महानिदेशक, एन.डी.आर.एफ. भी इस मौके पर उपस्थित थे ।

समुदाय क्षमता निर्माण और जन जागरूकता कार्यक्रम

8.24 जागरूकता और तैयारी अभियान आपदा प्रबंधन पर एन.डी.एम.ए. के सक्रिय दृष्टिकोण के आधारभूत घटक हैं । चूंकि समुदाय किसी भी आपदा की स्थिति में प्रथम कार्रवाई–कर्ता का काम करता है, इसलिए पूर्व–सावधानी और निवारक कार्रवाईयों के बारे में लोगों की उचित संवेदनशीलता किसी भी

पुणे विश्वविद्यालय के अध्यापकों को प्रशिक्षण

विपत्ति की दशा में जानमाल की क्षति को सर्वथा कम कर सकती है । इस प्रकार एन.डी.आर.एफ. के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है स्वयं को अनवरत रूप से समुदाय क्षमता निर्माण और जन जागरूकता कार्यक्रमों में विस्तृत रूप से लगाए रखना। उसमें लोगों (प्रथम कार्रवाई–कर्ताओं) और अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर संबंधित सरकारी सेवकों का प्रशिक्षण शामिल है। मार्च, 2011 तक देश के विभिन्न भागों में 7 लाख से ज्यादा समुदाय स्वयं सेवक और अन्य हितधारकों को एन.डी.आर.एफ. द्वारा प्रशिक्षित किया जा चुका है।

8.25 बाढ़, भूकम्प और अन्य प्राकृतिक आपदाओं पर समुदाय क्षमता निर्माण और जन जागरूकता अभियान पर एक प्रायोगिक परियोजना अप्रैल-मई, 2010 के दौरान बिहार के 14 अत्यंत संवेदनशील जिलों, (सीतामढी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, समस्तीपुर, भागलपुर,

केले के पेड़ों का बड़ा (राफ्ट) बनाने में ग्रामीण स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देते हुए

बेगूसराय और खगरिया) में एन.डी.आर.एफ. टीमों द्वारा आयोजित की गई। एन.डी.आर.एफ. ने अनेक ग्रामीण स्वयंसेवकों और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एस.डी.एम.ए.) पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्षमता निर्माण

8.26 पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की संवदेनशीलता और बहु संकटीय स्थिति को ध्यान में रखकर एन.डी.एम.ए. द्वारा राज्य और जिला प्राधिकरणों की मदद से जिला स्तर पर नियमित समुदाय जागरूकता और तैयारी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे कार्यक्रमों के दौरान, पंचायत राज संस्थाओं के सदस्य, युवा संगठनों, एन.एस.एस., एन.सी.सी. के सदस्य, ग्रामीण स्वयंसेवकों और विद्यालय के बालकों को पारंपरिक और अभिनव पद्धतियां अपनाते हुए आपदा से निपटने की कार्रवाई की तकनीकों की जानकारी दी जाती है। पिछले दो सालों में, एन.डी.एम.ए. ने ऐसे 274 कार्यक्रम आयोजित किए और वर्ष 2010-2011 में लगभग 21,938 स्वयंसेवकों और अन्य हितधारकों को एन.डी.आर.एफ. द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में कार्रवाई

राज्य पुलिस कार्मिकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.) पाठयक्रम

तकनीकों से प्रशिक्षित किया गया तथा विभिन्न आपदाओं के लिए यह भी सिखाया गया कि वे क्या करें और क्या न करें । समुदाय जागरूकता कार्यक्रम के भाग के रूप में काफी संख्या में पर्चे और लघु–पुस्तिकाएं (लीफलेट्स) बांटी गईं।

8.27 विगत दो वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों में प्रदर्शनी और प्रदर्शनों युक्त चौदह बड़ी कार्यशाला एवं सगोष्ठियां आयोजित की गईं। इन कार्यक्रमों में अनेक सरकारी पदाधिकारियों, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में बड़ी-बड़ी कार्यशालाएं/प्रदर्शनियां आयोजित की गईं जिनमें माननीय मुख्यमंत्रियों, महामहिम, राज्यों के राज्यपालों ने इस अवसर को सुशोभित ही नहीं किया बल्कि कार्यक्रम में परिचर्चा के दौरान विचार-विमर्श किया। इन कार्यशालाओं के अनुभव और फीडबैक के आधार पर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आपदा के प्रति तैयारी कार्ययोजना निम्न प्रकार हैं ।

8.28. **आपदा के प्रति तैयारी-** पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कार्ययोजना

1. राज्य सरकारें अपने पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में राज्य आपदा कार्रवाई बल (एस.डी.आर.एफ) को प्रशिक्षित करेंगी।
2. एस.डी.आर.एफ. के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम एन.डी.एम.ए. द्वारा तैयार किए गए पाठ्य विवरण पर आधारित 04 सप्ताह का होगा।
3. एन.डी.आर.एफ. के मास्टर प्रशिक्षक और राज्य पुलिस के प्रशिक्षक, जो एन.डी.एम.ए. द्वारा आयोजित टी.ओ.टी. पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होंगे, एस.डी.आर.एफ. के प्रशिक्षण के लिए संसाधन उपलब्धकर्ता टीम बनेगी।
4. राज्य सरकार एक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र को अपने एस.डी.आर.एफ. के लिए आपदा प्रबंधन संबद्ध प्रशिक्षण के लिए निर्धारित करके नोडल केंद्र बना सकती है।
5. इसके अतिरिक्त, पुलिस सिपाहियों को एन.डी.एम.ए. द्वारा तैयार किए गए पाठ्य विवरण पर आधारित आपदा कार्रवाई में 06 दिवसीय कैप्सूल प्रशिक्षण उनके आधारभूत प्रशिक्षण के दौरान दिया जाएगा ।
6. राज्य सरकार आपदा कार्रवाई के लिए प्रशिक्षण उपकरण अधिप्राप्त करेगी। एन.डी.एम.ए. उसके लिए विवरण और विनिर्देश सुलभ कराकर राज्यों की मदद करेगा।
7. एन.डी.आर.एफ. राज्य अधिकारियों के सहयोग से जिला और प्रखंड स्तर प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण कार्यक्रम संयुक्त रूप से आयोजित करेगा। ऐसे प्रशिक्षणों हेतु प्रत्येक जिला में राज्य सरकार का एक समन्वयक होगा।
8. एन.डी.एम.ए. राज्य सरकारों के अनुरोध पर महत्वपूर्ण भवनों को जैसे अस्पतालों, विद्यालयों, सरकारी भवनों आदि को रेट्रोफिटिंग के लिए डी.पी.आर. की तैयारी में संलिप्त अभिकरणों का ब्यौरा देने में सहायता कर सकेगा ।
9. एन.डी.एम.ए. अधिकारी / विशेषज्ञ उपर्युक्त कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए वर्ष में दो बार राज्यों का दौरा करेंगे ।

प्रशिक्षण

मिजोरम के एस.डी.आर.एफ. कार्मिकों को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण

8.29 एन.डी.आर.एफ. बटालियन गुवाहाटी ने 24 मई से 19 जून, 2010 तक सी.टी.आई. सेसावांग, मिजोरम में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण आयोजित किया। मिजोरम राज्य के सशस्त्र पुलिस के लगभग 50

मिजोरम राज्य सशस्त्र पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण देते हुए

कार्मिकों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। एन.डी.आर.एफ. ने विभिन्न बचाव तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया जिसमें शामिल थे - चिकित्सा की प्रथम प्रतिक्रिया (एम.एफ.आर.), क्षतिग्रस्त संरचना खोज एवं बचाव (सी.एस.एस.आर.), रस्सी बचाव, बाढ़ बचाव, पीड़ित की खोज और अवस्थान तकनीकें, अस्थिर मकानों की टेकबंदी, बचाव उपकरणों को संभालना आदि ।

कर्नाटक पुलिस के लिए बाढ़ पानी से बचाव का प्रशिक्षण

8.30 एन.डी.आर.एफ. बटालियन, पुणे ने एन.डी.आर.एफ. बटालियन, पुणे के केन्द्र पर 17 से 23 मई, 2010 की अवधि में बागलकोट (कर्नाटक) पुलिस के लिए बाढ़ के पानी से बचाव का प्रशिक्षण आयोजित किया। बागलकोट पुलिस के 12 कार्मिकों ने प्रशिक्षण में भाग लिया और सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया।

पुणे में बागलकोट (कर्नाटक) पुलिस के लिए बाढ़ के पानी से बचाव का प्रशिक्षण

बाढ़ एवं भूकम्प से बचाव का प्रशिक्षण

8.31 एन.डी.आर.एफ. बटालियन, पुणे केन्द्र में 24 से 29 मई, 2010 तक बाढ़ और भूकम्प बचाव पर एक 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पिम्परी चिंचवाड नगर निगम, पुणे महाराष्ट्र के माध्यम से 100 अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया। मुंबई अग्निशमन, सुरक्षा, पुलिस विभाग आदि के अधिकारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया ।

मुंबई पुलिस के लिए सी.बी.आर.एन. प्रशिक्षण

8.32 तारीख 19 अप्रैल से 15 मई, 2010 तक की अवधि में, एन.डी.आर.एफ. बटालियन, पुणे की

लोकेशन में मुंबई पुलिस के लिए सी.बी.आर.एन. आपातकालीन प्रशिक्षण में प्रथम कार्रवाई–कर्ताओं पर चार सप्ताह का आधारभूत पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। मुंबई पुलिस के पैंतालीस (45) कार्मिकों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया और उसे पूरा किया।

राज्य आपदा कार्रवाई बल (एस.डी.आर.एफ.) का प्रशिक्षण

8.33 वर्ष 2006 में वार्षिक पुलिस महानिदेशक सम्मेलन में लिए गए फैसले के अनुसरण में एन.डी.एम.ए. राज्यों को आपदा कार्रवाई में अपनी वर्तमान सशस्त्र पुलिस बटालियन के कुछ कार्मिकों को प्रशिक्षण देकर अपना स्वयं का राज्य आपदा कार्रवाई बल (एस.डी.आर.एफ.) खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है । इसे सुकर बनाने के लिए एन.डी.एम.ए. राज्य पुलिस के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है तथा एस.डी.आर.एफ. के प्रशिक्षण में राज्यों की सहायता करने के लिए एन.डी.आर.एफ. के प्रशिक्षकों को भी उपलब्ध करा रहा है । एन.डी.एम.ए. ने ऐसे प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के दस (10) टी.ओ.टी. पाठ्यक्रम चलाए हैं और वर्ष 2007 से देश के 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 206 राज्य पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित किया है ।

राज्य पुलिस कार्मिकों (एस.डी.आर.एफ.) के लिए एन.डी.एम.ए. द्वारा आयोजित प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

क्रमांक	पाठ्यक्रम की तारीख	स्थान	सफल भागीदारों की संख्या
		2007-2008	
1.	5 फरवरी से 6 अप्रैल, 2007	एफ.एस.टी.आई., एन.आई.एस. ए., हैदराबाद	24
2.	5 नवंबर से 29 दिसंबर, 2007	-यथोक्त-	18
		उप योग	42
		2008 -2009	
3.	24 नवंबर, 2008 से 16 जनवरी, 2009	एफ.एस.टी.आई., एन.आई.एस.ए., हैदराबाद	16
4.	2 मार्च से 14 मार्च, 2009	चांगसारी, गुवाहाटी (प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पुनश्चर्या पाठ्क्रम)	10
5.	12 जनवरी से 27 फरवरी, 2009	सी.टी.सी. II कोयम्बटूर	17
		उप योग	43
		2009-2010	
6.	5 सितंबर से 13 नवंबर, 2009	एफ.एस.टी.आई. एन.आई.एस.ए., हैदराबाद	23
7.	8 फरवरी से 20 मार्च, 2010	सी.टी.सी. II कोयम्बटूर	25
		उप योग	48
		2010-2011	
8.	19 जुलाई से 3 सितंबर, 2010	एफ.एस.टी.आई. एन.आई.एस. ए., हैदराबाद	30
9.	4 अक्तूबर से 20 नवंबर, 2010	एफ.एस.टी.आई. एन.आई.एस. ए., हैदराबाद	20
10.	17 सितंबर से 2 नवंबर, 2010	बी.आई.डी.आर., बी.एस.एफ, टेकनपुर	23
		उप योग	73
		कुल योग	206

8.34 एन.डी.आर.एफ. बटालियन ने राज्य पुलिस कार्मिकों के लिए अपने-अपने उत्तरदायित्व क्षेत्रों में आपदा कार्रवाई में आधारभूत प्रशिक्षण भी आयोजित किया। प्रशिक्षण माड्यूल में शामिल हैं- चिकित्सा प्राथमिक कार्रवाई पर कक्षा व्याख्यान, प्रदर्शन एवं व्यावहारिक सत्र, क्षतिग्रस्त इमारत, खोज एवं बचाव, सी. बी.आर. एन. कार्रवाई, रस्सी से बचाव की तकनीक आदि। एन.डी.आर.एफ. ने दिसंबर, 2010 तक विभिन्न प्रशिक्षणों में 855 राज्य पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित किया है ।

अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण/पाठयक्रम

असिस्टेक्स 3, ट्यूनिस, ट्यूनीशिया

8.35 तारीख 11 से 15 अक्तूबर, 2010 की अवधि में ट्यूनिस, ट्यूनीशिया में आयोजित तृतीय ओ.पी.सी.डब्ल्यू. (रासायनिक शस्त्र प्रतिषेध संगठन) एक्सरसाइज ऑन द डिलीवरी आफ असिस्टेंस (असिस्टेक्स 3) में एन.डी.आर.एफ. के 18 कार्मिकों ने भाग लिया । इस अभ्यास का आशय रासायनिक शस्त्रों के उपयोग या उपयोग के खतरे की स्थिति में सहायता देने की ओ.पी.सी.डब्ल्यू. की तैयारी के स्तर एवं राज्य पक्षकारों की तैयारी एवं उनकी सहायता संबद्ध आस्तियों के स्तर के मूल्यांकन के लिए एक रूपरेखा उपलब्ध कराना था ।

8.36 इस बहुमुखी अभ्यास के परिदृश्य का ध्यान उस देश के पक्षकार द्वारा जिसे धमकी दी गई है और रासायनिक शस्त्रों द्वारा हमला किया गया है, सहायता के अनुरोध पर ओ.पी.सी.डब्ल्यू. की कार्रवाई पर केंद्रित था। सहभागियों में ओ.पी.सी.डब्ल्यु तकनीकी सचिवालय, मानवीय कार्य समन्वय के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यू.एन.ओ.सी.एच.ए.) तथा 11 ओ.पी.सी. डब्ल्यू. देशों की पार्टियों अर्थात् डेनमार्क, फ्रांस, भारत, इटली, लीबिया, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्विटजरलैंड, ट्यूनीशिया, तुर्की और यूनाईटेड किंगडम की विशेषज्ञ टीमें शामिल थीं ।

इंडो–स्विस कोलबरेशन फार ट्रेनिंग कार्यक्रम के अधीन एस.डी.सी. द्वारा श्वान द्वारा खोज का प्रशिक्षण

8.37 इंडो-स्विस कोलेबरेशन फॉर ट्रेनिंग (भारत-स्विस प्रशिक्षण सहयोग) के अंतर्गत, मई, 2010 में बी.टी.सी. भानू, चंडीगढ़ में स्विस विशेषज्ञों द्वारा केनाइन तलाशी प्रशिक्षण आयोजित किया गया । विभिन्न एन.डी.आर.एफ. बटालियनों के 35 श्वान हैंडलरों और 25 श्वानों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया । इस प्रशिक्षण का प्रयोजन एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों के आपदा कार्रवाई कौशल को बढ़ाना और अद्यतन करना था ।

क्षेत्रीय एस.पी.आर.आई.एन.टी. प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, बैंकाक, थाइलैंड

8.38 यू.एन.एफ.पी.ए. एशिया पेसिफिक एंड रीजनल आफिस (ए.पी.आर.ओ.) तथा इंटरनेशनल प्लांड पेरेन्टहुड फेडरेशन (आई.पी.पी.एफ.) ने संयुक्त रूप से बैंकाक, थाइलैंड में 25 से 29 अक्तूबर, 2010 के दौरान एक क्षेत्रीय स्प्रिंट (सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हैल्थ प्रोग्राम इन क्राइसेस एण्ड पोस्ट क्राइसेस) 'ट्रेनिंग आफ ट्रेनर्स' कार्यक्रम आयोजित किया । एन.डी.आर.एफ. के एक चिकित्सक ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया ।

कृत्रिम अभ्यास (मॉक एक्सरसाइजेज)

8.39 वर्ष 2010-2011 के दौरान, एन.डी.आर.एफ. बटालियन ने देश के विभिन्न भागों में विभिन्न हितधारकों के साथ रासायनिक (औद्योगिक) आपदा, शहरी बाढ़ों, चक्रवातों, भूकम्प अनुरुपण, रेल दुर्घटनाओं पर 21 कृत्रिम अभ्यास किए। कृत्रिम अभ्यासों के दौरान, एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने खोज एवं बचाव (एस.ए.आर.) अभियान चिकित्सा प्राथमिक कार्रवाई (एम.एफ.आर.) बड़ी दुर्घटना के परिदृश्य में ट्रायेज में फंसे पीड़ितों के बचाव की पद्धतियां, क्षतिग्रस्त इमारत में पीड़ितों की तलाश एवं लोकेशन तकनीकें, विसंदूषण अभियान आदि प्रदर्शित किए।

घटना कार्रवाई प्रणाली (आई.आर.एस.)

8.40 आपदा कार्रवाई के प्रबंधन के लिए वर्तमान प्रशासनिक स्थापन, सिविल सोसाइटी और उसकी विभिन्न संस्थाओं को अनेक कर्तव्यों का निर्वाह करना होता है। कार्रवाई प्रबंधन में शामिल क्रियाकलाप आपदा की प्रकृति और प्रकार पर निर्भर करेंगे। देखा गया है कि आपदा काल में संसाधनों की कमी उतनी बड़ी समस्या नहीं होती जितनी विभिन्न अभिकरणों में समन्वय की कमी तथा विभिन्न हितधारकों की भूमिका में स्पष्टता की कमी होती है। यदि कार्रवाई योजनाबद्ध हो और हितधारक प्रशिक्षित हों तो तदर्थ उपायों की कोई गुंजाईश नहीं रहेगी तथा कार्रवाई अधिक निर्बाध और प्रभावी

होगी। विचार यह है कि विभिन्न काम करने के लिए अधिकारियों को पूर्व–पदनामित कर दिए जाएं और उन्हें उनके अपने काम में प्रशिक्षित करवाया जाए ।

8.41 भारत सरकार, ने इस पहलू की महत्ता को समझकर 2003 में आई.सी.एस. को यू.एस.ए.आई.डी. के सहयोग से अंगीकार करने का निर्णय लिया था। इस प्रणाली को कार्यरूप देने में विगत वर्षों के अनुभव से प्रणाली का देशीकरण करने की अर्थात् इसे अपने प्रशासनिक स्थापन और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुरूप कार्यात्मक करने की जरूरत सिद्ध हुई । समीक्षाधीन अवधि के दौरान दिशानिर्देश तैयार करने के लिए प्रादेशिक कार्यशालाओं के अलावा, घटना कार्रवाई प्रणाली के सिद्धांतों का हमारे प्रशासनिक स्थापन के सामंजस्य में संकल्पनाप्रद होने के कारण उनका प्रचार-प्रसार करने के लिए अनेकों कार्यशालाएं और अनुरूपण अभ्यास किए गये।

घटना कार्रवाई टीम के कार्य (आई.आर.टी.)

8.42 घटना कार्रवाई टीमों को राज्य, जिला, उपखंड और तहसील/ प्रखंड स्तरों पर पूर्व-पदनामित किया जाता है। मुख्य सचिव और जिला मजिस्ट्रेट राज्य और जिला स्तर पर जिम्मेदार अधिकारी होते हैं। वे घटना कमांडर को उत्तरदायित्व सौंपेंगे जो स्वयं अपने-अपने संबंधित स्तर पर घटना कार्रवाई टीमों के माध्यम से घटना का प्रबंधन करेंगे। शीघ्र चेतावनी की स्थिति में, जिम्मेदार अधिकारी घटना कार्रवाई टीम को सक्रिय करेगा। यदि आपदा बिना किसी चेतावनी के घटती है तो स्थानीय घटना कार्रवाई टीम कार्रवाई करेगी और आगे सहायता के लिए यदि आवश्यक हो तो, जिम्मेदार अधिकारी से संपर्क करेगी ।

राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों में कार्रवाई समन्वय

8.43 बड़ी-बड़ी आपदाओं में जिला, राज्य और केंद्र सरकार में द्रुत और उचित समन्वय सर्वाधिक महत्व रखता है। आई.आर.एस. यह स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि एन.डी.एम.ए. राष्ट्रीय संकट प्रबंध समिति जिसके अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं, गृह सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्य राज्य कार्यकारिणी समिति सचिव की अध्यक्षता में तथा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में समन्वय कैसे सुनिश्चित होगा ।

8.44 किसी भी आपदा कार्रवाई को जिला और राज्य मशीनरी द्वारा आवश्यक रूप से करना होगा। केंद्र सरकार विशेषज्ञ कार्रवाई बल (राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल) और अन्य आवश्यक संसाधन के द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। केंद्र में समन्वय एन.डी.एम.ए./ एन.सी. एम.सी./ एन.ई. सी. द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। इसी प्रकार, राज्य में, एस.डी.एम.ए./एस.ई.सी. द्वारा तथा जिला स्तर पर डी.डी.एम.ए. द्वारा समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा।

समुदाय की भागीदारी और कार्रवाई में उनकी भूमिका

8.45 समुदाय हमेशा प्रथम कार्रवाई–कर्ता होता है । बाहरी मदद भी मिलती है लेकिन वह बाद में आती है। घटना कार्रवाई प्रणाली विषयक दिशानिर्देश इस प्रकार बने हैं कि वे कार्रवाई तंत्र में एकीकृत हो जाऐं। ग्राम, वार्ड और ग्राम पंचायत स्तरों पर संसाधनों, कौशलों और क्षमताओं को संगठित, प्रशिक्षित तथा कार्रवाई प्रक्रिया में प्रयुक्त करना होगा।

आपातकालीन प्रचालन केंद्र (ई.ओ.सी.)

8.46 आपातकालीन प्रचालन केंद्र वह स्थान होता है आगे घटने वाली स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। स्थल पर उपस्थित आई.आर.टी. के लिए समुचित प्रत्यायोजित प्राधिकार के साथ-साथ संबंधित विभाग के संसाधनों, जनशक्ति और विशेषज्ञों को एक जगह जुटाने में जिम्मेदार अधिकारी की सहायता करता है। यह केंद्र पूर्ण-सुरक्षित संचार और निर्णय सहायक प्रणाली से लैस होता है।

घटना कार्रवाई प्रणाली में आपदा कार्रवाई की सुविधाएं

8.47 **घटना कमान चौकी (आई.सी.पी.):** आई.सी.पी. वह जगह होती है जहां पर प्राथमिक कमान कार्य किए जाते हैं । आई.सी.,आई.सी.पी. में

तैनात रहेगा। प्रत्येक घटना के लिए केवल एक आई.सी.पी. होगा। उसके पास कमान और नियंत्रण के लिए उचित संचार प्रणाली होनी चाहिए।

8.48 संसाधन एकत्रण क्षेत्र (एस.ए.) : संसाधन एकत्रण क्षेत्र वह स्थान होता है जहां संसाधन एकत्र करके फील्ड प्रचालन के लिए तैनाती के लिए तैयार रखे जाते हैं । इनमें ये चीजें शामिल हो सकती है - भोजन, गाड़ियां, अन्य उपकरण और सामग्री। संसाधन एकत्रण क्षेत्र ऐसे संसाधनों के तुरंत, प्रभावी और शीघ्र तैनाती के लिए प्रभावित स्थल के निकट उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा ।

8.49 घटना आधार स्थल : कार्रवाई–कर्ताओं के लिए समस्त प्राथमिक सेवाएं और पीड़ितों के लिए सहायता घटना आधार स्थल पर उपलब्ध की जाती हैं। घटनास्थल क्रियाकलाप के लिए अंतिम तैनाती इसी जगह से की जाती है ।

8.50 शिविर : शिविर व्यापक घटना क्षेत्र के भीतर अस्थायी अवस्थान होते हैं जहां कार्रवाई–कर्ताओं को विश्राम, भोजन, पेय जल और वैसी ही सेवाएं देने के लिए साज-सामान और कर्मचारी विद्यमान रहते हैं । ये शिविर कई दिन तक एक जगह चल सकते हैं और घटना की जरूरतों के अनुरूप उन्हें स्थानांतरित किया जा सकता है ।

8.51 राहत शिविर : प्रभावित लोगों को समस्त सहायक सेवाएं राहत शिविरों में सुलभ कराई जाती हैं । ये स्थिति की मांग के अनुसार लगाए जाते हैं ।

8.52 हेलीबेस/हेली पैड : हेलीबेस हेलिकॉप्टरों की पार्किंग, ईंधन भरने और रख-रखाव करने का मुख्य स्थान होता है। इसे राहत सामग्री लादने और उतारने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है । हेलीपैड घटना क्षेत्र में अस्थायी स्थान होते हैं जहां हेलिकॉप्टर सुरक्षित रूप से उतर सकते हैं, रवाना हो सकते हैं। हेलीपैड कार्मिकों, उपकरण और राहत सामग्री की लदाई और उतराई तथा बचाव कार्यों आदि जैसे प्रचालनों के लिए स्थापित और प्रयुक्त किए जाते हैं ।

आई.आर.एस. सुग्राहीकरण कार्यक्रम

8.53 सभी आपदा से असुरक्षित राज्यों में आई.आर.एस. दिशनिर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एन.डी.एम.ए. ने 9 असुरक्षित राज्यों, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप, उड़ीसा, बिहार, गोवा, तमिलनाडु और असम में सुग्राहीकरण कार्यक्रम किए थे। सुग्राहीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य आई.आर.एस. दिशानिर्देशों के सुकर कार्यान्वयन के लिए उसकी विशेषताओं एवं सिद्धांतों के बारे में राज्य और जिला प्रशासन के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों में जागरूकता पैदा करना है।

महामहिम राज्यपाल, गोवा श्री (डा.) एस.एस. सिद्धू, माननीय मुख्यमंत्री, गोवा, श्री दिगम्बर कामत, माननीय सदस्य, एन.डी.एम.ए. श्री जे. के. सिन्हा, मुख्य सचिव, गोवा सरकार श्री संजय श्रीवास्तव और जिला मजिस्ट्रेट श्री जी. पी. नायक राज्य स्तरीय सुग्राहीकरण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ।

9 प्रशासन एवं वित्त

सामान्य प्रशासन

एन.डी.एम.ए. सचिवालय

9.1 एन.डी.एम.ए. सचिवालय मे पांच प्रभाग हैं जो इस प्रकार हैं - (i) नीति, योजना, क्षमता निर्माण और जागरूकता प्रभाग, (ii) प्रशमन प्रभाग, (iii) प्रचालन और संचार प्रभाग, (iv) प्रशासन और समन्वय प्रभाग तथा (v) वित्त और लेखा प्रभाग ।

नीति, योजना, क्षमता निर्माण और जागरूकता प्रभाग

9.2 यह प्रभाग सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की नीतियों, दिशानिर्देशों और योजनाओं के अनुमोदन और सभी राज्यों में क्षमता निर्माण एवं जागरूकता उपायों से जुड़े सभी मामलों को देखता है । आपदा प्रबंधन का विकास योजनाओं में उपयोग भी इस प्रभाग का महत्वपूर्ण कार्य है । इस प्रभाग में स्वीकृत कुल कर्मचारी 15 हैं - एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर का), तीन संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), तीन सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) तथा 8 सहायक स्टाफ ।

9.3 क्षमता निर्माण भी इस प्रभाग का एक अन्य कार्य है। जो एन.डी.एम.ए. का एक प्रमुख विषय है। इस प्रभाग ने इस प्रयास को पूरा करने और यह सुनिश्चित करने का काम अपने हाथ में ले रखा है कि तैयारी की संस्कृति सभी स्तरों पर सृजित की जाए। यह समुदाय और जमीनी स्तर के अन्य हितधारकों को शामिल करने के साथ-साथ, इलैक्ट्रानिक और प्रिंट दोनों संचार साधनों के उपयोग से जागरूकता पैदा करने की अवधारण और निष्पादन का काम भी करता है ।

प्रशमन प्रभाग

9.4 इस प्रभाग का उत्तरदायित्व चक्रवातों, भूकम्पों, बाढ़ों, भूस्खलनों और पूर्ण सुरक्षित संचार तथा आई.टी.योजना आदि जैसे आपदा विषयों के बारे में मंत्रालयों और राज्यों के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर जोखिम प्रशमन परियोजनाएं हाथ में लेना है । यह माइक्रोजोनेशन, संवेदनशीलता विश्लेषण आदि जैसी परियोजनाओं को मार्गदर्शन तथा उनसे जुड़े विशेष अध्ययनों की व्यवस्था भी कराता है । यह मंत्रालयों द्वारा स्वयं चलाई जा रही प्रशमन परियोजनाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण तथा अनुवीक्षण भी करता है । इस प्रभाग में कुल स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या 10 है जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव के स्तर का), दो संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), दो सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) और 5 सहायक स्टाफ हैं ।

प्रचालन और संचार प्रभाग

9.5 शीर्ष निकाय के रूप में एन.डी.एम.ए. को किसी भी समय आपदा की स्थिति पर सरकार को सलाह देने के लिए सदैव तैयार रहना अनिवार्य है जिसके लिए इसे नवीनतम सूचना से पूर्ण परिचित रहना आवश्यक है । महत्वपूर्ण क्रियाकलाप के लिए एन.डी.एम.ए. के पास दिन-रात आपदा विनिर्दिष्ट सूचना और आंकड़ों की जानकारी देने की सुविधा के लिए एक आपरेशन केंद्र है तथा यह कार्रवाई के बाद के चरणों में भी प्रयासों का मार्गदर्शन करता है। यह प्रभाग पुनर्वास एवं पुनर्बहाली संबंधी कार्यों में भी निकटता से अंतर्ग्रस्त रहता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि समस्त नव-निर्मित वातावरण आपदा समुत्थानशील हो।

9.6 इस प्रभाग का काम समर्पित और अनवरत प्रचालनात्मक नवीनतम संचार प्रणाली का रखरखाव करना भी है । संचार और सूचना प्रौद्योगिकी खंड के आधारभूत घटक में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क तथा जी.आई.एस. आधारित अनुप्रयोगों पर बल सहित ज्ञान प्रबंधन और आंकड़ों के संयोजन के विशेष संदर्भ में आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली शामिल हैं। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत स्टाफ 17 हैं जिनमें

एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर का), तीन संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), चार सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के), दो कर्तव्य अधिकारी (अवर सचिव स्तर के) और 7 सहायक स्टाफ हैं ।

प्रशासन और समन्वय प्रभाग

9.7 यह प्रभाग प्रशासन और समन्वय के सभी पहलुओं के लिए उत्तरदायी है । इसके क्रियाकलापों में मंत्रालयों/विभागों और राज्यों के साथ विस्तृत पत्राचार शामिल है। यह प्रभाग एन.डी.एम.ए. के सदस्यों और स्टाफ के सभी स्तरों पर प्रशासनिक एवं संभार तंत्र संबंधी सहायता भी प्रदान करता है । इस प्रभाग की कुल स्वीकृत स्टाफ 22 है जिसमें एक संयुक्त सचिव, एक निदेशक, दो अवर सचिव और 18 सहायक कर्मचारी हैं ।

वित्त और लेखा प्रभाग

9.8 वित्त और लेखा प्रभाग लेखा रखने, बजट बनाने, प्रस्तावों की वित्तीय संवीक्षा आदि विषयक कार्य करता है । यह प्रभाग व्यय की प्रगति को मानीटर करता है तथा अपनी प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आने वाले सब मामलों पर एन.डी.एम.ए. को सलाह देता है । इस प्रभाग में कुल स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या 8 है जिनमें एक वित्तीय सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर का), एक निदेशक, एक सहायक वित्तीय सलाहकार (अवर सचिव स्तर का) और पांच सहायक कर्मचारी हैं। उसके कार्यों और उत्तरदायित्वों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

- एन.डी.एम.ए. के बजट को तैयार करना।
- सामान्य वित्तीय नियमावली (जी. एफ. आर.) की अपेक्षाओं के अनुसार विभागीय लेखा का रखरखाव।
- नियंत्रण रजिस्टर रखकर स्वीकृत अनुदानों में से किए गए व्यय की प्रगति पर निगरानी रखना और उसकी समीक्षा करना ।
- प्रत्योयोजित शक्तियों के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सब मामलों पर एन.डी.एम.ए. को सलाह देना ।
- स्कीम और महत्वपूर्ण व्यय प्रस्ताव तैयार करने में उनके आरंभिक चरणों से निकटता से जुड़े रहना।
- लेखा-परीखा आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्टों, प्रारूप लेखा परीक्षा पैराओं आदि के निपटारे का काम देखना,
- लेखापरीक्षा रिपोर्टों, लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) और प्राक्कलन समिति की रिपोर्टों पर तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित करना ।
- आवधिक रिपोर्टों और विवरणियों की समय से प्रस्तुति को सुनिश्चित करना।

वित्त और बजट

9.9 गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों में, एन.डी.एम.ए. को अनुदान सं. 54 - गृह मंत्रालय के अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है । बजट शीर्षों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है :

अनुदान सं. 54		गृह मंत्रालय का अन्य व्यय
(क)	**राजस्व (आयोजना–भिन्न)**	
	मुख्य शीर्ष (2245)	- प्राकृतिक विपत्तियों पर राहत
	उप-प्रमुख शीर्ष (80)	- सामान्य
	लधु शीर्ष (102)	- प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन, आपदा प्रवण क्षेत्रों में आकस्मिकता योजनाएं ।
	(उप-शीर्ष (04))	- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ।
(ख)	**पूंजी भाग (आयोजना–भिन्न)**	
	मुख्य शीर्ष (4250)	- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
	उप-प्रमुख शीर्ष (101)	- प्राकृतिक विपत्तियां
	लधु शीर्ष (03)	- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ।

(ग) **राजस्व (आयोजना)**

एन.डी.एम.ए. की प्रत्येक परियोजना के लिए पृथक उप–शीर्ष दिया गया है जैसाकि नीचे दर्शाया गया है ।

02	–	राष्ट्रीय भूकम्प जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.ई.आर.एम.पी)
03	–	राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.एल.आर.एम.पी.)
04	–	राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क (एन.डी.सी.एन.)
05	–	अन्य आपदाएं प्रबंधन परियोजनाएं
06	–	विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी.)
07	–	राष्ट्रीय बाढ़ आपदा प्रबंधन
14	–	राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल

निधि आबंटन और उपयोग

9.10 रिपोर्ट की अवधि (2010-11) के दौरान एन.डी.एम.ए. के लिए बजट आबंटन की कुल राशि 190.42 करोड़ रुपए थी जिसमें से 141 करोड़ रुपए की राशि संगठन की योजना स्कीमों/ परियोजनाओं के लिए अभिप्रेत थी तथा 49.92 करोड़ रुपए की धनराशि आयोजना–भिन्न बजट के लिए आबंटित की गई थी ।

9.11 प्राक्कलन पूर्व/पुनरीक्षित प्राक्कलन राशि 49.42 करोड़ रुपए / 30.95 करोड़ रुपए (आयोजना–भिन्न) की तुलना में वास्तविक व्यय 23.39 करोड़ रुपए था ।

9.12 आयोजना–भिन्न व्यय का बड़ा अंश निम्नलिखित मद शीर्षों के अधीन व्यय किया गया है:

- वेतन
- घरेलू यात्रा व्यय (डी.टी.ई.)
- कार्यालय व्यय (ओ.ई)
- अन्य प्रशासनिक व्यय (ओ.ए.ई.)
- विज्ञापन और प्रचार (ए. एंड पी.)
- व्यावसायिक सेवाएं (पी.एस.)

9.13 उपर्युक्त आयोजना–भिन्न शीर्षों के अधीन वर्ष 2010-2011 के दौरान निधि आबंटन और व्यय को नीचे दर्शाया गया है :

आयोजना–भिन्न शीर्षों में निधि आबंटन और व्यय (2010–2011)
(लाख रुपए)

क्रमांक	वस्तु शीर्ष	आबंटन	व्यय
1.	वेतन	699.80	625.99
2.	घरेलू यात्रा व्यय	3.00.00	220.35
3.	कार्यालय व्यय	500.00	351.58
4.	अन्य प्रशासनिक व्यय	500.00	72.11
5.	विज्ञापन और प्रचार	1900.00	894.36
6.	व्यावसायिक सेवाएं	200.00	82.90

9.14 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने के लिए प्राक्कलनपूर्व 2010-2011 में आबंटित 141 करोड़ रुपए की कुल धनराशि एन.डी.एम.ए. की विभिन्न आयोजना परियोजनाओं के लिए निम्न प्रकार आबंटित की गई -

		आबंटन
(i)	राष्ट्रीय भूकम्प जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.ई.आर.एम.पी.)	5 करोड़ रुपए
(ii)	राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.एल.आर.एम.पी.)	2 करोड़ रुपए
(iii)	राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क (एन.डी.सी.एन.)	2 करोड़ रुपए
(iv)	विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी.)	100 करोड़ रुपए
(v)	अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं	39 करोड़ रुपए
(vi)	राष्ट्रीय बाढ़ आपदा प्रबंधन	2 करोड़ रुपए
	योग	150 करोड़ रुपए

9.15 आपदा प्रबंधन रिपोर्टों को अंतिम रूप देने में धीमी प्रगति के कारण 141 करोड़ रुपए का प्राक्कलन पूर्व आबंटन पुनरीक्षित प्राक्कलन 2010-2011 में घटकर 40.30 करोड़ रुपए रह गया । इन आबंटनों पर योजना शीर्षों के अधीन कुल व्यय विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में 20.39 करोड़ रुपए मात्र था ।

लेखापरीक्षा पैरा

9.16 तारीख 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष की सी.एण्ड.जी. लेखापरीक्षा रिपोर्ट में 5 लेखापरीक्षा पैरे थे । सभी 5 लेखापरीक्षा पैराओं के उत्तर दिए गए और आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय को विधीक्षा के लिए सी.एंड ए.जी. से भेजे गए कोई भी लेखापरीक्षा पैरे 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए लंबित नहीं हैं। चूंकि हमें ए.टी.एन. पर कोई प्रेक्षण नहीं मिले हैं अतः यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त पैरा के समाधान/निपटारे हो चुके हैं ।

9.17 तारीख 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तीन लेखापरीक्षा पैरा सी.एंड ए.जी. से प्राप्त हुए हैं । उन्हें अंतिम रूप देकर विधीक्षा तथा आगे कार्रवाई के लिए सी.एंड ए. जी. को भेजने के लिए गृह मंत्रालय भेजा जा चुका है । आगे होने वाली कार्रवाई की प्रतीक्षा है ।

9.18 तारीख 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए दो लेखापरीक्षा पैरा और दो प्रारूप लेखापरीक्षा पैरा आशयित हैं। लेखापरीक्षा पैराओं और एक लेखापरीक्षा पैरा के उत्तर के संबंध में आवश्यक ए.टी.एन. विधीक्षा के लिए तथा सी.एंड ए.जी. को आगे टिप्पणी के लिए भेजने के लिए गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग) को भेजे जा चुके हैं। जहां तक लंबित प्रारूप लेखापरीक्षा पैराओं का संबंध है, उत्तर तैयार किया जा रहा है और सी.एंड ए.जी. को शीघ्र ही भेजा जाएगा।

अनुबंध–1

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का संगठन

वर्तमान संगठन

1.	डा. मनमोहन सिंह, भारत के प्रधानमंत्री	अध्यक्ष
2.	श्री एम. शशिधर रेड्डी	उपाध्यक्ष (16.12.2010 से)
3.	श्री बी. भट्टाचार्जी	सदस्य (21.08.2006 से)
4.	श्रीमती पी. ज्योति राव	सदस्य (14.08.2006 से)
5.	श्री जे. के. सिन्हा	सदस्य (18.04.2007 से)
6.	मेजर जनरल जे. के. बंसल, वी.एस.एम., चिकित्सा रत्न (सेवानिवृत्त)	सदस्य (06.10.2010 से)
7.	श्री टी. नन्द कुमार	सदस्य (08.10.2010 से)
8.	डा. मुजफ्फर अहमद	सदस्य (10.12.2010 से)

संस्थापक सदस्य

1.	जनरल एन.सी.विज	उपाध्यक्ष (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
2.	लफ्टि. जन. (डा.) जे. आर. भारद्वाज पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम.	सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
3.	डा. मोहन कान्डा	सदस्य (05.10.2005 से 04.10.2010 तक)
4.	प्रो. एन. विनोद चन्द्र मेनन	सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
5.	श्री एम. शशिधर रेड्डी	सदस्य (05.10.2005 से 04.10.2010 तक) (11.10.2010 से 16.12.2010 तक)
6.	श्री के. एम. सिंह	सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)

श्री एम. शशिधर रेड्डी का 5 वर्ष का कार्यकाल 4 अक्तूबर, 2010 को पूरा हो गया और उन्हें 6 अक्तूबर, 2010 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सदस्य नामित किया गया । उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य का पदभार 11 अक्तूबर, 2010 को ग्रहण किया । बाद में उन्हें 16 दिसम्बर, 2010 को पदोन्नत करके राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बना दिया गया ।

अनुबंध–2

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों की सूची

1.	डा. नूर मोहम्मद, सचिव	(01.02.2011 से)
2.	श्री ए. बी. प्रसाद, सचिव	(24.07.2009 से 31.12.2010 तक)
3.	श्री सुनील कुमार कोहली, वित्त सलाहकार	(01.08.2008 से)
4.	श्री अमित झा, संयुक्त सचिव	(27.02.2009 से)
5.	श्रीमती सुजाता सौनिक, संयुक्त सचिव	(18.12.2009 से)
6.	श्री पी. के. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव	(06.10.2010 से)
7.	डा. जी. एस. जी. अयंगार, सलाहकार	(18.08.2008 से 18.08.2010 तक)
8.	श्री ए. आर. सुले, निदेशक	(31.03.2006 से)
9.	श्री. आर. के. सिंह, संयुक्त सलाहकार	(20.02.2009 से)
10.	श्री एस.एस.यादव, संयुक्त सलाहकार	(22.05.2009 से)
11.	कर्नल शशि भूषण, संयुक्त सलाहकार	(31.08.2010 से)
12.	कर्नल बी.बी. सिंह, संयुक्त सलाहकार	(14.01.2011 से)
13.	श्री प्रेम कुमार, निदेशक	(23.02.2009 से 28.02.2011 तक)
14.	डा. सी.वी. धर्मा राव, संयुक्त सलाहकार	(20.03.2009 से 02.08.2010 तक)
15.	श्री पी. ठाकुर, सहायक सलाहकार	(01.05.2008 से)
16.	श्री जे. सी. बाबू, सहायक सलाहकार	(03.10.2008 से)
17.	श्री एस. के. प्रसाद, सहायक सलाहकार	(01.10.2008 से)
18.	श्री ए. के. जैन, सहायक सलाहकार	(03.11.2008 से)
19.	श्री बुद्ध राम, सहायक वित्त सलाहकार	(31.12.2008 से)
20.	श्रीमती विजय लक्ष्मी भारद्वाज, सहायक सलाहकार	(19. 01.2009 से)
21.	श्री आर.के. चोपड़ा, अवर सचिव	(14.11.2006 से 03.04.2011 तक)

एन.डी.आर.एफ. से संबंधित परिशिष्ट

रिपोर्टगत अवधि के दौरान अभियान/कार्रवाई संबंधी उपलब्धियां

क्र. सं.	एन.डी.आर.एफ. बटालियन का स्थान और संख्या	तैनाती का स्थान राज्य/ जिले के नाम सहित	तैनाती के प्रयोजन की विशिष्ट प्रकृति (घटना / आपदा का नाम)	तैनाती की अवधि	टीमों की कुल संख्या/ शक्ति (कुल तैनात कार्मिक)	बचाव/राहत अभियान के लिए टीमों द्वारा ले जाए गए एन.डी.आर.एफ. उपस्करों का प्रकार (जैसे नाव, वाहन, श्वान दस्ता, इत्यादि)	संक्षिप्त में उपलब्धि का ब्यौरा	अभ्युक्तियाँ
1	प्रथम बटालियन, एन.डी.आर.एफ.	खरघुली, लोटासिल पुलिस स्टेशन के अधीन, गुवहाटी	भूस्खलन बचाव अभियान	23 मार्च, 2011	एक टीम जीओ-01 एसओ-05 ओआर -40 कुल 46 श्वान - 02	बचाव उपस्कर	टीम ने 05 शव और 01 पीड़ित को जीवित बाहर निकाला	
2	दूसरी बटालियन	दमदम हवाई अड्डा	जापान से आए विकिरण प्रभावित व्यक्तियों की मॉनीटिरिंग के लिए	17 मार्च, 2011 से 22 मार्च, 2011	एक टीम जीओ - 01 एसओ-02 ओआर-28 कुल-31	एन.बी.सी. उपस्कर	सी.बी.आर.एन उपस्कर से 8914 व्यक्तियों का परीक्षण किया कुछ भी असामान्य नहीं	
3	चौथी बटालियन, एन.डी.आर.एफ.	चेन्नै हवाई अड्डा	जापान से आए विकिरण प्रभावित व्यक्तियों की मॉनीटिरिंग के लिए	17 मार्च, 2011 से 22 मार्च, 2011	एक टीम जीओ - 01 एसओ-07 ओआर-23 कुल-31	एन.बी.सी. उपस्कर	सी.बी.आर.एन. उपस्कर से 585 व्यक्तियों का परीक्षण किया कुछ भी असामान्य नहीं	
4	चौथी बटालियन, एन.डी.आर.एफ.	कारुवरक्कुन्डू पंचायत, जिला मालाप्पुरम (केरल)	तालाब में एक बच्चे का लापता होना	30 मार्च, 2011	उपटीम जीओ - 01 एसओ-02 ओआर-08 कुल-11	बचाव उपस्कर	टीम ने एक शव बाहर निकाला	
5	पांचवी बटालियन, एन.डी.आर.एफ.	पिंपलगाव जोगा बांध, पुणे (महाराष्ट्र)	खोज और बचाव अभियान, ओटीयूआर इंजीनियरी कालेज के 04 छात्र जो पिंपलगाव जोगाबांध, गांव कोलवाड़ी, तहसील जुन्नार जिला पुणे में डूब गये थे।	14 फरवरी, 2011 से 15 फरवरी, 2011	एक टीम जीओ - 01 एसओ-03 ओआर-34 कुल-38	04 फुलाने वाली नाव और अन्य एस.ए.आर. उपस्कर	टीम ने 4 शव बाहर निकाले	

क्र. सं.	एन.डी.आर.एफ. बटालियन का स्थान और संख्या	तैनाती का स्थान राज्य/ जिले के नाम सहित	तैनाती के प्रयोजन की विशिष्ट प्रकृति (घटना / आपदा का नाम)	तैनाती की अवधि	टीमों की कुल संख्या/ शक्ति (कुल तैनात कार्मिक)	बचाव/राहत अभियान के लिए टीमों द्वारा ले जाए गए एन.डी.आर.एफ. उपस्करों का प्रकार (जैसे नाव, वाहन, श्वान दस्ता, इत्यादि)	संक्षिप्त में उपलब्धि का ब्यौरा	अभ्युक्तियाँ
6	आठवीं बटालियन, एन.डी.आर.एफ.	कनाट प्लेस, नई दिल्ली	खोज और बचाव अभियान	9 फरवरी, 2011	एक टीम जीओ - 02 एसओ-03 ओआर-37 कुल-42	बचाव उपस्कर	एस.डी.एम. संसद मार्ग से 8वीं बटालियन को सूचना मिली कि कनाट प्लेस, नई दिल्ली में बिल्डिंग गिर गई हैं । टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई और गिरी बिल्डिंग में जीवन संसूचक और कैनाइनस्स की सहायता से एस.ए.आर. आपरेशन किया । कोई जीवित पीड़ित नहीं मिला। एस.ए.आर. अभियान समाप्त हुआ ।	
7	आठवीं बटालियन, एन.डी.आर.एफ.	दिल्ली	क्रिकेट वर्ल्ड कप	24 फरवरी, 2011, 28 फरवरी, 2011, 07 मार्च, 2011, और 09 मार्च, 2011	02 टीम जीओ - 01 एसओ-06 ओआर-72 कुल-79	प्राथमिक चिकित्सा अनुक्रिया । ढहे हुए भाग की खोज और बचाव तथा सी.बी.आर.एन. उपस्कर	-------	
8	आठवीं बटालियन, एन.डी.आर.एफ.	आई.जी.आई. हवाई अड्डा, नई दिल्ली	विकिरण प्रभावित व्यक्ति जो जापान से आए हैं, की मॉनीटरिंग के लिए	17 मार्च, 2011	जीओ - 01 एसओ-03 ओआर-28 कुल-32	एन.बी.सी. उपस्कर	सी.बी.आर.एन. उपस्कर से 712 यात्रियों की जांच की गई। कुछ भी असामान्य नहीं	
9	आठवीं बटालियन, एन.डी.आर.एफ.	आई.जी.आई. हवाई अड्डा, नई दिल्ली	विकिरण प्रभावित व्यक्ति जो जापान से आए हैं, की मॉनीटरिंग के लिए	19 मार्च, 2011	एसओ-03 ओआर-31 कुल - 34	एन.बी.सी. उपस्कर	सी.बी.आर.एन. उपस्कर से 727 यात्रियों की जांच की गई। कुछ भी असामान्य नहीं	
10	आठवीं बटालियन, एन.डी.आर.एफ.	आई.जी.आई. हवाई अड्डा, नई दिल्ली	विकिरण प्रभावित व्यक्ति जो जापान से आए हैं, की मॉनीटरिंग के लिए	20 मार्च, 2011	एसओ-02 ओआर-18 कुल - 20	एन.बी.सी. उपस्कर	सी.बी.आर.एन. उपस्कर से 758 यात्रियों की जांच की गई। कुछ भी असामान्य नहीं	

क्र. सं.	एन.डी.आर.एफ. बटालियन का स्थान और संख्या	तैनाती का स्थान राज्य/ जिले के नाम सहित	तैनाती के प्रयोजन की विशिष्ट प्रकृति (घटना / आपदा का नाम)	तैनाती की अवधि	टीमों की कुल संख्या/ शक्ति (कुल तैनात कार्मिक)	बचाव/राहत अभियान के लिए टीमों द्वारा ले जाए गए एन.डी.आर.एफ. उपस्करों का प्रकार (जैसे नाव, वाहन, श्वान दस्ता, इत्यादि)	संक्षिप्त में उपलब्धि का ब्यौरा	अभ्युक्तियाँ
11	आठवीं बटालियन, एन.डी.आर.एफ.	रिफू चो, जापान	बचाव और राहत अभियान	27 मार्च, से 07 अप्रैल, 2011	01 टीम जीओ - 04 एसओएस-06 ओआरएस-36 कुल - 46 श्री आलोक अवस्थी कमांडेंट 05वीं बटालियन एन. डी. आर. पी. के अधीन	सी.बी.आर.एन. उपस्कर	विपदा टीम क्षेत्र में आने के दो सप्ताह से अधिक के बाद मलबे से 07 शव निकालने का प्रबंध किया । टीम ने किसी भारी उपस्कर की अनुपस्थिति में यह कार्य किया । टीम ने बहुमूल्य वस्तुओं के अलावा पचास मिलियन येन नकद बरामद किया तथा प्राधिकारियों को सौंपा ।	
12	9वीं बटालियन, एन.डी.आर.एफ.	कहलगांव, पिरपैन्टी ब्लॉक जिला - भागलपुर (बिहार)	गंगा नदी में हुई नाव दुर्घटना	27 फरवरी से 01 मार्च, 2011	एसओ-01 ओआर-24 तथा 06 गोताखोरों सहित कुल-25	04 नाव, 02 गोताखोरों के सेट और अन्य एस.ए.आर. उपस्कर	28 फरवरी, 2011 को 01 लापता शव प्राप्त किया ।	

रिपोर्टगत अवधि के दौरान कार्यशालाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	बैठक का विषय	बैठक की तारीख	कार्यशाला स्थल
1.	जैव सुरक्षा और जैविक आपदा के प्रशमन पर राष्ट्रीय कार्यशाला	02 फरवरी, 2011	कांफ्रेंस हाल, एन.डी.एम.ए. भवन
2.	पूर्वोत्तर में भूकम्प जोखिम प्रशमन कार्यनीति पर राष्ट्रीय कार्यशाला	24 से 25 फरवरी, 2011	प्रशासनिक स्टाफ कालेज, गुवाहाटी

रिपोर्टगत अवधि के दौरान सेमिनारों का ब्यौरा

क्र.सं.	बैठक का विषय	बैठक की तारीख	कार्यशाला स्थल
1.	11वां अंतरराष्ट्रीय एन.बी.सी.सी. सेमिनार	09 से 11 फरवरी, 2011	प्रशिक्षण केंद्र, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मानेसर, गुडगांव (हरियाणा)
2.	'एल.डब्ल्यू.ई. परिदृश्य में बुद्धि आसूचना संचयन के आयाम' पर सेमिनार	04 से 05 फरवरी, 2011	सरदार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद

रिपोर्टगत अवधि के दौरान बैठकों का ब्यौरा

क्र.सं.	बैठक का विषय	बैठक की तारीख	स्थान
1.	एन.डी.आर.एफ. बिन्दुओं पर विभिन्न चर्चाएं	02 फरवरी, 2011	एन.डी.एम.ए. भवन
2.	दक्षिण-पश्चिम जिला, नई दिल्ली में रासायनिक (औद्योगिक) आपदा पर टेबल टाप अभ्यास	09 फरवरी, 2011	5, शामनाथ मार्ग, दिल्ली
3.	डी.एम.प्लान की तैयारी और निष्पादन की बैठक	08 फरवरी, 2011	14, दरियागंज, दिल्ली
4.	सी.डब्ल्यू.जी.-2010 के लिए मैसर्स बी.ई.एल. और ई.सी.आई.एल. द्वारा आपूर्ति किए गए उपस्कर	09 फरवरी, 2011	कांफ्रेंस हाल, तीसरा तल, एन.डी.एम.ए. भवन
5.	आपदा कार्रवाई समाधान, अर्द्धचिकित्सा और आपातकालीन कार्रवाई उत्पाद	14 फरवरी, 2011	कांफ्रेंस हाल, तीसरा तल, एन.डी.एम.ए., भवन
6.	सी.बी.आर.एन. चिकित्सा प्रबंधन केंद्र पर तकनीकी विनिर्देशन समिति	21 फरवरी, 2011	कांफ्रेंस हाल, डी.आर.डी.ई. ग्वालियर
7.	राष्ट्रीय ऑकड़ें भागीदारी और पहुंच नीति	19 जनवरी, 2011	कक्ष सं. 12, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
8.	सी.बी.आर.एन. प्रबंधन केंद्र पर तकनीकी विशिष्टीकरण समिति	21 मार्च, 2011	कक्ष सं. 439-ए, निर्माण भवन, नई दिल्ली

रिपोर्टगत अवधि के दौरान प्रदर्शनी का ब्यौरा

क्र.सं.	बैठक का विषय	बैठक की तारीख	स्थान
1.	आपदा प्रबंधन पर जन–जागरूकता सृजन अभियान	27 जनवरी से 02 फरवरी, 2011	डी.सी. कार्यालय कॉम्पलेक्स, नंद नगरी, दिल्ली
2.	आपदा प्रबंधन	17 फरवरी से 19 फरवरी, 2011	देहरादून
3.	विज्ञान प्रौद्योगिकी/कृषि प्रौद्योगिकी/ऊर्जा/ वाणिज्य और उद्योग पर दूसरी राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन	19 फरवरी से 21 फरवरी, 2011	मुजफ्फरपुर, बिहार
4.	आपदा प्रबंधन उपस्कर	07 जनवरी से 09 जनवरी, 2011	महाराष्ट्र पुलिस अकादमी, नासिक, महाराष्ट्र